2025

राज्य सभा
उत्तर

बजट सत्र, 2025[राज्यसभा का 267वां सत्र]
[10 मार्च, 2025 से 4 अप्रैल, 2025]

INDEX

Sl.No.	Question No.	Question Type	Date	Subject	Division	Page No.
1.	1704	अतारांकित	13.03.2025	दिशा योजना	न्याय तक पहुंच	1-2
2.	1705	अतारांकित	13.03.2025	एफटीएससी योजना को लागू करने के लिए उठाए गए कदम	न्याय-II	3-5
3.	1706	अतारांकित	13.03.2025	महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध लंबित मामले	एनएम	6-10
4.	1707	अतारांकित	13.03.2025	टेली-लॉ योजना	न्याय तक पहुंच	11-12
5.	1708	अतारांकित	13.03.2025	न्यायालयों का प्रदर्शन मूल्यांकन	एनएम	13-14
6.	1709	अतारांकित	13.03.2025	कानूनी बुनियादी ढांचा	जे आर	15-17
7.	1710	अतारांकित	13.03.2025	नालसा में कर्मचारियों की संख्या	एलएपी	18-19
8.	1711	अतारांकित	13.03.2025	POCSO के लिए फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय	न्याय-II	20-23
9.	1712	अतारांकित	13.03.2025	न्यायालयों में लंबित मामले	एनएम	24-30
10.	1714	अतारांकित	13.03.2025	न्यायिक प्रणाली में एआई	ई-कोर्ट	31-33
11.	1715	अतारांकित	13.03.2025	भारतीय न्यायालयों में लंबित मामलों का समाधान	एनएम	34-38
12.	1716	अतारांकित	13.03.2025	विभिन्न उच्च न्यायालयों में दायर और निपटाए गए मामले	एनएम	39-45
13.	1717	अतारांकित	13.03.2025	शीघ्र न्याय के लिए न्यायालयों के बुनियादी ढांचे में सुधार	जे आर	46-48
14.	2354	अतारांकित	20.03.2025	न्यायपालिका में एससी, एसटी और ओबीसी समुदायों का प्रतिनिधित्व	नियुक्ति	49-53
15.	2356	अतारांकित	20.03.2025	सर्वोच्च न्यायालय के केस प्रबंधन में एआई का उपयोग	ई-कोर्ट	54-55
16.	2359	अतारांकित	20.03.2025	उच्च न्यायपालिका में सामाजिक विविधता	नियुक्ति	56-57
17.	2360	अतारांकित	20.03.2025	लंबित मामलों की समस्या का समाधान	एनएम	58-67

				और न्याय तक पहुंच		
18.	**292**	**तारांकित**	**27.03.2025**	**न्यायिक बुनियादी ढांचे का मूल्यांकन**	**जे आर**	**68-71**
19.	**298**	**तारांकित**	**27.03.2025**	**इलाहाबाद उच्च न्यायालय और अन्य उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के रिक्त पद**	**नियुक्ति**	**72-74**
20.	3137	अतारांकित	27.03.2025	न्याय प्रदान करने में तेजी लाना	एनएम	75-78
21.	3138	अतारांकित	27.03.2025	न्यायाधीशों द्वारा संपत्ति की अनिवार्य घोषणा	न्याय-I	79-80
22.	3139	अतारांकित	27.03.2025	अदालतों में लंबित मामलों का बोझ	एनएम	81-87
23.	3140	अतारांकित	27.03.2025	उच्च न्यायालयों में महिला न्यायाधीश	नियुक्ति	88-90
24.	3141	अतारांकित	27.03.2025	डिजिटलीकरण की धीमी गति	ई-कोर्ट	91-93
25.	3142	अतारांकित	27.03.2025	अखिल भारतीय न्यायिक सेवाएँ	नियुक्ति	94-97
26.	3143	अतारांकित	27.03.2025	हमारा संविधान-हमारा स्वाभिमान अभियान	न्याय तक पहुंच	98-104
27.	3144	अतारांकित	27.03.2025	अपर्याप्त न्यायिक अवसंरचना और संसाधन	जे आर	105-109
28.	3145	अतारांकित	27.03.2025	पुणे की अदालतों में जनशक्ति और बुनियादी ढांचे की कमी	एनएम	110-112
29.	3147	अतारांकित	27.03.2025	न्यायालयों में लंबित मामलों की बढ़ती संख्या	एनएम	113-118
30.	3148	अतारांकित	27.03.2025	पंजाब में ग्राम न्यायालय	जे आर	119-120
31.	3151	अतारांकित	27.03.2025	उच्च न्यायालयों में रिक्तियां	नियुक्ति	121-122
32.	352	**तारांकित**	03.04.2025	**ग्राम न्यायालय**	**जे आर**	123-125
33.	354	**तारांकित**	03.04.2025	**कानूनी सहायता बचाव परामर्श प्रणाली**	**एलएपी**	126-132
34.	3782	अतारांकित	03.04.2025	फास्ट ट्रैक न्यायालयों में लंबित मामले	न्याय-II	133-136
35.	3783	अतारांकित	03.04.2025	न्यायपालिका में स्थानीय भाषाओं का प्रयोग	न्याय-I	137-139
36.	3786	अतारांकित	03.04.2025	एनजेएसी पर सरकार का दृष्टिकोण	नियुक्ति	140-141
37.	3787	अतारांकित	03.04.2025	उच्च न्यायालयों में अतिरिक्त एवं तदर्थ	नियुक्ति	142-144

				न्यायाधीश		
38.	3788	अतारांकित	03.04.2025	देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के रिक्त पद	नियुक्ति	145-147
39.	3790	अतारांकित	03.04.2025	विभिन्न न्यायालयों में रिक्तियां	नियुक्ति	148-151
40.	3794	अतारांकित	03.04.2025	कानूनी सहायता प्रणाली	एलएपी	152-153
41.	3795	अतारांकित	03.04.2025	देश में पारिवारिक न्यायालय	न्याय-II	154-160

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1704
जिसका उत्तर गुरुवार, 13 मार्च, 2025 को दिया जाना है

दिशा योजना

1704 डा. के. लक्ष्मण :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिशा योजना ने किस प्रकार टेली-लॉ, न्याय बंधु और विधिक जागरूकता कार्यक्रमों जैसी पहलों के माध्यम से न्याय तक पहुंच को बढ़ावा दिया है ; और

(ख) ग्राम पंचायतों में 1 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को मुकदमे पूर्व सलाह प्रदान करने में टेली-लॉ सेवाओं का क्या प्रभाव है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) और (ख) : वर्ष 2021 में, 250 करोड़ रुपये के परिव्यय से पांच वर्ष (2021- 2026) की अवधि के लिए "भारत में न्याय तक समग्र पहुंच के लिए अभिनव समाधान परिकल्पना" (दिशा) नामक व्यापक, अखिल भारतीय स्कीम प्रारंभ की गई थी । दिशा स्कीम का उद्देश्य टेली-लॉ, न्याय बंधु (प्रो बोनो विधिक सेवाएं) और विधिक साक्षरता और विधिक जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से विधिक सेवाओं का आसान, सुलभ, सस्ता और नागरिक केंद्रित परिदान का उपबंध करना है । दिशा स्कीम के अधीन, टेली-लॉ मोबाइल ऐप "टेली-लॉ" के माध्यम से नागरिकों को वकीलों से जोड़ता है और पूर्व-मुकदमेबाजी सलाह प्रदान करने के लिए टोल फ्री नंबर देता है; न्याय बंधु (प्रो-बोनो सेवाएं) रजिस्ट्रीकृत फायदाग्राहियों को न्यायालयों में प्रो-बोनो विधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करती है और विधिक साक्षरता और विधिक जागरूकता कार्यक्रम के अधीन, नागरिकों को उनके विधिक अधिकारों, कर्तव्यों और हकदारियों को जानने, समझने और उनका लाभ उठाने का अधिकार दिया जाता है। 28 फरवरी 2025 तक, दिशा स्कीम अपने विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से देश में लगभग 2.10 करोड़ फायदाग्राहियों तक पहुंच चुकी है।

इसके अतिरिक्त, टेली-लॉ सेवाओं ने इसके कुल 1,08,69.661 फायदाग्राहियों में से महिलाओं (39.4%), सामान्य (24%), अन्य पिछड़े वर्गों (31%), अनुसूचित जातियों (31%) और अनुसूचित जनजातियों (14%) को प्रभावित किया है। इसके अतिरिक्त, पहुंच बढ़ाने के लिए, टेली लॉ वेब पोर्टल और टेली-लॉ एप्लिकेशन का 22 अनुसूचित भाषाओं में अनुवाद किया गया है। प्रिंट और डिजिटल मीडिया दोनों के माध्यम से इसकी पहुंच बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, पूर्व-मुकदमेबाजी सलाह और न्यायालयों में विधिक प्रतिनिधित्व के लिए टेली-लॉ को न्याय बंधु (प्रो-बोनो विधिक सेवाएं) प्लेटफार्म के साथ एकीकृत करने के लिए विशेष प्रयास किए गए हैं। तत्काल विधिक सलाह और परामर्श के लिए 14454 के माध्यम से नागरिकों के लिए टोल-फ्री नंबर आरंभ किया गया है।

1

****

2

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1705
जिसका उत्तर गुरुवार, 13 मार्च, 2025 को दिया जाना है

एफटीएससी योजना को लागू करने के लिए उठाए गए कदम

1705 डा. कनिमोझी एनवीएन सोमू :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय (एफटीएससी) योजना को लागू करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ;

(ख) देश में कार्यरत एफटीएससी और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (पोक्सो) न्यायालयों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) अब तक न्यायालय-वार और राज्य-वार कितने मामले सुलझाए गए हैं ;

(घ) योजना की प्रमुख उपलब्धियां और परिणाम क्या हैं ; और

(ङ) इन न्यायालयों द्वारा बलात्कार और पोक्सो अधिनियम के मामलों के निपटान की दर क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (ग) : बलात्संग और पॉक्सो अधिनियम के मामलों के त्वरित विचारण और निपटान के लिए विशेष पॉक्सो न्यायालयों सहित त्वरित निपटान विशेष न्यायालय (एफटीएससी) की स्थापना के लिए एक केंद्र प्रायोजित स्कीम अक्टूबर, 2019 में दांडिक विधि (संशोधन) अधिनियम, 2018 के अधिनियमन और माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश [स्वतः याचिका (दांडिक) संख्या 1/2019] के आदेश के पश्चात् आरंभ की गई । इस स्कीम को निर्भया फंड से केंद्रीय हिस्से के रूप में 1207.24 करोड़ रुपये के साथ 1952.23 करोड़ रुपये के परिव्यय पर 790 न्यायालयों की स्थापना को लक्षित करते हुए 31 मार्च 2026 तक नवीनतम विस्तार के साथ दो बार बढ़ाया गया है । निधियां 7 सहायक कर्मचारियों के साथ 1 न्यायिक अधिकारी के वेतन और दैनिक व्ययों को पूरा करने के लिए फ्लेक्सी अनुदान को समाविष्ट करने के लिए सीएसएस पैटर्न (60:40, 90:10) पर जारी की जाती हैं ।

उच्च न्यायालयों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, 31.01.2025 तक, 404 विशेष पॉक्सो न्यायालयों सहित 745 एफटीएससी 30 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में कार्यशील हैं । इन न्यायालयों ने 31.01.2025 तक 3,06,000 से अधिक मामलों का निपटारा किया है । निपटाए गए मामलों की संख्या के साथ विशेष पॉक्सो न्यायालयों सहित कार्यरत त्वरित निपटान विशेष न्यायालयों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा **उपाबंध** पर है ।

(घ) : त्वरित निपटान विशेष न्यायालयों की स्थापना महिला सुरक्षा, यौन और लिंग आधारित हिंसा का मुकाबला करने, बलात्संग और पॉक्सो अधिनियम से संबंधित लंबित मामलों के बैकलॉग को कम करने

और यौन अपराधों के उत्तरजीवियों के लिए न्याय तक बेहतर पहुंच प्रदान करने के प्रति सरकार की अटूट प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करती है । संवेदनशील यौन अपराध के मामलों को संभालने में विशेषज्ञता प्राप्त वृत्तिक और अनुभवी न्यायाधीशों और सहायक कर्मचारियों के साथ, ये न्यायालय निरंतर और विशेषज्ञ-निर्देशित विधिक कार्यवाही सुनिश्चित करते हैं, जो यौन अपराधों के पीड़ितों को आघात और संकट को कम करने में तेजी से समाधान प्रदान करते हैं, और उन्हें आगे बढ़ने में सक्षम बनाते हैं । त्वरित निपटान विशेष न्यायालयों ने पीड़ितों की सुविधा के लिए और न्यायालयों को संवेदनशील विधिक प्रणाली के लिए महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करने के लिए बाल-हितैषी न्यायालयों में स्थापित करने के लिए न्यायालयों के भीतर संवेदनशील साक्षी बयान केंद्रों की स्थापना करने के दृष्टिकोण को विशेष रूप से अपनाया है। इन न्यायालयों ने 31.01.2025 तक 3,06,000 से अधिक मामलों का निपटारा किया है।

(ङ) एफटीएससी डैशबोर्ड पर उच्च न्यायालयों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, जनवरी, 2024 से दिसंबर, 2024 तक 88,902 मामले नए स्थापित किए गए, यद्यपि इस अवधि के दौरान 85,595 मामलों का निपटान किया गया, जिसके परिणामस्वरूप निपटान दर 96.28% है।

****

उपाबंध

विशेष पॉक्सो न्यायालयों और उनके निपटान सहित कार्यशील त्वरित निपटान विशेष न्यायालयों के राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरे (31.01.2025 तक)

क्र.सं.	राज्य/संघराज्य	कार्यशील न्यायालय		स्कीम के आरंभ के पश्चात् से संचयी निपटान
		विशेष पॉक्सो सहित एफटीएससी	विशेष पॉक्सो	
1	आंध्र प्रदेश	16	16	6463
2	असम	17	17	7862
3	बिहार	46	46	15059
4	चंडीगढ़	1	0	329
5	छत्तीसगढ़	15	11	5881
6	दिल्ली	16	11	2415
7	गोवा	1	0	96
8	गुजरात	35	24	14860
9	हरियाणा	16	12	7409
10	हिमाचल प्रदेश	6	3	1296
11	जम्मू-कश्मीर	4	2	272
12	झारखंड	22	16	8382
13	कर्नाटक	30	17	12731
14	केरल	55	14	23593
15	मध्य प्रदेश	67	56	30191
16	महाराष्ट्र	4	1	20653
17	मणिपुर	2	0	176
18	मेघालय	5	5	659
19	मिजोरम	3	1	247

20	नागालैंड	1	0	68
21	ओडिशा	44	23	18186
22	पुडदुचेरी*	1	1	127
23	पंजाब	12	3	4819
24	राजस्थान	45	30	17698
25	तमिलनाडु	14	14	9297
26	तेलंगाना	36	0	10499
27	त्रिपुरा	3	1	443
28	उत्तराखंड	4	0	1829
29	उत्तर प्रदेश	218	74	84802
30	पश्चिमी बंगाल	6	6	262
गैर कार्यशील				
31	अंदमान और निकोबार द्वीप **	0	0	0
32	अरुणाचल प्रदेश***	0	0	0
	कुल	745	404	306604

* पुद्दुचेरी ने विशेष रूप से **स्कीम** में शामिल होने का अनुरोध किया और तब से मई 2023 में विशेष **पॉस्को न्यायालय को प्रचालित किया जाना है** ।
** अंडमान और निकोबार द्वीप समूह ने इस स्कीम में शामिल होने की सहमति दे दी है।
अरुणाचल प्रदेश ने बलात्संग और पॉक्सो अधिनियम के लंबित मामलों की बहुत कम संख्या का हवाला देते हुए इस स्कीम से बाहर रहने का विकल्प चुना है।
टिप्पण : स्कीम के आरंभ में, देश भर में एपटीएससी का आबंटन प्रति न्यायालय 65 से 165 लंबित मामलों के मानदंड पर आधारित था, जिसका अर्थ है कि प्रत्येक 65 से 165 लंबित मामलों के लिए एक एपटीएससी की स्थापना की जाएगी। इसके आधार पर केवल 31 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र ही इस स्कमी में शामिल होने के पात्र थे।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1706
जिसका उत्तर गुरुवार, 13 मार्च, 2025 को दिया जाना है

महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध लंबित मामले

1706. श्री राजीव शुक्ला :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में वर्ष-वार और वर्तमान वर्ष के दौरान उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा निपटाए गए महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध आपराधिक मामलों की संख्या कितनी है और वर्तमान में इन न्यायालयों में लंबित ऐसे मामलों की संख्या न्यायालय-वार कितनी है ;

(ख) क्या सरकार ऐसे मामलों के शीघ्र निपटान के लिए देश में फास्ट ट्रैक न्यायालय स्थापित करने का विचार रखती है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस संबंध में अन्य क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) : मामला विनिर्दिष्ट डाटा केंद्रीय रूप से नहीं रखा जाता है। राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एनजेडीजी) पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, पिछले तीन वर्षों के दौरान उच्चतम न्यायालय द्वारा निपटाए गए दांडिक मामलों का विवरण इस प्रकार है:

क्र. सं.	2023	2024	2025 (05.03.2025 तक)
निपटाए गए दांडिक मामले	16,340	18,308	4,056

स्रोत: राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एनजेडीजी)

इसके अतिरिक्त, चालू वर्ष और वर्तमान में लंबित मामलों सहित पिछले तीन वर्षों के दौरान निपटाए गए उच्च न्यायालय-वार दांडिक मामलों का विस्तृत विवरण, **उपाबंध-1** पर दिया गया है । निपटाए गए दांडिक मामलों को एनजेडीजी पोर्टल पर "महिलाओं और बालकों के विरुद्ध दांडिक मामलों" के आधार पर वर्गीकृत नहीं किया गया है ।

(ख) से (घ) : 14वें वित्त आयोग ने जघन्य प्रकृति के विनिर्दिष्ट मामलों, महिलाओं, बालकों, वरिष्ठ नागरिकों, विकलांगों, लाइलाज बीमारियों से संक्रमित व्यक्तियों आदि से संबंधित सिविल मामलों और 5 वर्षों से अधिक समय से लंबित संपत्ति संबंधी मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए 2015-2020 के दौरान 1800 त्वरित निपटान न्यायालय (एफटीसी) स्थापित करने की सिफारिश की थी। वित्त आयोग ने राज्य सरकारों से इस उद्देश्य के लिए कर विचलन के माध्यम से उपलब्ध बढ़े हुए राजकोषीय स्थान का उपयोग करने का आग्रह किया था। केंद्रीय सरकार ने राज्य सरकारों से वित्तीय वर्ष 2015-16 से त्वरित निपटान

न्यायालय की स्थापना के लिए धन आबंटित करने का भी आग्रह किया है। उच्च न्यायालयों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, 31.01.2025 तक देश में 860 त्वरित निपटान न्यायालय क्रियाशील हैं । कार्यरत त्वरित निपटान न्यायालयों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार विवरण **उपाबंध**-2 पर दिया गया है ।

दंड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2018 के अनुसरण में, त्वरित निपटान न्यायालयों (एफटीसी) के अतिरिक्त, केंद्रीय सरकार बलातसंग और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम से संबंधित लंबित मामलों के त्वरित विचारण और समयबद्ध रीति से निपटान के लिए अक्टूबर, 2019 से अनन्य पोक्सो (ई-पोक्सो) न्यायालयों सहित त्वरित निपटान विशेष न्यायालयों (एफटीएससी) की स्थापना के लिए एक केंद्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम को लागू कर रही है। उच्च न्यायालयों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, 31.01.2025 तक 30 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में 404 अनन्य पोक्सो (ई-पोक्सो) न्यायालयों सहित 745 त्वरित निपटान न्यायालय कार्यरत हैं। इन न्यायालयों ने स्कीम के प्रारंभ से अब तक 3,06,000 से अधिक मामलों का निपटारा किया है, जबकि 2,03,000 से अधिक मामले लंबित है । क्रियाशील त्वरित निपटान विशेष न्यायालयों (एफटीएससी) का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार विवरण **उपाबंध-3** पर दिया गया है ।

****

उपाबंध-1

'महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध लंबित मामले' के संबंध पूछे गए राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1706 जिसका उत्तर तारीख 13.03.2025 को दिया जाना है, के भाग (क) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।

पिछले तीन वर्षों के दौरान निपटाए गए और वर्तमान में लंबित उच्च न्यायालयवार दांडिक मामले

क्र.सं.	उच्च न्यायालय का नाम	31-12- 2023तक निपटाए गए दांडिक मामले	31-12- 2024तक निपटाए गए दांडिक मामले	05-03- 2025तक निपटाए गए दांडिक मामले	05-03- 2025तक लंबित मामलों की संख्या
1	इलाहाबाद	149259	118707	19279	5,52,197
2	बंबई	41554	41121	7491	1,14,177
3	कलकत्ता	23814	19773	3897	27,117
4	गुवाहाटी	12164	5886	0	16,184
5	तेलंगाना	19483	17007	3533	32,075
6	आंध्र प्रदेश	10301	10991	2758	38,495
7	छत्तीसगढ	17988	21917	4917	28,238
8	दिल्ली	19333	21982	3173	37,694
9	गुजरात	44607	48449	8791	55,393
10	हिमाचल प्रदेश	9750	10755	1139	12,345
11	जम्मू-कश्मीर और लद्दाख	2769	2962	322	8,639
12	झारखंड	35123	33214	5743	40,858
13	कर्नाटक	19909	21062	4940	53,831
14	केरल	28450	31487	7321	51,546
15	मध्य प्रदेश	68563	64582	11177	1,93,088
16	मणिपुर	333	249	37	686
17	मेघालय	357	348	49	274
18	पंजाब और हरियाणा	92764	97509	16675	1,65,228
19	राजस्थान	83332	83076	14357	1,81,652
20	सिक्किम	30	48	1	65
21	त्रिपुरा	318	408	67	170
22	उत्तराखंड	8476	8287	1456	25,003
23	मद्रास	100592	98914	18832	59,385
24	उड़ीसा	45740	38304	5345	38,769
25	पटना	107952	93093	15158	99,334
कुल		**942961**	**890131**	**156458**	**18,32,443**

स्रोत: राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एनजेडीजी)

उपाबंध-2

'महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध लंबित मामले' के संबंध पूछे गए राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1706 जिसका उत्तर तारीख 13-03-2025 को दिया जाना है के भाग (ख) से (घ) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।

31.01.2025 तक त्वरित निपटान न्यायालय (एफटीसी) की राज्यवार स्थिति

क्र. सं.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का नाम	कार्यात्मक एफटीसी की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	21
2	अंदमान और निकोबार द्वीप	0
3	अरुणाचल प्रदेश	0
4	असम	16
5	बिहार	0
6	चंडीगढ़	0
7	छत्तीसगढ	25
8	दादरा और नागर हवेली तथा दीव और दमण	0
9	दिल्ली	26
10	गोवा	4
11	गुजरात	54
12	हरियाणा	6
13	हिमाचल प्रदेश	3
14	जम्मू-कश्मीर	8
15	झारखंड	39
16	कर्नाटक	0
17	केरल	0
18	लद्दाख	0
19	लक्षद्वीप	0
20	मध्य प्रदेश	0
21	महाराष्ट्र	100
22	मणिपुर	6
23	मेघालय	0
24	मिजोरम	2
25	नागालैंड	0
26	ओडिशा	0
27	पुडुचेरी	1
28	पंजाब	7
29	राजस्थान	0
30	सिक्किम	2
31	तमिलनाडु	72
32	तेलंगाना	0
33	त्रिपुरा	3
34	उत्तर प्रदेश	373
35	उत्तराखंड	4
36	पश्चिमी बंगाल	88
	कुल	**860**

(विभाग के डैशबोर्ड पर उच्च न्यायालयों द्वारा प्रस्तुत इनपुट के अनुसार)

उपाबंध-3

'महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध लंबित मामले' के संबंध पूछे गए राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1706 जिसका उत्तर तारीख 13-03-2025 को दिया जाना है, के भाग (ख) से (घ) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।

31.01.2025 तक त्वरित निपटान विशेष न्यायालय (एफटीएससी) की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार स्थिति

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	क्रियाशील न्यायालय		स्कीम के प्रारंभ से अब तक संचयी निपटान	31.01.2025 तक लंबित मामले
		ई-पोक्सो सहित एफटीएससीएस	ई-पोक्सो		
1	आंध्र प्रदेश	16	16	6463	6425
2	असम	17	17	7862	6055
3	बिहार	46	46	15059	19140
4	चंडीगढ़	1	0	329	228
5	छत्तीसगढ	15	11	5881	1898
6	दिल्ली	16	11	2415	3637
7	गोवा	1	0	96	149
8	गुजरात	35	24	14860	5680
9	हरियाणा	16	12	7409	4351
10	हिमाचल प्रदेश	6	3	1296	667
11	जम्मू-कश्मीर	4	2	272	505
12	झारखंड	22	16	8382	4198
13	कर्नाटक	30	17	12731	5436
14	केरल	55	14	23593	6495
15	मध्य प्रदेश	67	56	30191	10352
16	महाराष्ट्र	4	1	20653	572
17	मणिपुर	2	0	176	60
18	मेघालय	5	5	659	1050
19	मिजोरम	3	1	247	69
20	नागालैंड	1	0	68	52
21	ओडिशा	44	23	18186	9400
22	पुडुचेरी	1	1	127	219
23	पंजाब	12	3	4819	1509
24	राजस्थान	45	30	17698	5426
25	तमिलनाडु	14	14	9297	4525
26	तेलंगाना	36	0	10499	8424
27	त्रिपुरा	3	1	443	223
28	उत्तराखंड	4	0	1829	1052
29	उत्तर प्रदेश	218	74	84802	91125
30	पश्चिमी बंगाल	6	6	262	4235
31	अंदमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0
32	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0
	कुल	**745**	**404**	**306604**	**203157**

टिप्पण: स्कीम के प्रारंभ में, देश भर में एफटीएससी का आवंटन प्रति न्यायालय 65 से 165 लंबित मामलों के मानदंड पर आधारित था, जिसका अर्थ है कि प्रत्येक 65 से 165 लंबित मामलों के लिए एक एफटीएससी की स्थापना की जाएगी। इसके आधार पर, केवल 31 राज्य/संघ राज्यक्षेत्र ही स्कीम में शामिल होने के पात्र थे।

* पुडुचेरी ने विशेष रूप से इस स्कीम में शामिल होने का अनुरोध किया और मई 2023 में एक विशेष पोक्सो न्यायालय का संचालन शुरू कर दिया है।

** अंदमान और निकोबार द्वीप समूह ने इस स्कीम में शामिल होने के लिए सहमति दे दी है, लेकिन अभी तक किसी भी न्यायालय का संचालन नहीं किया गया है।

*** अरुणाचल प्रदेश ने बलातसंग और पोक्सो अधिनियम के लंबित मामलों की बहुत कम संख्या का हवाला देते हुए इस स्कीम से बाहर निकलने का विकल्प चुना है।

(विभाग के डैशबोर्ड पर उच्च न्यायालयों द्वारा प्रस्तुत इनपुट के अनुसार)

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1707
जिसका उत्तर गुरुवार, 13 मार्च, 2025 को दिया जाना है

टेली-लॉ योजना

1707 श्री सुजीत कुमार :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय ने कमजोर वर्ग की ग्रामीण महिलाओं पर टेली-लॉ योजना के प्रभाव का आकलन किया है, और यदि हां, तो मुख्य निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है;

(ख) योजना के लिए पैनलबद्ध किए गए वकीलों का चयन करने के लिए क्या मानदंड अपनाए गए हैं और सरकार उनके निरंतर व्यावसायिक विकास को किस प्रकार सुनिश्चित करती है; और

(ग) क्या, विशेष रूप से अल्पसेवित क्षेत्रों में अधिक लाभार्थियों को कवर करने के लिए टेली-लॉ योजना का विस्तार करने की योजना है, यदि हां, तो इस विस्तार के लिए क्या समय-सीमा तय की गई है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) : महिला लाभार्थियों सहित टेली-लॉ स्कीम के विभिन्न मापदंडों का नियमित मूल्यांकन मासिक प्रगति रिपोर्ट के माध्यम से किया जाता है। आज तक, टेली-लॉ स्कीम लगभग 33,866 महिला ग्राम स्तरीय उद्यमियों (वीएलई) के माध्यम से 42,92,045 महिलाओं (कुल लाभार्थियों का 39.4%) तक पहुँचने में सक्षम रही है, जो पंचायत स्तर पर कॉमन सर्विस सेंटर चलाती हैं। इसके अतिरिक्त, टेली-लॉ के अधीन सेवाएँ देने वाले 734 पैनल वकीलों में से 300 वकील महिलाएँ हैं।

(ख) और (ग) : टेली-लॉ कार्यक्रम के अधीन पैनल वकीलों का चयन कार्यान्वयन एजेंसी सीएससी-एसपीवी के माध्यम से किया जाता है और यह उन मानदंडों पर आधारित होता है, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ शामिल हैं- बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) में नामांकन, मुकदमेबाजी में न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव, स्थानीय/क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान और स्थानीय विधियों, कल्याणकारी विधियों और स्कीमों में दक्षता। इन वकीलों के लिए केंद्रीय स्तर पर उनके उन्मुखीकरण के लिए नियमित प्रशिक्षण आयोजित किए जाते हैं। अन्य मुद्दों के अतिरिक्त प्रशिक्षण मुख्य रूप से टेली-लॉ डिजिटल प्लेटफॉर्म और अनुप्रयोगों एवं विधिक परामर्श और सलाहकारी सेवाओं की प्रकृति पर केंद्रित है। उन्हें नवीनतम विधायी अधिनियमों और विभिन्न केंद्रीय और राज्य स्कीमों के अधीन नागरिकों के अधिकारों के विवरण के बारे में भी जागरूक किया जाता है।

टेली-लॉ सेवा का आरंभ दिशा स्कीम के अधीन प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 50,000 ग्राम पंचायतों को जोड़कर वृद्धिशील विस्तार के लिए किया गया था और स्कीम के चौथे वर्ष में इसका विस्तार 2.5 लाख ग्राम पंचायतों तक हो गया है। तथापि, टेली-लॉ कार्यक्रम पहले ही देश के 36 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के

785 जिलों (112 आकांक्षी जिलों और 500 आकांक्षी ब्लॉकों सहित) को आच्छादित करते हुए 2.5 लाख ग्राम पंचायतों में प्रचालित हो चुका है। अधिक लाभार्थियों को आच्छादित करने के लिए, टेली-लॉ को सभी नागरिकों के लिए मुफ्त कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, टेली लॉ वेब पोर्टल और टेली-लॉ एप्लिकेशन का 22 अनुसूचित भाषाओं में अनुवाद किया गया है। प्रिंट और डिजिटल मीडिया दोनों के माध्यम से इसकी पहुंच बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास किए गए हैं। न्यायालयों में पूर्व-मुकदमेबाजी सलाह और विधिक प्रतिनिधित्व के लिए टेली-लॉ को न्याय बंधु (निशुल्क विधिक सेवा) मंच के साथ भी एकीकृत किया गया है । तत्काल विधिक सलाह और परामर्श के लिए नागरिकों के लिए टोल-फी संख्या 14454 आरंभ किया गया है ।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1708
जिसका उत्तर गुरुवार, 13 मार्च, 2025 को दिया जाना है

न्यायालयों के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन

1708 डा. सस्मित पात्रा :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यायपालिका या सरकार देश में न्यायालयों के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन करती है;

(ख) यदि कार्यनिष्पादन अपेक्षानुसार नहीं है तो कौन सा प्राधिकरण तदनुसार परिवर्तन की सिफारिश और सुधार लागू करता है ;

(ग) इस संबंध में न्यायपालिका और सरकार की भूमिका क्या है ; और

(घ) क्या इन दोनो की भूमिकाओं के बीच अंतर बहुत सूक्ष्म है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (घ) : भारत में न्यायालयों के प्रदर्शन का मूल्यांकन न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में आता है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों का मूल्यांकन उनके संबंधित न्यायालयों के अनन्य अधिकार क्षेत्र में आता है, जबकि जिला और अधीनस्थ न्यायपालिका पर प्रशासनिक नियंत्रण भारत के संविधान के अनुच्छेद 235 के अनुसार संबंधित उच्च न्यायालयों में निहित है। न्यायिक दक्षता बढ़ाने और मापने योग्य प्रदर्शन मानकों को स्थापित करने के लिए, उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय न्यायालय प्रबंधन प्रणाली (एनसीएमएस) समिति का गठन किया है। एनसीएमएस समिति के अधीन एक उप-समिति ने न्यायालय उत्कृष्टता के राष्ट्रीय ढांचे (एनएफसीई) को विकसित करने पर काम किया है, जिसका उद्देश्य न्यायालयों के लिए वस्तुनिष्ठ प्रदर्शन मानक निर्धारित करना और निगरानी तंत्र स्थापित करना है। ये रिपोर्ट और सिफारिशें उच्च न्यायालयों के लिए आवश्यकतानुसार विचार करने और लागू करने के लिए दिशा-निर्देश के रूप में काम करती हैं।

सरकार, विशेष रूप से न्याय विभाग के माध्यम से, न्यायिक प्रणाली को मजबूत करने के लिए अवसंरचना के विकास और तकनीकी उन्नति के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके सहायक भूमिका निभाती है। तथापि, न्यायालय के प्रदर्शन की निगरानी और सुधार की मुख्य जिम्मेदारी न्यायपालिका के पास ही रहती है। जबकि न्यायिक सुधार और आधुनिकीकरण के क्षेत्रों में न्यायपालिका और सरकार के बीच सहयोग है, न्यायपालिका न्यायालय के प्रदर्शन का आकलन करने और उसे बढ़ाने में स्वायत्तता बनाए रखती है, जिससे इसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित होती है, जबकि दक्षता, गुणवत्ता और जवाबदेही में निरंतर संस्थागत सुधार संभव होते हैं।

*****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1709
जिसका उत्तर गुरुवार, 13 मार्च, 2025 को दिया जाना है

विधिक अवसंरचना

1709 श्री राघव चड्ढा :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले पांच वर्षों में विधिक अवसंरचना को उन्नत करने के लिए वर्ष-वार कितनी धनराशि आवंटित और उपयोग की गई है ;

(ख) क्या मंत्रालय के पास न्यायिक लंबित मामलों का निपटान करने के लिए निकट भविष्य में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करने की कोई योजना है ; और

(ग) यदि हां, तो इस दिशा में किए जा रहे किसी निवेश का ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) : न्याय विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय ने जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए केंद्रीय प्रायोजित स्कीम (सीएसएस) के माध्यम से राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की संसाधनों को पूरक किया है, जिसमें न्यायिक अधिकारियों के लिए न्यायालय कक्ष और आवासीय इकाइयाँ, वकीलों के हॉल, शौचालय परिसर और वकीलों और वादियों की सुविधा के लिए डिजिटल कंप्यूटर कक्षों के विकास के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निर्धारित धन-साझाकरण अनुपात में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 1993-94 में स्कीम के प्रारंभ से अब तक 11,88629 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। पिछले पांच वर्षों और चालू वित्तीय वर्ष के लिए स्कीम के अधीन आवंटित और उपयोग की गई निधियों का वर्षवार ब्यौरा निम्नानुसार है :-

(करोड़ रुपए में)

वित्तीय वर्ष	आवंटित निधि	उपयोग की गई धनराशि
2019-20	982.00	982.00
2020-21	593.00	593.00
2021-22	770.44	684.60
2022-23	848.00	858.00*
2023-24	1051.00	1060.17*
2024-25 (28.02.2025 की स्थिती में)	1123.40	958.28

**वित्त वर्ष 2022-23 और 2023-24 में जारी की गई थोड़ी अधिक धनराशि ग्राम न्यायालय स्कीम से निधियों के पुनर्विनियोजन के कारण है, जो न्यायिक अवसंरचना के विकास के लिए सीएसएस की एक उप स्कमी है।*

इसके अतिरिक्त, विधि और न्याय मंत्रालय, भारतीय न्यायालयों को सक्षम बनाने के लिए केंद्रीय क्षेत्रक स्कीम के रूप में ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना को भी कार्यान्वित कर रहा है। स्कीम के चरण- I (2011 से 2015) का उद्देश्य न्यायालयों को बुनियादी आईसीटी अवसंरचना प्रदान करना है, जबकि चरण- II (2015 से 2023) ने विभिन्न हितधारकों को संवधत सेवाएं प्रदान करके चरण- I को पूरक बनाया। स्कीम का चरण- III (2023 से 2027) 7210 करोड़ रुपये के पूंजीगत परिव्यय के साथ शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य संपूर्ण न्यायालयों रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण के माध्यम से डिजिटल, ऑनलाइन और पेपरलेस न्यायालयों की ओर बढ़कर न्याय की अधिकतम आसानी की व्यवस्था की शुरुआत करना और ई-सेवा केंद्रों के साथ सभी न्यायालय परिसरों की संतृप्ति के माध्यम से ई-फाइलिंग/ई-भुगतान के सार्वभौमिकरण को लाना है। मामलों को निर्धारित या प्राथमिकता देते समय न्यायाधीशों और रजिस्ट्रियों के लिए डेटा-आधारित निर्णय लेने में सक्षम बनाने के लिए बौद्धिक स्मार्ट प्रणाली स्थापित करने की योजना है। पिछले पांच वर्षों के दौरान ई-न्यायालय परियोजना के अधीन आवंटित और उपयोग की गई निधियों का वर्षवार ब्यौरा निम्नानुसार है: -

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	**बजट आवंटन**	**कुल व्यय**
2019-20	180	179.26
2020-21	180	179.31
2021-22	98.82	98.30
2022-23*	0.01	0.00
2023-24	825	768.25
2024-25 (28.02.2025 के अनुसार)	1200	1134.73

** ई-न्यायालय परियोजना का चरण- II मार्च, 2022 में पूरा हुआ और योजना का चरण- III सितंबर, 2023 में शुरू हुआ और वित्त वर्ष2022-23 के लिए1.00 लाख रुपये की टोकन राशि आवंटित की गई।*

(ख) और (ग) : भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रदान की गई जानकारी और मंत्रालय के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार, ई-न्यायालय परियोजना चरण III के अधीन, सहज उपयोगकर्ता अनुभव के लिए आधुनिक तकनीकों को एकीकृत करने और एक "स्मार्ट" प्रणाली बनाने का प्रयास किया जा रहा है जिसमें रजिस्ट्रियों में न्यूनतम डेटा प्रविष्टि और फाइलों की जांच होगी। स्मार्ट प्रणाली बनाने के लिए, कृत्रिम आसूचना (एएल) और इसके सबसेट मशीन लर्निंग (एमएल), ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन (ओसीआर), नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग (एनएलपी) आदि जैसी नवीनतम तकनीकों का उपयोग ई-न्यायालय सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों में किया जा रहा है । एआई का उपयोग बौद्धिक नियोजन, भविष्यवाणी और पूर्वानुमान, प्रशासनिक दक्षता में सुधार, प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण (एनएलपी), स्वचालित फाइलिंग, केस सूचना प्रणाली को बढ़ाने, चैटबॉट और अनुवाद के माध्यम से वादियों के साथ संवाद करने जैसे क्षेत्रों में किया जा रहा है ।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1710
जिसका उत्तर गुरुवार, 13 मार्च, 2025 को दिया जाना है

एनएएलएसए में कर्मचारियों की संख्या

1710. श्री मनोज कुमार झा :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए) ने अपने बढ़ गए कार्यकलापों के प्रबंधन के लिए 40 अतिरिक्त पदों की मंजूरी का अनुरोध किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ख) फरवरी 2025 तक एनएएलएसए में स्वीकृत और रिक्त पदों की कुल संख्या कितनी है; और

(ग) देश भर में एनएएलएसए के अधिदेश और विधिक सहायता आंदोलन का समर्थन करने के लिए रिक्त पदों को भरने और पर्याप्त कर्मचारी संख्या सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) : राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ने राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के लिए 40 अतिरिक्त पद सृजित करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है । तत्पश्चात्, पहले प्रस्तुत 40 पदों के स्थान पर, 46 अतिरिक्त पद सृजित करने के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुआ है । विवरण **उपाबंध – क** पर है ।

(ख) : राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण में सदस्य सचिव के सांविधिक पद के अतिरिक्त 33 स्वीकृत पद हैं, जिनमें से 28.02.2025 को 7 पद रिक्त हैं ।

(ग) : रिक्त पदों को भरना एक प्रशासनिक मामला है और पूर्णत: राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यक्षेत्र में आता है । तथापि, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, यथास्थिति, सीधी भर्ती, प्रतिनियुक्ति और प्रोन्नति के द्वारा रिक्त पदों को भरने के लिए आवश्यक कदम उठा रहा है । तथापि, अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण, जिसमें कोविड-19 महामारी अवधि भी है, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कुछ पद नहीं भरे जा सके । देश भर में विधिक सहायता आंदोलन का समर्थन करने के लिए पर्याप्त कर्मचारिवृंद सुनिश्चित करने के लिए, भारत के उच्चतम न्यायालय और अन्य राज्य न्यायिक सेवाओं से राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण से जुड़े अधिकारियों/कर्मचारियों के अतिरिक्त, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा, अनुबंध के आधार पर जनशक्ति को काम पर रखा जा रहा है ।

****

उपाबंध-क

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण में कर्मचारियों की संख्या -- श्री मनोज कुमार झा, संसद् सदस्य द्वारा पूछे गए राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1710, जिसका उत्तर तारीख 13.03.2025 को दिया जाना है, के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के लिए पदों के सृजन के लिए प्रस्ताव में सम्मिलित अतिरिक्त पदों का विवरण			
क्र. सं.	**पदनाम**	**वेतनमान**	**पदों की संख्या**
1.	संयुक्त सचिव	स्तर -14	1
2.	निदेशक	स्तर -13	1
3.	उप सचिव	स्तर -12	2
4.	अवर सचिव	स्तर -11	2
5.	सहायक विधि सहायता सलाहकार	स्तर -11	2
6.	प्रधान निजी सचिव	स्तर -11	1
7.	उप लेखा नियंत्रक	स्तर -11	1
8.	अधीक्षक (विधिक)	स्तर - 8	3
9.	अधीक्षक (आईटी)	स्तर - 8	1
10.	अनुभाग अधिकारी	स्तर - 8	3
11.	डेटा विश्लेषक	स्तर - 8	2
12.	सहायक लेखा अधिकारी	स्तर - 8	2
13.	सहायक अनुभाग अधिकारी	स्तर - 7	4
14.	सहायक (विधिक)	स्तर - 7	4
15.	लेखाकार	स्तर - 6	1
16.	आशुलिपिक श्रेणी-घ	स्तर - 4	2
17.	डेटा प्रविष्टि प्रचालक	स्तर - 4	2
18.	वरिष्ठ सचिवालय सहायक	स्तर - 4	2
19.	कनिष्ठ सचिवालय सहायक	स्तर - 2	4
20.	स्टाफ कार चालक	स्तर - 2	1
21.	चालक-सह-सवार हरकारा	स्तर - 2	1
22.	एमटीएस (2 फराश-सह-सफाईवाला सहित)	स्तर - 1	4
कुल पद			**46**

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1711
जिसका उत्तर गुरुवार, 13 मार्च, 2025 को दिया जाना है

पॉक्सो के लिए फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय

1711 श्री लहर सिंह सिरोया :

क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा पिछले पांच वर्षों के दौरान फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय (एफटीएससी) योजना के तहत वर्ष-वार कितनी धनराशि आवंटित और उपयोग की गई है;

(ख) देश भर में कार्यरत विशेष पॉक्सो न्यायालयों सहित एफटीएससी की राज्य-वार कुल संख्या कितनी है; और

(ग) पिछले पांच वर्षों के दौरान एफटीएससी और विशेष पॉक्सो न्यायालयों द्वारा निपटाए गए मामलों की संख्या कितनी है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (ग) : दंड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2018 के अधिनियमन और माननीय उच्चतम न्यायालय [स्वतः संज्ञान रिट (दंड) संख्या 1/2019] के आदेश के पश्चात्, अक्टूबर, 2019 में बलात्संग और पोक्सो अधिनियम के मामलों के शीघ्र निपटान के लिए त्वरित निपटान विशेष न्यायालयों (एफटीएससी) सहित अनन्य रुप से पोक्सो न्यायालयों की स्थापना के लिए एक केंद्रीय प्रायोजित स्कीम शुरू की गई थी। इस स्कीम को दो बार बढ़ाया गया है, जिसमें नवीनतम विस्तार 31 मार्च 2026 तक है, जिसका लक्ष्य 790 न्यायालयों की स्थापना करना है। स्कीम का कुल वित्तीय परिव्यय 1952.23 करोड़ रुपये है, जिसमें से 1207.24 करोड़ रुपये का केंद्रीय हिस्सा सीएसएस पैटर्न पर निर्भया निधि से उपगत किया जाना है ।
न्यायालयों के सुचारू कार्यकरण को सुनिश्चित करने के लिए इसकी शुरुआत से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को ₹ 1034.55 करोड़ की राशि जारी की गई है। वर्ष-वार आबंटित बजट और जारी की गई निधि में केंद्रीय हिस्सेदारी के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

(करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	**आबंटित बजट**	**निधि का केंद्रीय हिस्सा जारी**
2019-20	140.00	140.00
2020-21	160.00	160.00
2021-22	180.00	134.55*
2022-23	200.00	200.00
2023-24	200.00	200.00
2024-25	200.00	200.00
योग		**1034.55**
*कोविड लॉकडाउन और पीएफएमएस के कार्यान्वयन के कारण 2021-22 में आबंटित बजट के मुकाबले कम निधि जारी की गई।		

निधि सीएसएस पैटर्न (60:40, 90:10) के अनुसार जारी की जाती है और जिसके अंतर्गत एक न्यायिक अधिकारी, सात सहायक कर्मचारियों के वेतन और दैनिक व्यय को कवर करने के लिए एक फ्लेक्सी अनुदान आता है। राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को प्रतिपूर्ति के आधार पर निधि जारी की जाती है, जिसका अवधारण संबद्ध राज्य/संघ राज्यक्षेत्र में कार्यात्मक न्यायालयों की संख्या द्वारा किया जाता है। स्कीम की शुरुआत से अब तक जारी की गई निधियों के केंद्रीय हिस्से का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा **उपाबंध-1** पर दिया गया है।

उच्च न्यायालयों से प्राप्त इनपुट के अनुसार, 31.01.2025 की स्थिति के अनुसार 30 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में 745 एफटीएससी सहित 404 अनन्य रुप से पोक्सो (ई पोक्सो) न्यायालय कार्यत्मक हैं। इन न्यायालयों ने 31.01.2025 तक बलात्संग और पोक्सो अधिनियम के लगभग 3,06,000 मामलों का निपटारा किया है। अनन्य रुप से पोक्सो न्यायालयों और संचयी निपटानों सहित कार्यात्मक त्वरित निपटान विशेष न्यायालयों (एफटी एससी) का राज्य/केंद्र राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा **उपाबंध-2** पर दिया गया है।

****

उपाबंध-1

त्वरित निपटान विशेष न्यायालयों (एफटीएससी) स्कीम की शुरुआत से जारी की गई निधि में केंद्रीय हिस्से का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा (07.03.2025 की स्थिति के अनुसार)

(करोड़ों में)

क्र. सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**2019-20 में जारी रकम**	**2020-21 में जारी रकम**	**2021-22 में जारी रकम**	**2022-23 में जारी रकम**	**2023-24 में जारी रकम**	**2024-25 में जारी रकम**
1	आंध्र प्रदेश	1.8	0	0	0	0	0
2	असम	2.85625	1.86875	3.375	6.7325	5.528655	10.975085
3	बिहार	2.025	15.26255	20.25	11.895	9.874035	11.35878
4	चंडीगढ़	0.1875	0	0	0	0	0
5	छत्तीसगढ	3.375	3.375	4.259	3.93	3.25215	3.70395
6	दिल्ली	3.6	0	0	4.2225	3.46896	1.97544
7	गोवा	0.225	0	0	0.47255	0.21681	0.49386
8	गुजरात	7.875	7.875	0	9.26	7.58835	8.64255
9	हरियाणा	3.6	3.6	3.6	4.2225	3.46896	7.90176
10	हिमाचल प्रदेश	1.0125	1.51875	0	2.375	1.95129	2.22237
11	जम्मू - कश्मीर	0.5625	0	2.635	1.58	2.32086	1.48158
12	झारखंड	4.95	4.95	0	5.825	4.76982	0
13	कर्नाटक	6.975	0	6.635	7.3925	7.45091	7.65483
14	केरल	8.4	0	0	7.405	25.39836	13.58115
15	मध्य प्रदेश	15.075	15.075	26.175	17.72	15.37627	16.54431
16	महाराष्ट्र	31.05	0	0	8.72	6.59259	1.23465
17	मणिपुर	0.675	0.675	0.3375	0.785	0.65043	0.74079
18	मेघालय	1.6875	0	0	1.977	1.626075	1.851975
19	मिजोरम	1.0125	1.0125	2.02625	1.18	0.975645	1.111185
20	नागालैंड	0.3375	0.3375	0	0.3875	0.325215	0.370395
21	ओडिशा	5.4	1.3	16.2	11.64	9.52128	10.86492
22	पुडुचेरी	0	0	0.1125	0	0.195975	0.24693
23	पंजाब	2.7	0	0	4.312	3.95972	5.92632
24	राजस्थान	5.85	14.4	19.745	11.895	21.1383	22.2237
25	तमिलनाडु	3.15	3.15	2.59	6.6225	6.496035	6.91404
26	तेलंगाना	8.1	0	0	8.9875	7.60671	4.44474
27	त्रिपुरा	1.0125	1.0125	0	1.1725	0.975645	1.111185
28	उत्तराखंड	2.7	0	2.092	1.53	1.30086	1.48158
29	उत्तर प्रदेश	13.80625	84.29375	24.525	57.68	47.26458	53.83074
30	पश्चिमी बंगाल	0	0	0	0	0.70551	1.111185
	योग	**140.00**	**159.706**	**134.5573**	**199.92155**	**200.00**	**200.00**
	तृतीय पक्ष मूल्यांकन लागत		**0.29**		**0.07788**		
	कुल योग	**140.00**	**160.00**	**134.55**	**200.00**	**200.00**	**200.00**

उपाबंध-2

कार्यात्मक त्वरित निपटान विशेष न्यायालय जिसके अंतर्गत अनन्य रुप से पोक्सो न्यायालय भी है, सहित संचयी निपटान का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा (31.01.2025 की स्थिति के अनुसार)

(करोड़ों में)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कार्यात्मक न्यायालय		स्कीम की शुरुआत से अब तक संचयी निपटान		
		एफटीएससी सहित ई पॉक्सो	ई पॉक्सो	एफटीएससी	ई पॉक्सो	योग
1	आंध्र प्रदेश	16	16	0	6463	6463
2	असम	17	17	0	7862	7862
3	बिहार	46	46	0	15059	15059
4	चंडीगढ़	1	0	329	0	329
5	छत्तीसगढ	15	11	1164	4717	5881
6	दिल्ली	16	11	694	1721	2415
7	गोवा	1	0	62	34	96
8	गुजरात	35	24	2966	11894	14860
9	हरियाणा	16	12	1848	5561	7409
10	हिमाचल प्रदेश	6	3	540	756	1296
11	जम्मू - कश्मीर	4	2	115	157	272
12	झारखंड	22	16	2617	5765	8382
13	कर्नाटक	30	17	4855	7876	12731
14	केरल	55	14	16248	7345	23593
15	मध्य प्रदेश	67	56	4535	25656	30191
16	महाराष्ट्र	4	1	8660	11993	20653
17	मणिपुर	2	0	176	0	176
18	मेघालय	5	5	0	659	659
19	मिजोरम	3	1	180	67	247
20	नागालैंड	1	0	65	3	68
21	ओडिशा	44	23	6425	11761	18186
22	पुडुचेरी	1	1	0	127	127
23	पंजाब	12	3	2496	2323	4819
24	राजस्थान	45	30	5351	12347	17698
25	तमिलनाडु	14	14	0	9297	9297
26	तेलंगाना	36	0	7768	2731	10499
27	त्रिपुरा	3	1	232	211	443
28	उतराखंड	4	0	1829	0	1829
29	उत्तर प्रदेश	218	74	41238	43564	84802
30	पश्चिमी बंगाल	6	6	0	262	262
31	अंदमान और निकोबार द्वीप समूह**	0	0	0	0	0
32	अरुणाचल प्रदेश ***	0	0	0	0	0
	योग	745	404	110393	196211	306604

पुडुचेरी ने विशेष रूप से इस स्कीम में शामिल होने का अनुरोध किया और मई 2023 में एक अनन्य रुप से पोक्सो न्यायालय का प्रचालन शुरू कर दिया है

**अंदमान और निकोबार द्वीप समूह ने इस स्कीम में शामिल होने के लिए सहमति दे दी है, लेकिन अभी तक किसी भी न्यायालय का प्रचालन नहीं किया गया है।

***अरुणाचल प्रदेश ने बलात्संग और पोक्सो अधिनियम के लंबित मामलों की बहुत कम संख्या का हवाला देते हुए स्कीम से बाहर निकलने का विकल्प चुना है।

टिप्पण: स्कीम की शुरुआत में, देश भर में एफटीएससी का आवंटन प्रति न्यायालय 65 से 165 लंबित मामलों के मानदंड पर आधारित था, जिसका अर्थ है कि प्रत्येक 65 से 165 लंबित मामलों के लिए एक एफटीएससी की स्थापना की जाएगी। इसके आधार पर, केवल 31 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र इस स्कीम में शामिल होने के पात्र थे।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1712
जिसका उत्तर गुरुवार, 13 मार्च, 2025 को दिया जाना है

न्यायालयों में लंबित मामले

1712 डा. वी. शिवादासन :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान देश के न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या के वर्ष-वार और राज्य-वार आंकड़े क्या हैं ;

(ख) क्या वर्तमान में कोई ऑनलाइन विवाद समाधान तंत्र कार्यरत है ; और

(ग) देश में लंबित मामलों की संख्या को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) : देश के न्यायालयों में भारत के उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों और जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में पिछले पांच वर्षों के लिए लंबित मामलों की वर्ष-वार और राज्य-वार संख्या क्रमश: ***उपाबंध-I, II*** और ***III*** पर है ।

(ख) : विवाद समाधान के लिये सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के महत्त्व को स्वीकार करते हुए भारत सरकार ने मध्यकता अधिनियम, 2023 की धारा 30 के अधीन ऑनलाइन मध्यस्थता के उपबंधों को शामिल किया है। इसके अतिरिक्त, ऑनलाइन विवाद समाधान (ओडीआर) ई- न्यायालय परियोजना के चरण III का एक प्रमुख घटक है, जिसे 2023-24 से 2026-27 तक चार साल की अवधि में लागू किया जा रहा है। ओडीआर के उपयोग की रूपरेखा उच्चतम न्यायालय की ई-समिति द्वारा उच्च न्यायालयों के परामर्श से निर्धारित की जा रही है, जो ऑनलाइन विवाद समाधान के लिये एक संरचित और प्रभावी दृष्टिकोण सुनिश्चित करती है।

(ग) : लंबित मामलों का समयबद्ध रीति से निपटाना, न्यायपालिका के कार्यक्षेत्र के भीतर आता है। तथापि, केंद्रीय सरकार संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत यथा अधिदेशित मामलों के शीघ्र निपटान और लंबित मामलों की संख्या को कम करने के प्रति अटूट वचनबद्धता रखती है। इस उद्देश्य के लिए, सरकार ने न्यायपालिका द्वारा मामलों के शीघ्र निपटान के लिए पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करने के लिए निम्नानुसार अनेक पहलें की हैं:

i. राष्ट्रीय न्याय परिदान और विधिक सुधार मिशन की स्थापना प्रणाली में विलंब और बकाया में कमी करके पहुंच में वृद्धि करने और निष्पादन मानकों और क्षमताओं को स्थापित करने के द्वारा और संरचना परिवर्तन के माध्यम से जवाबदेहीता को बढाने के दोहरे उद्देश्यों के साथ अगस्त, 2011 में की गई थी । मिशन न्यायिक प्रशासन में बकाया और लंबित मामलों के चरणबद्ध परिसमापन के लिए

एक समन्वित दृष्टिकोण अपना रहा है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ कम्प्यूटरीकरण सहित न्यायालयों के लिए बेहतर अवसंरचना, जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की स्वीकृत संख्या में वृद्धि, अत्यधिक मुकदमेबाजी वाले क्षेत्रों में नीति और विधायी उपाय और मामलों के त्वरित निपटान के लिए न्यायालय प्रक्रिया की पुनः अभियांत्रिकी और मानव संसाधन विकास पर जोर देना शामिल है।

ii. न्यायिक अवसंरचना के विकास के लिए केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम के अधीन, राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को न्यायालय कक्षों, न्यायिक अधिकारियों के लिए आवासीय क्वार्टरों, वकीलों के हॉल, शौचालय परिसरों और डिजिटल कंप्यूटर कक्षों के निर्माण के लिए धनराशि जारी की जा रही है, जिससे वादियों सहित विभिन्न हितधारकों का जीवन आसान हो सके और न्याय प्रदान करने में सहायता मिले। 1993-94 में न्यायपालिका के लिए अवसंरचना सुविधाओं के विकास के लिए केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम (सीएसएस) की शुरुआत से अब तक 11886.29 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं । इस स्कीम के अधीन न्यायालय कक्षों की संख्या 30.06.2014 को 15,818 से बढ़कर 28.02.2025 तक 22,062 हो गई है और आवासीय इकाइयों की संख्या 30.06.2014 को 10,211 से बढ़कर 28.02.2025 तक 19,775 हो गई है।

iii. इसके अतिरिक्त ई-न्यायालय मिशन मोड परिस्कीम के चरण I और II के अधीन जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की आईटी सक्षमता के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) का लाभ उठाया गया है । 2023 तक 18,735 जिला और अधीनस्थ न्यायालयों को कम्प्यूटरीकृत किया गया। 99.5% न्यायालय परिसरों को वैन संयोजकता प्रदान की गई है। 3,240 न्यायालय परिसरों और 1,272 संबंधित जेलों के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा सक्षम की गई है । 31.01.2025 तक जिला न्यायालयों में 1572 ई-सेवा केंद्र और उच्च न्यायालयों में 39 ई-सेवा केंद्र वकीलों और वादियों को नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान करके डिजिटल डिवाइड को समाप्त करने के लिए कार्यात्मक बनाए गए हैं। 21 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में 28 आभासी न्यायालयों स्थापित की गई हैं। 31.01.2025 तक इन न्यायालयों ने 6.66 करोड़ से अधिक मामलों को संभाला है और 714.99 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना वसूला है। मत्रिमंडल ने 13.09.2023 को 7,210 करोड़ रुपये के परिव्यय पर ई-न्यायालयों चरण-III को मंजूरी दी है। चरण-I और चरण-II के लाभों को अगले स्तर पर ले जाते हुए, ई-न्यायालयों चरण-III का उद्देश्य डिजिटल, ऑनलाइन और पेपरलेस न्यायालयों की ओर बढ़ते हुए न्याय की सुगमता की व्यवस्था की शुरुआत करना है। इसका उद्देश्य न्याय वितरण को सभी हितधारकों के लिए उत्तरोत्तर अधिक मजबूत, आसान और सुलभ बनाने के लिए कृत्रिम आसूचना (एआई), ब्लॉक चेन आदि जैसी नवीनतम तकनीक को सम्मिलित करना है।

iv. सरकार भारत के उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के रिक्त पदों को नियमित रूप से भरती रही है। 01.05.2014 से 06.03.2025 तक उच्चतम न्यायालय में 66 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई। इसी अवधि के दौरान उच्च न्यायालयों में 1024 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई और 788 अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी किया गया। उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या मई, 2014 में 906 से बढ़कर अब तक 1122 हो गई है। जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृत और कार्यरत पदसंख्या में निम्नानुसार वृद्धि हुई है:

निम्न तारीख के अनुसार	स्वीकृत पद संख्या	कार्यरत पद संख्या
31.12.2013	19,518	15,115
28.02.2025	25,786	20,511

स्रोत: न्याय विभाग का एमआईएस पोर्टल

तथापि जिला और अधीनस्थ न्यायपालिका में रिक्तियों को भरना संबंधित राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में आता है।

v. अप्रैल 2015 में आयोजित मुख्य न्यायमूर्तियों के सम्मेलन में पारित प्रस्ताव के अनुसरण में, पांच वर्ष से अधिक समय से लंबित मामलों को निपटाने के लिए सभी 25 उच्च न्यायालयों में बकाया समितियों का गठन किया गया है। जिला न्यायालयों के अधीन भी बकाया समितियों का गठन किया गया है।

vi. चौदहवें वित्त आयोग के तत्वावधान में जघन्य अपराधों वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, बालकों आदि के मामलों से निपटने के लिए त्वरित निपटान न्यायालय की स्थापना की गई है। 31.01.2025 तक, जघन्य अपराधों, महिलाओं और बालकों के विरूद्ध अपराध आदि के मामलों को संभालने के लिए 860 त्वरित निपटान न्यारयालय कार्यात्मक हैं। निर्वाचित संसद् सदस्यों/विधानसभा सदस्यों से जुड़े आपराधिक मामलों को फास्ट ट्रैक करने के लिए, नौ (9) राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में दस (10) विशेष न्यायालय कार्यात्मक हैं। इसके अतिरिक्त, केंद्रीय सरकार ने बलात्संग और पाक्सो अधिनियम के लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए देश भर में फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय (एफटीएससी) स्थापित करने की स्कीम को मंजूरी दी है। 31.01.2025 तक, देश भर के 30 राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों में 404 अनन्य पाक्सो (ईपाक्सो) न्यायालयों सहित 745 एफटीएससी कार्यात्मक हैं, जिन्होंने 3,06,000 से अधिक मामलों का निपटारा किया है।

vii. न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या कम करने और कामकाज को आसान बनाने के उद्देश्य से सरकार ने विभिन्न विधियों में संशोधन किया है, जैसे कि परक्राम्य लिखत (संशोधन) अधिनियम, 2018, वाणिज्यिक न्यायालय (संशोधन) अधिनियम, 2018, विनिर्दिष्ट अनुतोश (संशोधन) अधिनियम, 2018, मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2019 और दंड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2018।

viii. वैकल्पिक विवाद समाधान विधियों को पूरे दिल से बढ़ावा दिया गया है। तदनुसार, वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 को अगस्त, 2018 में संशोधित किया गया था, जिससे वाणिज्यिक विवादों के मामले में पूर्व-संस्था मध्यस्थता और निपटान (पीआईएमएस) अनिवार्य हो गया। पीआईएमएस तंत्र की दक्षता को और बढ़ाने के लिये सरकार ने मध्यस्थता अधिनियम, 2023 के माध्यम से वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 में और संशोधन किया है। मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 में संशोधन मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) अधिनियम 2015, 2019 और 2021 द्वारा समयसीमा निर्धारित करके विवादों के त्वरित समाधान में तेजी लाने के लिए किया गया है। ।

वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 के अधीन, मामला प्रबंधन सुनवाई का उपबंध है जो किसी मामले के कुशल, प्रभावी और उद्देश्यपूर्ण न्यायिक प्रबंधन के लिए उपबंध करता है जिससे विवाद का समय पर और गुणवत्तापूर्ण समाधान प्राप्त किया जा सके। यह तथ्य और विधि के विवादित मुद्दों की शीघ्र पहचान, मामले के जीवन के लिए प्रक्रियात्मक कैलेंडर की स्थापना और विवाद के समाधान की संभावनाओं की खोज में सहायता करता है।

वाणिज्यिक न्यायालयों के लिए शुरू की गई एक अन्य नवीन विशेषता रंग बैंडिंग की प्रणाली है, जो किसी भी वाणिज्यिक मामले में दी जाने वाली स्थगन की संख्या को तीन तक सीमित कर देती है तथा न्यायाधीशों को लंबित मामलों के चरण के अनुसार मामलों को सूचीबद्ध करने के बारे में सचेत करती है।

ix. लोक अदालत आम लोगों के लिए उपलब्ध एक महत्वपूर्ण वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र है। यह एक ऐसा मंच है जहाँ न्यायालय में लंबित या मुकदमेबाजी से पहले के विवादों/मामलों का सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटारा/समझौता किया जाता है। विधिक सेवा प्राधिकरण (एलएसए) अधिनियम, 1987 के अधीन, लोक अदालत द्वारा दिया गया निर्णय सिविल न्यायालय का निर्णय माना जाता है और यह अंतिम होता है तथा सभी पक्षों पर बाध्यकारी होता है तथा इसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई अपील नहीं की जा सकती। लोक अदालत कोई स्थायी संस्था नहीं है। राष्ट्रीय लोक अदालतें सभी तालुकों, जिलों और उच्च न्यायालयों में एक साथ पूर्व-निर्धारित तारीख पर आयोजित की जाती हैं।

पिछले चार वर्षों के दौरान राष्ट्रीय लोक न्यायालयों में निपटाए गए मामलों का विवरण निम्नानुसार है: -

वर्ष	मुकदमे-पूर्व मामले	लंबित मामले	कुल योग

2021	72,06,294	55,81,743	1,27,88,037
2022	3,10,15,215	1,09,10,795	4,19,26,010
2023	7,10,32,980	1,43,09,237	8,53,42,217
2024	8,70,19,059	1,75,07,060	10,45,26,119
कुल	**19,62,73,548**	**4,83,08,835**	**24,45,82,383**

x. सरकार ने 2017 में टेली-लॉ कार्यक्रम शुरू किया, जो ग्राम पंचायतों में स्थित कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) पर उपलब्ध वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, टेलीफोन और चैट सुविधाओं और टेली-लॉ मोबाइल ऐप के माध्यम से पैनल वकीलों के साथ विधिक सलाह और परामर्श चाहने वाले जरूरतमंद और वंचित वर्गों को जोड़ने वाला एक प्रभावी और विश्वसनीय ई-इंटरफेस प्लेटफॉर्म प्रदान करता है।

*टेली-लॉ डेटा का प्रतिशतवार ब्यौरा

वर्ग	**रजिस्ट्रीकृत मामले**	**% वार ब्रेक अप**	**सलाह सक्षम**	**% वार ब्रेक अप**
लिंग वार				
महिला	43,50,146	39.53%	42,92,045	39.49%
पुरुष	66,55,274	60.47%	65,77,616	60.51%
जाति श्रेणी वार				
सामान्य	25,94,779	23.58%	25,54,696	23.50%
ओबीसी	34,67,629	31.51%	34,21,343	31.48%
अनुसूचित जाति	34,55,009	31.39%	34,19,433	31.46%
अनुसूचित जनजाति	14,88,003	13.52%	14,74,189	13.56%
कुल	**1,10,05,420**		**1,08,69,661**	

*28.02.2025 तक के आंकड़े।

xi. देश में प्रो बोनो संस्कृति और प्रो बोनो वकालत को संस्थागत बनाने के प्रयास किए गए हैं। एक तकनीकी ढांचा तैयार किया गया है, जहाँ प्रो बोनो कार्य के लिए अपना समय और सेवाएँ देने वाले अधिवक्ता न्याय बंधु (एंड्रॉइड और आईओएस और ऐप्स) पर प्रो बोनो अधिवक्ता के रूप में रजिस्ट्रीकरण कर सकते हैं। न्याय बंधु सेवाएँ उमंग प्लेटफ़ॉर्म पर भी उपलब्ध हैं। राज्य स्तर पर 23 उच्च न्यायालयों में अधिवक्ताओं का प्रो बोनो पैनल शुरू किया गया है। नवोदित वकीलों में प्रो बोनो संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए 109 लॉ स्कूलों में प्रो बोनो क्लब शुरू किए गए हैं।

****

उपाबंध- 1

'न्यायालयों में लंबित मामले' के संबंध में राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1712 जिसका उत्तर 13.03.2025 को दिया जाना है, के भाग (क) उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।

पिछले पांच वर्षों और चालू वर्ष के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय में वर्ष-वार लंबित मामले

क्र.सं.	न्यायालय	2020	2021	2022	2023	2024	*2025 (07.03.2025 के अनुसार)
1	भारत का उच्चतम न्यायालय	65,086	70,239	78,797	80,674	82,496	80,963

स्रोत: भारत का उच्चतम न्यायालय
*राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एनजेडीजी)

उपाबंध- 2

'न्यायालयों में लंबित मामले' के संबंध में राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1712 जिसका उत्तर 13.03.2025 को दिया जाना है, के भाग (क) उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।

उच्च न्यायालयों में पिछले पांच वर्षों और चालू वर्ष के लिए वर्ष-वार लंबित मामले

क्र.सं.	उच्च न्यायालय का नाम	लंबित मामले 31.12.2020 तक	31.12.2021 तक लंबित मामलों की संख्या	31.12.2022 तक लंबित मामले	31.12.2023 तक लंबित मामले	31.12.2024 तक लंबित मामले	*07.03.2025 तक लंबित मामले
1	इलाहाबाद	993031	1031587	1033621	1066111	1144553	1159107
2	बम्बई	325332	353143	380469	400461	414919	656581
3	कलकत्ता	237363	234909	220734	206437	208421	199960
4	गुवाहाटी	40998	44356	47516	49236	52341	64322
5	तेलंगाना	223064	240029	233682	231575	229221	245101
6	आंध्र प्रदेश	205556	223783	243629	251924	250051	246169
7	छत्तीसगढ़	75836	81001	91184	90240	84305	83243
8	दिल्ली	91279	101685	105625	112891	116616	132315
9	गुजरात	143167	155006	161922	167825	171948	172036
10	हिमाचल प्रदेश	74158	82354	91210	99465	93942	95161
11	जम्मू - कश्मीर और लद्दाख	59162	48318	47521	49293	50422	45388
12	झारखंड	88435	88364	87977	86000	74513	73345
13	कर्नाटक	249733	246413	264234	282039	297609	307327
14	केरल	212515	226494	240437	253190	247545	250834
15	मध्य प्रदेश	383784	408527	429567	445382	464092	474476
16	मणिपुर	2849	3218	3230	3473	3651	5389
17	मेघालय	1064	1201	920	841	950	1281
18	पंजाब और हरियाणा	378856	451985	446068	436630	422295	428753
19	राजस्थान	518499	560062	604868	601278	610027	669970
20	सिक्किम	239	179	163	178	208	219
21	त्रिपुरा	2343	1736	1602	1269	1038	1031
22	उत्तराखंड	37923	40963	44512	49846	55323	56261
23	मद्रास	269417	259980	234545	212921	198110	520999
24	उड़ीसा	172900	196483	164622	146884	146293	150005
25	पटना	179462	226071	212173	197158	202289	206822
कुल		**4966965**	**5307847**	**5392031**	**5442547**	**5540682**	**6246095**

स्रोत: भारत का उच्चतम न्यायालय

*राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एनजेडीजी)

उपाबंध- 3

'न्यायालयों में लंबित मामले' के संबंध में राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1712 जिसका उत्तर 13.03.2025 को दिया जाना है, के भाग (क) उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।

पिछले पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में वर्ष-वार लंबित मामले

क्र.सं.	राज्यों	लंबित मामले 31.12.2020 तक	31.12.2021 तक लंबित मामलों की संख्या	31.12.2022 तक लंबित मामले	31.12.2023 तक लंबित मामले	31.12.2024 तक लंबित मामले	07.03.2025 तक लंबित मामलों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	649157	785379	841998	876689	893993	920059
2	तेलंगाना	691646	790360	841405	873848	907392	945370
3	अंदमान और निकोबार	9839	9321	9234	9950	10407	8068
4	अरुणाचल प्रदेश	12651	14318	15923	16556	15335	9895
5	असम	360753	415024	485455	445759	491720	510050
6	बिहार	3016743	3276696	3464725	3609527	3716100	3616535
7	चंडीगढ़	70633	72384	89254	104116	120210	103309
8	छत्तीसगढ़	331849	381984	414839	414463	417325	478849
9	दिल्ली	1018642	1231373	1440549	1359103	1527969	1537159
10	दीव और दमण	6281	6523	6733	7305	3255	3306
11	सिलवासा में डी.एन.एच.					4485	4553
12	गोवा	58967	59414	56319	57195	59190	60162
13	गुजरात	1917992	1952262	1725939	1547276	1528794	1715270
14	हरियाणा	1101330	1313881	1496883	1533521	1489585	1465203
15	हिमाचल प्रदेश	420891	464892	483642	578246	631442	645127
16	जम्मू - कश्मीर	198771	216245	272543	247244	266146	356904
17	लद्दाख						1465
18	झारखंड	427130	490905	504697	524241	521274	546483
19	कर्नाटक	1709220	1780802	1864827	1925330	2060206	2256314
20	केरल	2089289	2089147	1991193	1851414	1750373	1747110
21	मध्य प्रदेश	1727293	1920613	2008566	2023950	2052363	2037051
22	महाराष्ट्र	4504573	4800895	4953521	5131895	5510544	5563715
23	मणिपुर	6957	8183	7590	8125	7615	12560
24	मेघालय	15830	16010	15014	14136	13227	15032
25	मिजोरम	6338	6304	5620	6113	6480	6658
26	नागालैंड	4206	4569	4443	3923	3881	3353
27	उड़ीसा	1592250	1789677	1826100	1873312	1920825	1658162
28	पुडुचेरी	33470	32998	31868	32086	33352	35463
29	पंजाब	843791	945609	923581	875009	863867	878123
30	राजस्थान	1947688	2162774	2272463	2422125	2455623	2414983
31	सिक्किम	1455	1616	1696	1523	1659	1702
32	तमिलनाडु	1263758	1331944	1387919	1375098	1386582	1539857
33	त्रिपुरा	44654	43096	40661	43526	43098	53098
34	लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्र	453	470	540	512	535	527
35	उत्तर प्रदेश	8781104	9966606	10986875	11147755	11486655	11880542
36	उत्तराखंड	249350	287204	308694	331002	328911	354653
37	पश्चिमी बंगाल	2170788	2384020	2512418	2698188	2923585	3385051
कुल		**37285742**	**41053498**	**43293727**	**43970061**	**45454003**	**46771721**

स्रोत: भारत का उच्चतम न्यायालय

*राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एनजेडीजी)

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1714
जिसका उत्तर गुरुवार, 13 मार्च, 2025 को दिया जाना है

न्यायिक प्रणाली में एआई

1714 डा. फौजिया खान :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) न्यायिक प्रक्रियाओं में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को सम्मिलित करने में मामलों के प्रबंधन, कानूनी अनुसंधान और अनुवाद सेवाओं सहित प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं ;

(ख) वर्तमान में एआई-संचालित अनुवाद उपकरणों और समर्थित भाषाओं का उपयोग करने वाले न्यायालयों की संख्या कितनी है ;

(ग) क्या एआई-संचालित अनुवाद ने मानव अनुवादकों को विस्थापित कर दिया है और कानूनी क्षेत्र में रोजगार पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है ;

(घ) एआई न्यायपालिका में नौकरियों को समाप्त करने के बजाय रोजगार को बढ़ावा दे, इसके लिए सरकार की कार्यनीति क्या है ; और

(ङ) क्या न्यायालयों में एआई को अपनाने के संबंध में कोई प्रभाव आकलन किया गया है और इस क्षेत्र में भविष्य के रोजगार रुझानों पर क्या निष्कर्ष निकले हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) : भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, मामला प्रबंधन, विधिक अनुसंधान और अनुवाद सेवाओं सहित कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को न्यायिक प्रक्रियाओं में एकीकृत करने में कुछ प्रमुख चुनौतियों में एआई सक्षम परिणामों की सटीकता सुनिश्चित करने के अलावा एआई एल्गोरिदम में संभावित पूर्वाग्रह, भाषा अवरोध, अनुवाद सटीकता, डेटा की गोपनीयता/सुरक्षा पर चिंताएं, मशीन/एआई अनुवादित दस्तावेजों के मैनुअल सत्यापन की आवश्यकता सम्मिलित हैं ।

(ख) : भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, आज की तारीख तक, 14 उच्च न्यायालय निर्णयों के अनुवाद के लिए एआई संचालित उपकरणों का उपयोग कर रहे हैं । इसका ब्यौरा उपाबंध-1 पर है ।

(ग) और (घ) : एआई-चालित अनुवाद उपकरणों के प्रयोग के कारण मानव अनुवादकों के विस्थापन और विधिक क्षेत्रों में रोजगार पर इसके समग्र प्रभाव के संबंध में आंकड़े केन्द्रीय रूप से नहीं रखे जाते हैं । जबकि सरकार रोजगार सृजन की जरूरतों के प्रति संवेदनशील है, भारत के उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा विभिन्न हितधारकों जैसे न्यायालय के कर्मचारियों, अधिवक्ताओं, न्यायाधीशों आदि

को प्रशिक्षित करने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिनका विवरण ई-समिति, भारत के उच्चतम न्यायालय के वेब पोर्टल लिंक पर उपलब्ध है :

https://ecommitteesci.gov.in/document-category/training-and-awareness-programmes/

(ङ) : भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, अब तक ऐसा कोई प्रभाव मूल्यांकन नहीं किया गया है।

*****

<u>उपाबंध-1</u>

न्यायिक प्रणाली में एआई के संबंध में 13/03/2025 को राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1714 के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण । एआई संचालित अनुवाद उपकरणों का उपयोग करने वाले उच्च न्यायालयों का विवरण नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	**उच्च न्यायालय**	**समर्थित भाषा**
1.	कर्नाटक	कन्नड़
2.	आंध्र प्रदेश	तेलुगु
3.	तेलंगाना	तेलुगु
4.	कलकत्ता	बंगला
5.	इलाहाबाद	हिन्दी
6.	पटना	हिन्दी
7.	सिक्किम	नेपाली
8.	केरल	मलयालम
9.	झारखंड	हिन्दी
10.	मद्रास	तमिल
11.	बम्बई	मराठी
12.	हिमाचल प्रदेश	हिन्दी
13.	दिल्ली	हिन्दी और अंग्रेजी
14.	जम्मू-कश्मीर और लद्दाख	उर्दू

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1715
जिसका उत्तर गुरुवार, 13 मार्च, 2025 को दिया जाना है

भारतीय न्यायालयों में लंबित मामलों का समाधान

1715 श्री विवेक के. तन्खा :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित मामलों की वर्तमान संख्या कितनी है, तथा इन लंबित मामलों को कम करने के लिए क्या विशिष्ट उपाय किए जा रहे हैं ;

(ख) क्या सरकार बैकलॉग का समाधान करने के लिए न्यायिक अवसंरचना को बढ़ाने और अधिक न्यायाधीशों की नियुक्ति करने की योजना बना रही है ; और

(ग) महिलाओं, बच्चों और अन्य कमजोर समूहों से जुड़े मामलों के लिए फास्ट ट्रैक न्यायालयों को क्रियांवित करने की स्थिति क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) : राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (एनजेडीजी) पोर्टल के अनुसार, 06.03.2025 तक देश भर के न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या निम्नानुसार है:

क्र.सं.	न्यायालय का नाम	लंबित मामलों की संख्या
1.	भारत का उच्चतम न्यायालय	80,963
2.	उच्च न्यायालय	62,46,095
3.	जिला और अधीनस्थ न्यायालय	4,67,69,935

जबकि मामलों का निपटान न्यायपालिका के क्षेत्राधिकार में आता है, सरकार, भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार एक ऐसी पारिस्थितिकी तंत्र सृजित करने के लिए प्रतिबद्ध है जो मामलों के त्वरित समाधान को सुकर बनाए। लंबित मामलों का समाधान करने के लिए, विलंबों और बकाया मामलों में कमी करने तथा न्यायिक दक्षता और जवाबदेही में वृद्धि करने के दोहरे उद्देश्यों के साथ वर्ष 2011 में राष्ट्रीय न्याय परिदान और विधिक सुधार मिशन की स्थापना की गई थी। मिशन, एक समन्वित दृष्टिकोण का अनुसरण करता है, जिसके अंतर्गत न्यायालय अवसंरचना में सुधार करना, न्यायिक अधिकारियों की संख्या में वृद्धि करना, अत्यधिक मुकदमेबाजी को न्यूनतम करने के लिए नीति और विधायी उपायों का कार्यान्वयन करना, मामले निपटान में तेजी लाने के लिए न्यायिक प्रक्रियाओं को सरल बनाना और बेहतर मामला प्रबंध के लिए मानव संसाधन विकास में निवेश करना है।

इस दृष्टिकोण के अनुरूप, सरकार ने न्यायिक अवसंरचना के विकास के लिए केंद्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम (सीएसएस) के माध्यम से न्यायिक अवसंरचना को पर्याप्त रूप से सुदृढ़ किया है। इससे न्यायालय हॉल में 15,818 (2014) से 22,062 (2025) और न्यायिक अधिकारियों के लिए आवासीय इकाइयों में 10,211 (2014) से 19,775 (2025) तक उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त, ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना, जो अब चरण- III में है, का उद्देश्य एआई, ब्लॉकचेन और स्मार्ट मामला प्रबंधन प्रणाली का लाभ उठाते हुए डिजिटल, ऑनलाइन और पेपरलेस न्यायालय की ओर संक्रमण करना है। मामलों के निपटान में तेजी लाने के लिए, सभी उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों में बकाया समितियां स्थापित की गई हैं और जघन्य अपराधों और कमजोर समूहों के प्रति अपराधों से संबंधित मामलों को निपटाने के लिए त्वरित निपटान न्यायालयों (एफटीसी) और विशेष न्यायालयों की स्थापना की गई है। इसके अलावा, वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015, मध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996, परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 और आपराधिक विधियों में विधायी संशोधनों ने न्यायिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित किया है, जबकि वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर) तंत्र, जैसे लोक अदालतों और पूर्व-संस्था मध्यकता ने मामले के बैकलॉग को काफी कम कर दिया है । वर्ष 2021 से लोक अदालतों ने मुकदमेबाजी का एक कुशल विकल्प प्रदान करते हुए 24.45 करोड़ से अधिक मामलों का समाधान किया है। इसके अतिरिक्त, टेली-लॉ, जिसने 1.08 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को कानूनी सलाह प्रदान की है और न्याय बंधु, जो नि: शुल्क कानूनी सेवाओं को बढ़ावा देता है, जैसी पहलों ने जमीनी स्तर पर न्याय तक पहुंच बढ़ाई है।

(ख) : सरकार, न्यायालयों की दक्षता में सुधार करने और न्याय तक बेहतर पहुंच को सुकर बनाने के लिए न्यायिक अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध है। न्यायिक अवसंरचना विकास के लिए केंद्रीय प्रायोजित स्कीम (सीएसएस) के अधीन, न्यायालय हॉलों, न्यायिक अधिकारियों के लिए आवासीय इकाइयों, अधिवक्ता हॉलों, प्रसाधन परिसरों और डिजीटल कम्प्यूटर कक्षों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। स्कीम की शुरुआत के बाद से, 11,886.29 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जिसमें 2014-15 से 8,441.99 करोड़ रुपये (71.02%) वितरित किए गए हैं। इस स्कीम को 9,000 करोड़ रुपये के परिव्यय पर 2025-26 तक बढ़ा दिया गया है, जिसमें केंद्रीय हिस्से के रूप में 5,307 करोड़ रुपये शामिल हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए, 28.02.2025 तक 958.28 करोड़ रुपये पहले ही वितरित किए जा चुके हैं और वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 998 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

न्यायालय प्रचालनों को और अधिक आधुनिक बनाने के लिए, सरकार, ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना को, जो एक केंद्रीय सेक्टर स्कीम है, कार्यान्वित कर रही है जिसका उद्देश्य न्यायालय प्रक्रियाओं का डिजिटलीकरण करना और न्यायिक दक्षता में वृद्धि करना है। अब चरण- III (2023-2027) में, 7,210 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ, परियोजना सार्वभौमिक ई-फाइलिंग, डिजिटल केस रिकॉर्ड और केस प्रबंधन और प्राथमिकता के लिए स्मार्ट सिस्टम पर केंद्रित है। इन पहलों का उद्देश्य लंबित मामलों की संख्या को कम करना, सुलभता बढ़ाना और न्यायिक प्रक्रियाओं को अधिक पारदर्शी और प्रौद्योगिकी संचालित बनाना है।

उच्चतर न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच एक सतत और सहयोगात्मक प्रक्रिया है, जिसके लिए राज्य और केन्द्रीय दोनों स्तरों पर विभिन्न सांविधानिक प्राधिकरणों से परामर्श और अनुमोदन अपेक्षित होता है।

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायिक नियुक्तियां संविधान के अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 217 और अनुच्छेद 224 द्वारा शासित होती हैं। प्रक्रिया ज्ञापन (एमओपी) के अनुसार, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति, उच्चतम न्यायालय की नियुक्तियों के लिए प्रस्ताव आरंभ करते हैं, जबकि संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति, दो वरिष्ठतम अवर न्यायाधीशों के परामर्श से उच्च न्यायालय की नियुक्तियों की प्रक्रिया आरंभ करते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में सिफारिशें, सलाह के लिए उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम (एससीसी) को अग्रेषित किए जाने से पहले,

राज्य सरकार से प्राप्त जानकारी और अन्य संगत रिपोर्टों सहित अनेक स्तरों की संवीक्षा से गुजरती हैं। मई 2014 से उच्चतम न्यायालय में 66 न्यायाधीशों और विभिन्न उच्च न्यायालयों में 1,024 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 233 और अनुच्छेद 234 के अनुसार, जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में नियुक्तियां राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों की अधिकारिता के अंतर्गत आती हैं। भर्ती प्रक्रिया, उच्च न्यायालयों के परामर्श से राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा शासित होती है।

(ग) : महिलाओं, बच्चों और अन्य कमजोर वर्गों से संबंधित मामलों की शीघ्र सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए, सरकार ने कई पहल की हैं। 14वां वित्त आयोग (2015-2020) ने जघन्य अपराधों, महिलाओं, बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों से संबंधित सिविल विवादों और पांच साल से अधिक समय से लंबित संपत्ति संबंधी मामलों से जुड़े मामलों के लिये 1,800 त्वरित निपटान न्यायालयों (एफटीसी) की स्थापना की सिफारिश की। संघ सरकार ने राज्य सरकारों से त्वरित निपटान न्यायालयों के लिए धन आवंटित करने का आग्रह किया, जिससे कर अंतरण से बढ़े हुए राजकोषीय अंतराल का लाभ उठाया जा सके। उच्च न्यायालयों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, 31.01.2025 तक देश भर में 860 त्वरित निपटान न्यायालय कार्यरत हैं। कार्यशील त्वरित निपटान न्यायालयों के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरे **उपाबंध-1** पर दिए गए हैं ।

इसके अतिरिक्त, पॉक्सो अधिनियम के अधीन बलात्कार और बाल यौन शोषण से संबंधित मामलों के शीघ्र निपटान को सुकर बनाने के लिए अक्टूबर, 2019 में विशेष त्वरित निपटान न्यायालय (एफटीएससी) के लिए केंद्रीय प्रायोजित स्कीम आरंभ की गई थी। उच्च न्यायालयों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, 31.01.2025 तक 30 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में 404 अनन्य पॉक्सो (ई-पाक्सो) न्यायालयों सहित 745 विशेष त्वरित निपटान न्यायालय चालू हैं। स्कीम के आरंभ के पश्चात् से, इन न्यायालयों ने 3,06,000 से अधिक मामलों का निपटारा किया है, जबकि 2,03,000 मामले लंबित हैं। कार्यरत त्वरित निपटान विशेष न्यायालयों (एफटीएससी) का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा **उपाबंध-2** पर है ।

****

उपाबंध-1

'भारतीय न्यायालयों में लंबित मामलों का समाधान करने' के संबंध में 13.03.2025 को उत्तर के लिए राज्यसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1715 के भाग (ग) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण।

31.01.2025 तक त्वरित निपटान न्यायालय (एफटीसी) की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार स्थिति

क्र.सं.	राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के नाम	कार्यात्मक एफटीसी की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	21
2	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0
3	अरुणाचल प्रदेश	0
4	असम	16
5	बिहार	0
6	चंडीगढ़	0
7	छत्तीसगढ़	25
8	दादरा और नागर हवेली और दीव और दमण	0
9	दिल्ली	26
10	गोवा	4
11	गुजरात	54
12	हरियाणा	6
13	हिमाचल प्रदेश	3
14	जम्मू-कश्मीर	8
15	झारखंड	39
16	कर्नाटक	0
17	केरल	0
18	लद्दाख	0
19	लक्षद्वीप	0
20	मध्य प्रदेश	0
21	महाराष्ट्र	100
22	मणिपुर	6
23	मेघालय	0
24	मिजोरम	2
25	नागालैंड	0
26	ओडिशा	0
27	पुडुचेरी	1
28	पंजाब	7
29	राजस्थान	0
30	सिक्किम	2
31	तमिलनाडु	72
32	तेलंगाना	0
33	त्रिपुरा	3
34	उत्तर प्रदेश	373
35	उत्तराखंड	4
36	पश्चिमी बंगाल	88
	कुल	**860**

(विभाग डैशबोर्ड पर उच्च न्यायालयों द्वारा प्रस्तुत इनपुट के अनुसार)

उपाबंध-2

'भारतीय न्यायालयों में लंबित मामलों का समाधान करने' के संबंध में 13.03.2025 को उत्तर के लिए राज्यसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1715 के भाग (ग) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण।

31.01.2025 तक विशेष त्वरित निपटान न्यायालय (एफटीएससी) की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार स्थिति

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	कार्यात्मक न्यायालय	
		ई-पॉक्सो सहित एफटीएससी	ईपोक्सो
1	आंध्र प्रदेश	16	16
2	असम	17	17
3	बिहार	46	46
4	चंडीगढ़	1	0
5	छत्तीसगढ़	15	11
6	दिल्ली	16	11
7	गोवा	1	0
8	गुजरात	35	24
9	हरियाणा	16	12
10	हिमाचल प्रदेश	6	3
11	जम्मू-कश्मीर	4	2
12	झारखंड	22	16
13	कर्नाटक	30	17
14	केरल	55	14
15	मध्य प्रदेश	67	56
16	महाराष्ट्र	4	1
17	मणिपुर	2	0
18	मेघालय	5	5
19	मिजोरम	3	1
20	नागालैंड	1	0
21	ओडिशा	44	23
22	पुडुचेरी*	1	1
23	पंजाब	12	3
24	राजस्थान	45	30
25	तमिलनाडु	14	14
26	तेलंगाना	36	0
27	त्रिपुरा	3	1
28	उत्तराखंड	4	0
29	उत्तर प्रदेश	218	74
30	पश्चिमी बंगाल	6	6
31	अंदमान और निकोबार द्वीप समूह**	-	-
32	अरुणाचल प्रदेश***	-	-
	कुल	**745**	**404**

***** पुडुचेरी ने विशेष रूप से स्कीम में शामिल होने का अनुरोध किया और तब से मई 2023 में एक विशेष पॉक्सो न्यायालय का संचालन किया है।
****अंडमान** और निकोबार द्वीप समूह ने स्कीम में शामिल होने की अपनी इच्छा व्यक्त की है, लेकिन अभी तक कोई एफटीएससी स्थापित नहीं किया है।
***अरुणाचल प्रदेश ने बलात्कार और पॉक्सो अधिनियम के लंबित मामलों की बहुत कम संख्या का हवाला देते हुए इस स्कीम से बाहर रहने का विकल्प चुना है।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1716
जिसका उत्तर गुरुवार, 13 मार्च, 2025 को दिया जाना है

विभिन्न उच्च न्यायालया में दायर किए गए और निपटाए गए मामले

1716 श्री नीरज शेखर :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2023, 2024 और 2025 के दौरान आज की तिथि तक विभिन्न उच्च न्यायालयों में दायर किए गए और निपटाए गए मामलों की संख्या का उच्च न्यायालय-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है ;

(ख) आज की तिथि तक विभिन्न उच्च न्यायालयों में लंबित सिविल और आपराधिक दोनों प्रकार के मामलों का उच्च न्यायालय-वार ब्यौरा क्या है ; और

(ग) गरीब वादियों को राहत प्रदान करने के लिए विभिन्न उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों को कम करने के लिए किए गए/किए जा रहे प्रयासों का ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) : राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एनजेडीजी) पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, वर्ष 2023, वर्ष 2024 और वर्ष 2025 के दौरान आज की तारीख तक विभिन्न उच्च न्यायालयों में फाइल किए गए और निपटाए गए मामलों की संख्या का उच्च न्यायालय वार और वर्ष वार ब्यौरा **उपाबंध-1** पर है ।

(ख) : राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एनजेडीजी) पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, आज की तारीख तक विभिन्न उच्च न्यायालयों में लंबित सिविल और दांडिक दोनों मामलों का उच्च न्यायालय वार ब्यौरा **उपाबंध-2** पर है ।

(ग) : न्यायालयों में मामलों का निपटारा न्यायपालिका के अधिकारक्षेत्र में आता है। तथापि, केंद्रीय सरकार संविधान के अनुच्छेद 21 के अधीन यथा अधिदिष्ट मामलों के त्वरित निपटान और लंबित मामलों को कम करने के प्रति अटल प्रतिबद्धता रखती है। इस उद्देश्य के लिए, सरकार ने न्यायपालिका द्वारा मामलों के त्वरित निपटान के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करने के लिए कई पहल की हैं, जो निम्नानुसार हैं:

i. न्याय परिदान और विधिक सुधारों के लिए राष्ट्रीय मिशन की स्थापना अगस्त, 2011 में की गई थी, जिसके दोहरे उद्देश्य थे - प्रणाली में विलम्ब और बकाया मामलों की संख्या को कम करके पहुँच बढ़ाना और संरचनात्मक परिवर्तनों के माध्यम से जवाबदेही बढ़ाना तथा निष्पादन मानकों और क्षमताओं को निर्धारित करना। मिशन न्यायिक प्रशासन में बकाया मामलों की संख्या और लंबित मामलों की संख्या के चरणबद्ध परिसमापन के लिए एक समन्वित दृष्टिकोण का अनुसरण कर

रहा है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, कम्प्यूटरीकरण सहित न्यायालयों के लिए बेहतर अवसंरचना, जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की स्वीकृत पद संख्या में वृद्धि, अत्यधिक मुकदमेबाजी वाले क्षेत्रों में नीति और विधायी उपाय और मामलों के त्वरित निपटान के लिए न्यायालय प्रक्रिया की पुनः इंजीनियरिंग और मानव संसाधन विकास पर बल देना सम्मिलित है।

ii. न्यायिक अवसंरचना के विकास के लिए केंद्रीय रुप से प्रायोजित स्कीम के अधीन, राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को न्यायालय कक्षों, न्यायिक अधिकारियों के लिए आवासीय क्वार्टरों, वकीलों के हॉल, शौचालय परिसरों और डिजिटल कंप्यूटर कक्षों के संनिर्माण के लिए निधियां जारी की जा रही हैं, जिससे वादकारियों सहित विभिन्न पणधारियों का जीवन सरल हो सके और जिसके परिणामस्वरूप न्याय परिदान में सहायता मिल सके। वर्ष 1993-94 में न्यायपालिका के लिए अवसंरचना सुविधाओं के विकास के लिए केंद्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम (सीएसएस) के आरंभ होने के समय से अब तक 11886.29 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं। इस स्कीम के अधीन न्यायालय कक्षों की संख्या तारीख 30.06.2014 को 15,818 से बढ़कर तारीख 28.02.2025 तक 22,062 हो गई है और आवासीय इकाइयों की संख्या तारीख 30.06.2014 को 10,211 से बढ़कर तारीख 28.02.2025 तक 19,775 हो गई है।

iii. इसके अलावा, ई-कोर्ट मिशन मोड परियोजना के चरण I और II के अधीन, जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की आईटी सक्षमता के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) का लाभ उठाया गया है। वर्ष 2023 तक 18,735 जिला और अधीनस्थ न्यायालयों को कम्प्यूटरीकृत किया गया। 99.5% न्यायालय परिसरों को डब्ल्यूएएन कनेक्टिविटी प्रदान की गई है। 3,240 न्यायालय परिसरों और 1,272 तत्स्थानी जेलों के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा प्रदान की गई है । तारीख 31.01.2025 तक, जिला न्यायालयों में 1572 ई-सेवा केंद्र और उच्च न्यायालयों में 39 ई-सेवा केंद्र वकीलों और वादकारियों को नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान करके डिजिटल डिवाइड को पाटने के लिए कार्यात्मक बनाए गए हैं। 21 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में 28 आभासी न्यायालय स्थापित किए गए हैं। तारीख 31.01.2025 तक, इन न्यायालयों ने 6.66 करोड़ से अधिक मामलों पर कार्रवाई की है और 714.99 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना वसूल किया है। मंत्रिमंडल ने तारीख 13.09.2023 को 7,210 करोड़ रुपये के परिव्यय पर ई-न्यायालय चरण-3 को मंजूरी दी है। चरण-1 और चरण-2 के अभिलाभों को अगले स्तर पर ले जाते हुए, ई-न्यायालय चरण-3 का उद्देश्य डिजिटल, ऑनलाइन और पेपरलेस न्यायालयों की ओर बढ़ते हुए न्याय की वर्धित सुगमता की व्यवस्था में प्रवेश करना है। इसका आशय न्याय परिदान को सभी पणधारियों के लिए उत्तरोत्तर अधिक मजबूत, सरल और सुगम्य बनाने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) ब्लॉक चेन आदि जैसी नवीनतम तकनीक को समाविष्ट करना है।

iv. सरकार, भारत के उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के रिक्त पदों को नियमित रूप से भरती रही है। तारीख 01.05.2014 से 06.03.2025 तारीख तक उच्चतम न्यायालय में 66 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई। इसी अवधि के दौरान उच्च न्यायालयों में 1024 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई और 788 अपर न्यायाधीशों को स्थायी किया गया। उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या मई 2014 में, 906 से बढ़कर अब तक 1122 हो गई है। जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृत पद और कार्यरत पद संख्या में निम्नानुसार वृद्धि हुई है:

निम्नलिखित तारीख तक	स्वीकृत पद संख्या	कार्यरत पद संख्या

31.12.2013	19,518	15,115
28.02.2025	25,786	20,511

स्रोत: न्याय विभाग का एमआईएस पोर्टल

तथापि, जिला और अधीनस्थ न्यायपालिका में रिक्तियों को भरना संबंधित राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में आता है।

v. अप्रैल, 2015 में आयोजित मुख्य न्यायामूर्तियों के सम्मेलन में पारित संकल्प के अनुसरण में, पांच साल से अधिक समय से लंबित मामलों को निपटाने के लिए सभी 25 उच्च न्यायालयों में बकाया मामले समितियों का गठन किया गया है। जिला न्यायालयों के अधीन भी बकाया मामले समितियों का गठन किया गया है।

vi. चौदहवें वित्त आयोग के तत्वावधान में, जघन्य अपराधों के मामलों, वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, बच्चों आदि से जुड़े मामले से निपटने के लिए त्वरित निपटान न्यायालय की स्थापना की गई है। तारीख 31.01.2025 तक, जघन्य अपराधों, महिलाओं और बच्चों के विरूद्ध अपराध आदि के मामलों पर कार्रवाई करने के लिए 860 त्वरित निपटान न्यायालय कार्यात्मक हैं। निर्वाचित संसद सदस्यों /विधायकों से जुड़े आपराधिक मामलों को त्वरित निपटान करने के लिए, नौ (9) राज्यों / संघ राज्यक्षेत्रों में दस (10) विशेष न्यायालय कार्यात्मक हैं। इसके अतिरिक्त, केंद्रीय सरकार ने बलात्कार और पॉक्सो अधिनियम के लंबित मामलों के त्वरित निपटान के लिए देश भर में त्वरित निपटान विशेष न्यायालय (एफटीएससीएस) स्थापित करने की स्कीम को मंजूरी दी है। तारीख 31.01.2025 तक, देश भर के 30 राज्यों / संघ राज्यक्षेत्रों में 404 अनन्य पॉक्सो (ई-पॉक्सो) न्यायालयों सहित 745 एफटीएससीएस कार्यात्मक हैं जिन्होंने 3,06,000 से अधिक मामलों का निपटारा किया है ।

vii. न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या कम करने और कामकाज को सरल बनाने की दृष्टि से, सरकार ने, विभिन्न विधियों, जैसे परक्राम्य लिखत (संशोधन) अधिनियम, 2018, वाणिज्यिक न्यायालय (संशोधन) अधिनियम, 2018, विनिर्दिष्ट अनुतोष (संशोधन) अधिनियम, 2018, मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2019 और दांडिक विधि (संशोधन) अधिनियम, 2018 में संशोधन किया है।

viii. वैकल्पिक विवाद समाधान पद्धतियों को पूरे मन से बढ़ावा दिया गया है। तदनुसार, वाणिज्यिक विवादों के मामले में, अगस्त 2018 में, वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 में संशोधन किया गया, जिससे पूर्व-संस्थन मध्यस्थता और निपटान (पीआईएमएस) अनिवार्य हो गया। पीआईएमएस तंत्र की दक्षता को और बढ़ाने के लिए, सरकार ने मध्यस्थता अधिनियम, 2023 के माध्यम से वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 में और संशोधन किया है। समयसीमा विहित करके विवादों के त्वरित समाधान में तेजी लाने के लिए मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2015, 2019 और 2021 द्वारा मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 में संशोधन किया गया है।

वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 के अधीन, मामला प्रबंधन सुनवाई का उपबंध है जो किसी मामले के दक्ष, प्रभावी और अर्थपूर्ण न्यायिक प्रबंधन के लिए उपबंध करता है ताकि विवाद का समय पर और गुणवत्तापूर्ण समाधान प्राप्त किया जा सके । यह तथ्य और विधि के विवादित मुद्दों की शीघ्र पहचान, मामले के जीवन के लिए प्रक्रियात्मक कैलेंडर की स्थापना और विवाद के समाधान की संभावनाओं की खोज में सहायता करता है।

वाणिज्यिक न्यायालयों के लिए शुरू की गई एक अन्य नवीन विशेषता रंग बैंडिंग की प्रणाली है, जो किसी भी वाणिज्यिक मामले में दिए जा सकने वाले आस्थगनों की संख्या को तीन

तक सीमित कर देती है तथा न्यायाधीशों को लंबित मामलों के प्रक्रम के अनुसार मामलों को सूचीबद्ध करने के बारे में सचेत करती है।

ix. लोक अदालत सामान्य लोगों के लिए उपलब्ध एक महत्वपूर्ण वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र है। यह एक ऐसा मंच है जहाँ न्यायालय में लंबित या मुकदमेबाजी पूर्व पहले के विवादों/मामलों का सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटारा/समझौता किया जाता है। विधिक सेवा प्राधिकरण (एलएसए) अधिनियम, 1987 के अधीन, लोक अदालत द्वारा दिया गया अधिनिर्णय सिविल न्यायालय की डिक्री मानी जाती है और यह अंतिम होता है तथा सभी पक्षों पर आबद्धकर होता है तथा इसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई अपील नहीं की जा सकती। लोक अदालत कोई स्थायी संस्था नहीं है। राष्ट्रीय लोक अदालतें सभी तालुकों, जिलों और उच्च न्यायालयों में एक साथ पूर्व-निर्धारित तारीख पर आयोजित की जाती हैं।

पिछले चार वर्षों के दौरान राष्ट्रीय लोक न्यायालयों में निपटाए गए मामलों का विवरण निम्नानुसार है: -

वर्ष	**मुकदमे-पूर्व मामले**	**लंबित मामले**	**कुल योग**
2021	72,06,294	55,81,743	1,27,88,037
2022	3,10,15,215	1,09,10,795	4,19,26,010
2023	7,10,32,980	1,43,09,237	8,53,42,217
2024 (31.12.2024 तक)	8,70,19,059	1,75,07,060	10,45,26,119
कुल	**19,62,73,548**	**4,83,08,835**	**24,45,82,383**

x. सरकार ने वर्ष 2017 में टेली-लॉ कार्यक्रम शुरू किया, जो ग्राम पंचायतों में स्थित कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) पर उपलब्ध वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, टेलीफोन और चैट सुविधाओं और टेली-लॉ मोबाइल ऐप के माध्यम से पैनल वकीलों के साथ विधिक सलाह और परामर्श चाहने वाले जरूरतमंद और वंचित वर्गों को जोड़ने वाला एक प्रभावी और विश्वसनीय ई-इंटरफेस प्लेटफॉर्म प्रदान करता है।

*टेली-लॉ डाटा का प्रतिशतवार ब्यौरा

प्रवर्ग	रजिस्ट्रीकृत मामले	% वार विवरण	समर्थ सलाह	% वार विवरण
लिंग वार				
महिला	43,50,146	39.53%	42,92,045	39.49%
पुरुष	66,55,274	60.47%	65,77,616	60.51%
जाति श्रेणीवार				
सामान्य	25,94,779	23.58%	25,54,696	23.50%
अन्य पिछड़ा वर्ग	34,67,629	31.51%	34,21,343	31.48%
अनुसूचित जाति	34,55,009	31.39%	34,19,433	31.46%
अनुसूचित जनजाति	14,88,003	13.52%	14,74,189	13.56%
कुल	**1,10,05,420**		**1,08,69,661**	

*डाटा 28.02.2025 तक.

xi. देश में प्रो बोनो संस्कृति और प्रो बोनो वकालत को संस्थागत बनाने के प्रयास किए गए हैं। एक प्रौद्योगिक कार्य ढांचा तैयार किया गया है, जहाँ अधिवक्ता प्रो बोनो कार्य के लिए अपना समय और सेवाएं देने के लिए स्वेच्छा से न्याय बंधु (एंड्रॉइड और आईओएस और ऐप्स) पर प्रो बोनो अधिवक्ता के रूप में रजिस्ट्रीकृत कर सकते हैं। न्याय बंधु सेवाएँ उमंग प्लेटफ़ॉर्म पर भी उपलब्ध हैं। राज्य स्तर पर 23 उच्च न्यायालयों में अधिवक्ताओं का प्रो बोनो पैनल शुरू किया गया है। उदीयमान वकीलों में प्रो बोनो संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए 109 लॉ स्कूलों में प्रो बोनो क्लब शुरू किए गए हैं।

*****

उपाबंध-1

<u>विभिन्न उच्च न्यायालयों में फाइल किए गए और निपटाए गए मामलों के संबंध में राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1716, जिसका उत्तर तारीख 13.03.2025 को दिया जाना है, के भाग (क) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण।</u>

क्रम सं.	उच्च न्यायालय का नाम	2023		2024		2025 (05.03.2025 तक)	
		संस्थन	निपटान	संस्थन	निपटान	संस्थन	निपटान
1	इलाहाबाद	364590	332248	353355	273878	52918	39220
2	बंबई	165170	136234	174806	145822	33015	25422
3	कलकत्ता	74798	88379	72513	72311	8948	12391
4	गुवाहाटी	31375	28710	27106	24791		
5	तेलंगाना	63651	69730	70623	72162	13283	12967
6	आंध्र प्रदेश	62413	54912	57354	59441	10635	10865
7	छत्तीसगढ	41470	42685	45151	51128	9070	10097
8	दिल्ली	54442	51268	60209	54448	10477	8831
9	गुजरात	81194	75368	84207	80322	15476	14370
10	हिमाचल प्रदेश	50433	44752	65865	60322	8826	7428
11	जम्मू-कश्मीर और लद्दाख	13938	14322	13474	12806	2130	1628
12	झारखंड	45990	48198	38718	49947	7040	8062
13	कर्नाटक	104742	88109	112721	99445	20508	16529
14	केरल	99342	86439	98022	101151	19853	20553
15	मध्य प्रदेश	153302	137541	159579	140774	30681	23036
16	मणिपुर	2809	2408	2989	2371	615	508
17	मेघालय	1486	1546	1586	1463	189	160
18	पंजाब और हरियाणा	152502	159204	165996	177352	30749	34106
19	राजस्थान	198347	184386	213440	183508	44226	27732
20	सिक्किम	167	150	190	163	12	4
21	त्रिपुरा	2006	2342	2060	2284	312	331
22	उत्तराखंड	20889	15604	20797	15606	2910	2171
23	मद्रास	328306	343259	341480	358514	65876	62989
24	उड़ीसा	106632	119603	89639	90565	16083	12695
25	पटना	123830	139243	130865	126079	24201	19412
	कुल	**23,43,824**	**22,66,640**	**24,02,745**	**22,56,653**	**4,28,033**	**3,71,507**

स्रोत: राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एनजेडीजी)।

उपाबंध-2

<u>विभिन्न उच्च न्यायालयों में फाइल किए गए और निपटाए गए मामलों के संबंध में राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1716, जिसका उत्तर तारीख 13.03.2025 को दिया जाना है, के भाग (ख) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण।</u>

05.03.2025 तक उच्च न्यायालयों में लंबित मामले।

क्र सं.	न्यायालय का नाम	सविल	दांडिक	कुल
1	इलाहाबाद	6,06,667	5,52,197	11,58,864
2	बंबई	5,42,615	1,14,177	6,56,792
3	कलकत्ता	1,73,122	27,117	2,00,239
4	गुवाहाटी	48,138	16,184	64,322
5	तेलंगाना	2,13,040	32,075	2,45,115
6	आंध्र प्रदेश	2,07,518	38,495	2,46,013
7	छत्तीसगढ	55,197	28,238	83,435
8	दिल्ली	94,366	37,694	1,32,060
9	गुजरात	1,16,632	55,393	1,72,025
10	हिमाचल प्रदेश	82,934	12,345	95,279
11	जम्मू-कश्मीर और लद्दाख	36,758	8,639	45,397
12	झारखंड	32,577	40,858	73,435
13	कर्नाटक	2,53,146	53,831	3,06,977
14	केरल	1,99,567	51,546	2,51,113
15	मध्य प्रदेश	2,81,952	1,93,088	4,75,040
16	मणिपुर	4,696	686	5,382
17	मेघालय	1,001	274	1,275
18	पंजाब और हरियाणा	2,64,429	1,65,228	4,29,657
19	राजस्थान	4,87,789	1,81,652	6,69,441
20	सिक्किम	150	65	215
21	त्रिपुरा	867	170	1,037
22	उत्तराखंड	31,239	25,003	56,242
23	मद्रास	4,61,469	59,385	5,20,854
24	उड़ीसा	1,11,109	38,769	1,49,878
25	पटना	1,07,612	99,334	2,06,946
	कुल	**44,14,590**	**18,32,443**	**62,47,033**

स्रोत: राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एनजेडीजी)

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1717
जिसका उत्तर गुरुवार, 13 मार्च, 2025 को दिया जाना है

त्वरित न्याय के लिए न्यायालयों की अवसंरचना में सुधार

1717 श्रीमती रेणुका चौधरी :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान न्यायालय की अवसंरचना में सुधार के लिए वर्ष-वार आवंटित और उपयोग किया गया कुल बजट कितना है ;
(ख) क्या न्यायाधीश-जनसंख्या अनुपात को वर्तमान 20 प्रति मिलियन से बढ़ाकर अनुशंसित 50 प्रति मिलियन करने की कोई योजना है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;
(ग) क्या सरकार सरकारी अभियोजकों और फोरेंसिक विशेषज्ञों की कमी को दूर कर रही है, जिससे न्यायिक प्रक्रिया में देरी होती है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) फाइलिंग, ट्रैकिंग और मामलों के समाधान जैसी न्यायिक प्रक्रियाओं के राष्ट्रव्यापी डिजिटलीकरण को लागू करने में क्या प्रगति हुई है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) : विधि एवं न्याय मंत्रालय का न्याय विभाग, जिला एवं अधीनस्थ न्यायपालिका के न्यायिक अवसंरचना के विकास के लिए केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) के माध्यम से राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकारों के संसाधनों को पूरक बना रहा है, जिसमें वकीलों और मुवक्किलों की सुविधा के लिए पांच घटकों अर्थात् न्यायालय कक्ष और न्यायिक अधिकारियों के लिए आवासीय इकाइयां, वकीलों के कक्ष, शौचालय परिसर और डिजिटल कंप्यूटर कक्ष के विकास के लिए राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को निर्धारित निधि-साझाकरण अनुपात में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 1993-94 में स्कीम के आरंभ से लेकर आज तक 11,885.29 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। पिछले पांच वर्षों और चालू वित्त वर्ष के लिए स्कीम के अधीन आवंटित और उपयोग की गई निधि का वर्षवार विवरण निम्नानुसार है:-

(करोड़ रुपए में)

वित्तीय वर्ष	बजट आवंटन	उपयोग की गई निधि
2019-20	982.00	982.00
2020-21	593.00	593.00
2021-22	770.44	684.60
2022-23	848.00	858.00*
2023-24	1051.00	1060.17*
2024-25(28.02.2025 तक)	1123.40	958.28**

** वित्त वर्ष 2022-23 और 2023-24 में जारी की गई थोड़ी अधिक निधियां ग्राम न्यायालय स्कीम से निधियों के पुनर्विनियोजन के कारण है, जो न्यायिक अवसंरचना के विकास के लिए सी.एस.एस. की एक उप-स्कीम है।*

इसके अतिरिक्त, ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना को भारतीय न्यायालयों की सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) सक्षमता के लिए एक केंद्रीय क्षेत्र स्कीम के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है। योजना के चरण- I (2011-2015) का उद्देश्य न्यायालयों को बुनियादी आईसीटी अवसंरचना प्रदान करना था, जबकि चरण- II (2015-2023) ने विभिन्न हितधारकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करके चरण- I का पूरक बनाया। योजना का चरण- III (2023-27) 7210 करोड़ रुपये के पूंजीगत परिव्यय के साथ आरंभ किया गया था। इसका उद्देश्य डिजिटल, ऑनलाइन और कागज रहित न्यायालयों की ओर बढ़ते हुए न्याय की अधिकतम सुगमता की व्यवस्था को आरंभ करना, पूरे न्यायालय के रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण करना और सभी न्यायालय परिसरों को ई-सेवा केंद्रों से संतृप्त करके ई-फाइलिंग/ई-भुगतान का सार्वभौमिकरण करना है। मामलों का समय नियत करते समय या प्राथमिकता देते समय न्यायाधीशों और रजिस्ट्री के लिए डेटा-आधारित निर्माण को सक्षम करने वाली बुद्धिमत्तापूर्ण स्मार्ट प्रणाली स्थापित करने की योजना है। पिछले पांच वर्षों के दौरान ई-कोर्ट परियोजना के अंतर्गत आवंटित और उपयोग की गई धनराशि का वर्ष-वार विवरण निम्नानुसार है:-

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	बजट आवंटन	कुल व्यय
2019-20	180	179.26
2020-21	180	179.31
2021-22	98.82	98.30
2022-23	0.01	0.00
2023-24	825	768.25
2024-25 (28.02.2025)	1200	1134.73

ई-न्यायालय परियोजना का दूसरा चरण मार्च, 2022 में पूरा हो गया था और स्कीम का तीसरा चरण सितंबर, 2023 में आरंभ हुआ और वित्त वर्ष2022-23 के लिए1.00 लाख रुपये का टोकन धन आवंटित किया गया।

(ख) : वर्तमान में, देश में न्यायाधीश जनसंख्या अनुपात प्रति दस लाख जनसंख्या पर लगभग 21 न्यायाधीश है। किसी विशेष वर्ष में प्रति दस लाख जनसंख्या के लिए न्यायाधीश-जनसंख्या अनुपात की गणना करने के लिए, जनगणना 2011 (1210.19 मिलियन) के अनुसार जनसंख्या डेटा पर आधारित मानदंड का उपयोग किया जाता है और वर्ष 2023 में उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या का उपयोग किया जाता है।

भारतीय विधि आयोग ने अपनी 120 वीं रिपोर्ट, जिसका शीर्षक है, "न्यायपालिका में जनशक्ति आयोजन – एक रूपरेखा", में प्रति दस लाख की आबादी पर न्यायाधीशों के अनुपात में योजनाबद्ध समग्र वृद्धि की सिफारिश की है, जो 10.5 से बढ़कर 50 हो जाएगी। भारत के उच्चतम न्यायालय ने 31.03.2022 को अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ (3) बनाम भारत संघ मामले में दिए गए अपने निर्णय में निदेशित किया कि प्रति दस लाख की आबादी पर पचास न्यायाधीशों का न्यायाधीश अनुपात हासिल किया जाए। पी. रामचंद्र राव बनाम कर्नाटक राज्य (2002) 4 एससीसी 478 और बृजमोहन लाल बनाम भारत संघ (2002) 5 एससीसी 1 जैसे मामलों में भी इसी तरह के विचार व्यक्त किए गए थे।

जहाँ तक प्रति मिलियन न्यायाधीशों की संख्या में सुझाई गई वृद्धि का प्रश्न है, उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच एक सतत और सहयोगात्मक प्रयोग है। इसके अतिरिक्त, जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के मामले में, न्यायाधीशों की उचित संख्या की आवश्यकता और रिक्तियों को भरने की परिणामी आवश्यकता संबंधित उच्च न्यायालयों और राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आती है।

(ग) : सरकारी अभियोजकों को विद्यमान विधिक उपबंधों के अनुसार एक विशेष क्षेत्राधिकार के लिए नियुक्त किया जाना है। देश के सभी हिस्सों में गुणवत्ता और प्रशिक्षित फोरेंसिक जनशक्ति प्रदान करने के लिए, भारत सरकार ने राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय (एनएफएसयू) की स्थापना की है।

(घ) : भारत सरकार ने भारतीय न्यायपालिका को सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) से सक्षम बनाने के लिए ई-कोर्ट्स एकीकृत मिशन मोड परियोजना आरंभ की है, जिसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी के

माध्यम से न्याय तक पहुँच को बढ़ाना है। विधि एवं न्याय मंत्रालय के अधीन न्याय विभाग, भारत के उच्चतम न्यायालय की ई-कमेटी के साथ मिलकर संबंधित उच्च न्यायालयों के माध्यम से विकेंद्रीकृत रीति से ई-न्यायालय परियोजना को क्रियान्वित कर रहा है ।

अपनी चल रही प्रगति के हिस्से के रूप में, परियोजना ने नागरिकों के लिए न्यायिक सेवाओं की आईसीटी-संचालित सुविधा को प्राथमिकता दी है। प्रमुख पहलों में एक उन्नत मामला सूचना प्रणाली (सीआईएस) का विकास, लंबित मामलों पर नज़र रखने के लिए राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (एनजेडीजी) जैसे उपयोगकर्ता-अनुकूल पोर्टल, डिजिटल फाइलिंग और भुगतान प्रणाली और ई-सेवा केंद्रों की स्थापना शामिल है, इन सभी ने जनता द्वारा न्यायिक सेवाओं तक पहुँचने के तरीके को बदल दिया है। 2023 तक, 18,735 जिला और अधीनस्थ न्यायालयों को कम्प्यूटरीकृत किया जा चुका है।

ई-न्यायालय परियोजना के तीसरे चरण (2023-2027) में 3,108 करोड़ दस्तावेजों के डिजिटलीकरण के लिए 2,038.40 करोड़ रुपये की रकम निर्धारित की गई है, जिसमें वसीयत और लंबित मामलों का रिकॉर्ड दोनों शामिल हैं। डिजिटलीकरण के प्रयास अच्छी तरह से आगे बढ़ रहे हैं और आज तक, उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों में लगभग 446 करोड़ पृष्ठों के न्यायालय रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त, परियोजना में कई नई डिजिटल पहलों की परिकल्पना की गई है, जिसमें डिजिटल और कागजरहित न्यायालयों की स्थापना शामिल है, जिसका उद्देश्य पूरी तरह से डिजिटल प्रारूप में न्यायालय की कार्यवाही करना है। न्यायालयों, कारागारों और अस्पतालों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है, साथ ही ट्रैफ़िक उल्लंघन से परे ऑनलाइन न्यायालयों के दायरे को व्यापक बनाने की योजना भी चल रही है। इस परियोजना का लक्ष्य ई-सेवा केंद्रों के साथ न्यायालय परिसरों को पूरी तरह से कवर करना और डिजिटल न्यायालय रिकॉर्ड, सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन, लाइव स्ट्रीमिंग और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को संभालने में आसानी के लिए अत्याधुनिक क्लाउड-आधारित डेटा भंडार का परिनियोजन करना है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन (ओसीआर) जैसे इसके उपसमूहों जैसी उभरती हुई तकनीकों का उपयोग लंबित मामलों का विश्लेषण करने, मुकदमेबाजी के रुझानों का पूर्वानुमान लगाने और न्यायिक दक्षता बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। इन ठोस प्रयासों के माध्यम से, सरकार का लक्ष्य भारतीय न्यायपालिका में आईसीटी-सक्षम शासन के एक नए युग का आरंभ करना है, जिससे न्यायिक अनुभव सभी हितधारकों के लिए अधिक सुविधाजनक, लागत प्रभावी और निर्बाध हो सके ।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2354
जिसका उत्तर गुरुवार, 20 मार्च, 2025 को दिया जाना है

न्यायपालिका में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग समुदायों का प्रतिनिधित्व

2354 श्री नारायण दास गुप्ता :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों और निचली अदालतों में कार्यरत न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, साथ ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के न्यायाधीशों का प्रतिनिधित्व कितना है तत्संबंधी न्यायालय-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले पांच वर्षों में इन न्यायालयों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग की नियुक्तियों का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है ;

(ग) न्यायपालिका में उनके प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ; और

(घ) क्या न्यायिक नियुक्तियों में सामाजिक विविधता को ट्रैक करने और सार्वजनिक करने के लिए कोई तंत्र मौजूद है, यदि नहीं, तो क्या ऐसा तंत्र लागू करने की सरकार की कोई योजना है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (घ) : उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 217 और अनुच्छेद 224 के अधीन की जाती है, जो किसी भी जाति या वर्ग के लोगों के लिए आरक्षण का उपबंध नहीं करता है। इसलिए, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के बीच अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधित्व से संबंधित श्रेणीवार डेटा केंद्रीय रूप से उपलब्ध नहीं है। तथापि, सरकार सामाजिक विविधता को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है और 2018 से उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद के लिए सिफारिश किए जाने वालों को निर्धारित रूपविधान (उच्चतम न्यायालय के परामर्श से तैयार) में अपनी सामाजिक पृष्ठभूमि के बारे में विवरण प्रदान करना आवश्यक है। सिफारिश किए जाने वालों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर, 2018 से नियुक्त 715 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों में से 22 अ.जा. श्रेणी के हैं, 16 अ.ज.जा. श्रेणी के हैं, 89 अ.पि.व. श्रेणी के हैं और 37 अल्पसंख्यक हैं।

प्रक्रिया ज्ञापन (एमओपी) के अनुसार, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव आरंभ करने की जिम्मेदारी भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के पास है, जबकि उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव आरंभ करने की जिम्मेदारी संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के पास है। तथापि, सरकार उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों से अनुरोध करती रही है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव भेजते समय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और महिलाओं से संबंधित उपयुक्त उम्मीदवारों पर उचित विचार किया जाए ताकि

उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति में सामाजिक विविधता सुनिश्चित की जा सके। केवल वे व्यक्ति जिन्हें उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम द्वारा अनुशंसित किया जाता है, उन्हें उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाता है।

जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के मामले में रिक्त पदों को भरना संबंधित उच्च न्यायालयों और राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। संवैधानिक ढांचे के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 233 और अनुच्छेद 234 के साथ पठित अनुच्छेद 309 के परंतुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संबंधित राज्य सरकार उच्च न्यायालय के परामर्श से संबंधित राज्य न्यायिक सेवा में न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति और भर्ती के संबंध में नियम और विनियम बनाती है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने जनवरी 2007 में मलिक मजहर सुल्तान मामले में पारित आदेश के माध्यम से अन्य बातों के साथ-साथ कतिपय समयसीमाएँ निर्धारित की हैं, जिनका पालन राज्यों और संबंधित उच्च न्यायालयों द्वारा जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों की भर्ती के लिए किया जाना है।

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की स्वीकृत पद संख्या और कार्यरत पद संख्या का विवरण **उपाबंध-1 में दिया गया है** । इसके अतिरिक्त, न्याय विभाग के एमआईएस में उपलब्ध जिला न्यायालयों में राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार स्वीकृत पद संख्या, कार्यरत पद संख्या और रिक्तियों का विवरण **उपाबंध-2** में दिया गया है ।

****

उपाबंध-1

17.03.2025 तक भारत के उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की स्वीकृत पद संख्या, कार्यरत पद संख्या और रिक्तियां

		स्वीकृत पद संख्या			कार्यरत पद संख्या			रिक्तियां		
क.	**उच्चतम न्यायालय**	**34**			**33**			**1**		
ख.	**उच्च न्यायालय**	**स्थायी**	**अपर**	**कुल**	**स्थायी**	**अपर**	**कुल**	**स्थायी**	**अपर**	**कुल**
1	इलाहाबाद	119	41	160	79	0	79	40	41	81
2	आंध्र प्रदेश	28	9	37	21	9	30	7	0	7
3	बंबई	71	23	94	53	13	66	18	10	28
4	कलकत्ता	54	18	72	32	14	46	22	4	26
5	छत्तीसगढ़	17	5	22	9	7	16	8	-2	6
6	दिल्ली	45	15	60	39	0	39	6	15	21
7	गुवाहाटी	22	8	30	21	4	25	1	4	5
8	गुजरात	39	13	52	32	0	32	7	13	20
9	हिमाचल प्रदेश	13	4	17	12	0	12	1	4	5
10	जम्मू-कश्मीर तथा लद्दाख	19	6	25	12	3	15	7	3	10
11	झारखंड	20	5	25	16	0	16	4	5	9
12	कर्नाटक	47	15	62	47	3	50	0	12	12
13	केरल	35	12	47	29	15	44	6	-3	3
14	मध्य प्रदेश	40	13	53	34	0	34	6	13	19
15	मद्रास	56	19	75	56	9	65	0	10	10
16	मणिपुर	4	1	5	4	0	4	0	1	1
17	मेघालय	3	1	4	3	1	4	0	0	0
18	उड़ीसा	24	9	33	18	0	18	6	9	15
19	पटना	40	13	53	37	0	37	3	13	16
20	पंजाब और हरियाणा	64	21	85	48	5	53	16	16	32
21	राजस्थान	38	12	50	34	0	34	4	12	16
22	सिक्किम	3	0	3	3	0	3	0	0	0
23	तेलंगाना	32	10	42	26	4	30	6	6	12
24	त्रिपुरा	4	1	5	4	1	5	0	0	0
25	उत्तराखंड	9	2	11	9	0	9	0	2	2
	कुल	**846**	**276**	**1122**	**678**	**88**	**766**	**168**	**188**	**356**

(क) 28.02.2025 तक जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों की कार्यरत पद संख्या।

क्र.सं.	राज्य और संघ राज्य क्षेत्र	सिविल न्यायाधीश (जूनियर डिवीजन)	सिविल न्यायाधीश (जूनियर डिवीजन)	सिविल न्यायाधीश (जूनियर डिवीजन)	सिविल न्यायाधीश (जूनियर डिवीजन)	सिविल न्यायाधीश (जूनियर डिवीजन)	सिविल न्यायाधीश (जूनियर डिवीजन)	सिविल न्यायाधीश (जूनियर डिवीजन)	सिविल न्यायाधीश (सीनियर डिवीजन)	सिविल न्यायाधीश (सीनियर डिवीजन)	सिविल न्यायाधीश (सीनियर डिवीजन)	सिविल न्यायाधीश (सीनियर डिवीजन)	सिविल न्यायाधीश (सीनियर डिवीजन)	सिविल न्यायाधीश (सीनियर डिवीजन)	सिविल न्यायाधीश (सीनियर डिवीजन)	जिला न्यायाधीश/जि.ज.	जिला न्यायाधीश जि.ज.	जिला न्यायाधीश/जि.ज.	जिला न्यायाधीश/जि.ज.	जिला न्यायाधीश/जि.ज.	जिला न्यायाधीश/जि.ज.	जिला न्यायाधीश/जि.ज.	कुल योग
		अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.वि.	अन्य	कुल(अ.जा.+अ.ज.जा.+अ.पि.वि.+अन्य)	विशेष रूप से सक्षम	महिला	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.वि.	अन्य	कुल(अ.जा.+अ.ज.जा.+अ.पि.वि.+अन्य)	विशेष रूप से सक्षम	महिला	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.वि.	अन्य	कुल(अ.जा.+अ.ज.जा.+अ.पि.वि.+अन्य)	विशेष रूप से सक्षम	महिला	
1	अंदमान और निकोबार	0	0	0	4	4	0	0	0	0	0	3	3	0	1	0	0	0	5	5	0	0	12
2	आंध्र प्रदेश	53	19	121	86	279	1	160	23	10	43	59	135	0	65	30	3	56	61	150	0	62	564
3	अरुणाचल प्रदेश	0	9	0	0	9	0	3	0	16	0	0	16	0	7	0	7	1	0	8	0	1	33
4	असम	16	23	0	166	205	1	127	12	21	0	106	139	0	64	6	7	0	104	117	0	35	461
5	बिहार	129	9	306	329	773	5	337	63	5	42	165	275	0	34	48	3	54	383	488	1	38	1536
6	चंडीगढ़	7	0	3	8	18	0	8	0	0	1	1	2	0	0	1	0	1	8	10	0	5	30
7	छत्तीसगढ	26	57	27	54	164	6	99	17	45	26	44	132	4	63	30	26	37	76	169	0	41	465
8	दादरा एवं नागर हवेली	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
9	दमण और दीव	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	1	0	1	0	0	4
10	दिल्ली	46	21	0	242	309	5	181	12	1	0	97	110	6	63	10	1	0	373	384	1	114	803
11	गोवा	0	2	0	17	19	0	15	0	0	1	11	12	0	8	0	0	1	8	9	0	5	40
12	गुजरात	59	1	34	347	441	0	116	50	4	151	277	482	0	79	8	0	33	221	262	0	51	1185
13	हरियाणा	31	0	46	132	209	2	101	42	0	18	72	132	0	61	21	0	21	168	210	0	62	551
14	हिमाचल प्रदेश	8	2	6	47	63	2	35	8	4	6	30	48	0	17	6	1	1	41	49	0	8	160
15	जम्मू-कश्मीर	13	11	3	83	110	0	57	6	7	1	66	80	0	27	9	8	2	70	89	0	18	279

16	झारखंड	15	31	16	80	142	6	69	0	0	0	154	154	0	47	0	0	0	210	210	0	18	506
17	कर्नाटक	77	19	273	26	395	3	192	90	20	263	34	407	0	131	60	9	204	77	350	0	104	1152
18	केरल	20	0	97	99	216	1	140	11	1	48	33	93	0	52	11	1	128	87	227	0	68	536
19	लद्दाख	1	2	0	1	4	1	1	0	4	0	0	4	0	1	0	1	1	1	3	0	1	11
20	लक्षद्वीप	1	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	2	0	0	0	0	1	0	1	0	0	4
21	मध्य प्रदेश	122	55	141	306	624	4	373	78	106	64	179	427	4	205	71	77	113	422	683	4	109	1734
22	महाराष्ट्र	140	2	266	512	920	0	346	43	3	128	336	510	0	139	44	2	106	358	510	0	112	1940
23	मणिपुर	0	6	3	9	18	0	7	0	4	2	7	13	0	8	0	4	0	14	18	0	6	49
24	मेघालय	0	15	0	0	15	0	7	0	21	0	0	21	0	15	0	18	0	3	21	0	12	57
25	मिजोरम	0	13	0	0	13	0	8	0	17	0	0	17	0	8	0	15	0	0	15	0	7	45
26	नगालैंड	0	0	0	7	7	0	6	0	0	0	5	5	0	2	0	0	0	12	12	0	7	24
27	ओडिशा	30	4	68	248	350	2	211	0	0	5	264	269	0	134	0	0	0	221	221	0	56	840
28	पुदुचेरी	3	0	12	0	15	1	3	0	0	4	1	5	0	2	0	0	4	2	6	0	3	26
29	पंजाब	118	0	58	220	396	12	244	34	0	22	80	136	1	73	33	0	20	138	191	1	58	723
30	राजस्थान	64	47	86	166	363	4	215	60	52	84	180	376	5	180	59	24	93	393	569	3	161	1308
31	सिक्किम	0	1	3	0	4	0	0	0	2	3	0	5	0	0	0	5	9	0	14	0	0	23
32	तमिलनाडु	119	5	358	6	488	14	215	57	4	197	4	262	6	90	35	1	219	18	273	3	112	1023
33	तेलंगाना	38	20	96	64	218	1	142	15	7	48	22	92	0	45	15	13	55	52	135	1	59	445
34	त्रिपुरा	5	9	0	25	39	0	19	4	7	0	21	32	0	15	4	6	0	28	38	0	5	109
35	उत्तर प्रदेश	214	17	306	358	895	23	467	134	15	189	238	576	0	243	191	7	367	662	1227	2	249	2698
36	उत्तराखंड	16	3	13	59	91	0	48	12	4	15	52	83	0	37	18	5	9	64	96	0	25	270
37	पश्चिमी बंगाल	0	0	0	350	350	0	197	0	0	0	243	243	0	110	0	0	0	270	270	0	64	863
	कुल	1371	403	2343	4052	8169	94	4150	771	381	1363	2786	5301	26	2026	710	244	1537	4550	7041	16	1676	20511

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2356
जिसका उत्तर गुरुवार, 20 मार्च, 2025 को दिया जाना है

उच्चतम न्यायालय के मामलों के प्रबंधन में एआई का उपयोग

2356 श्री देबाशीष सामंतराय :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने मामलों के प्रबंधन और निर्णय लेने में सहायता के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और मशीन लर्निंग उपकरण का उपयोग करना शुरू कर दिया है ;

(ख) सुपेस (कोर्ट की दक्षता में सहायता के लिए सुप्रीम कोर्ट पोर्टल) जैसे एआई-संचालित उपकरणों की स्थिति क्या है ;

(ग) क्या एआई-आधारित कानूनी अनुसंधान और मामला पूर्वानुमान प्रणालियों को न्यायालय की कार्यवाही में शामिल किया जा रहा है ; और

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए कि एआई-समर्थित उपकरण न्यायिक स्वतंत्रता को बनाए रखते हुए कार्यक्षमता को बढ़ाएं, क्या उपाय किए गए हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) : भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, मामला प्रबंधन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), और मशीन लर्निंग (एमएल) आधारित उपकरण का उपयोग किया जा रहा है । संविधान न्यायपीठ के मामलों में मौखिक तर्कों के प्रतिलेखन में उनका उपयोग किया जा रहा है। एआई की सहायता से लिखित तर्कों को उच्चतम न्यायालय की वेबसाइट से देखा जा सकेगा। सक्षम प्राधिकारी ने नियमित सुनवाई के दिन अर्थात् गुरुवार को मौखिक तर्कों के प्रतिलेखन पर विचार करने के लिए निदेशित किया है।

रजिस्ट्री, भारत का उच्चतम न्यायालय भी अंग्रेजी भाषा से 18 भारतीय भाषाओं अर्थात् असमिया, बंगाली, गारो, गुजराती, हिन्दी, कन्नड़, कश्मीरी, खासी, कोंकणी, मलयाली, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संथाली, तमिल, तेलुगू और उर्दू में निर्णयों के अनुवाद में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एनआईसी) के निकट समन्वय से एआई और एमएल आधारित उपकरणों का उपयोग कर रहा है। निर्णयों को भारत के उच्चतम न्यायालय के ईएससीआर पोर्टल के माध्यम से देखा जा सकेगा ।

रजिस्ट्री, भारत के उच्चतम न्यायालय ने आईआईटी, मद्रास के निकट समन्वय से दोषों की पहचान करने के लिए रजिस्ट्री के इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग सॉफ्टवेयर के साथ एकीकृत एआई और एमएल आधारित उपकरण विकसित और परिनियोजित किए हैं। वर्तमान में, 200 अधिवक्ताओं को प्रोटो-

टाइप की पहुंच प्रदान की गई है ताकि वे इसका उपयोग कर सकें और अपनी प्रतिक्रिया दे सकें, ताकि न्याय तक पहुंच और न्याय प्रशासन के अधिकार को सुदृढ़ किया जा सके।

रजिस्ट्री, भारत का उच्चतम न्यायालय आईआईटी, मद्रास के सहयोग से दोषों, डाटा, मेटा डाटा निष्कर्षण को ठीक करने के लिए एआई और मशीन लर्निंग (एमएल) उपकरणों के प्रोटो-टाइप का भी परीक्षण कर रहा है। यह एआई और एमल आधारित उपकरण इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग मॉड्यूल और मामला प्रबंधन सॉफ्टवेयर, अर्थात् एकीकृत मामला प्रबंधन और सूचना प्रणाली (आईसीएमआईएस) के साथ एकीकृत किया जाएगा। तथापि, विनिश्चय लेने की प्रक्रिया में भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा एआई और एमएल आधारित उपकरणों का उपयोग नहीं किया जा रहा है।

(ख) : एआई आधारित उपकरण, उच्चतम न्यायालय पोर्टल असिस्टेंस इन न्यायालय एफिशिएंसी (एसयूपीएसीई), जिसका उद्देश्य मामलों की पहचान करने के अलावा पूर्व निर्णयों की बुद्धिमत्तापूर्ण खोज के साथ मामलों के तथ्यात्मक मैट्रिक्स को समझने के लिए मॉड्यूल विकसित करना है, इसके परीक्षण के लिए विकास के प्रायोगिक चरण में है। एसयूपीएसीई का उपयोग आलेखी प्रसंस्करण इकाई (इकाइयों) और अन्य नवीनतम प्रौद्योगिकी-आधारित इकाइयों जैसे टेंसर प्रसंस्करण इकाई की खरीद और परिनियोजन के पश्चात् परिनियोजित किया जा सकेगा।

(ग) : नहीं, भारत का उच्चतम न्यायालय एआई और एमएल आधारित पूर्वानुमान प्रणाली को न्यायालय की कार्यवाहियों में एकीकृत करने के लिए किसी विकास का न तो उपयोग कर रहा है और न ही उस पर विचार कर रहा है।

(घ) : भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, अब तक विनिश्चय लेने की प्रक्रियाओं में भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी एआई और एमएल आधारित उपकरणों का उपयोग नहीं किया जा रहा है। तथापि, डाटा सुरक्षा और डाटा अखंडता को बनाए रखने के लिए सर्वोत्तम उद्योग पद्धतियों को अपनाया गया है।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2359
जिसका उत्तर गुरुवार, 20 मार्च, 2025 को दिया जाना है

उच्चतर न्यायपालिका में सामाजिक विविधता

2359 श्री मनोज कुमार झा :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उच्चतर न्यायपालिका में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, महिलाओं और अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व वांछित स्तर से काफी नीचे है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या हाल के वर्षों में वंचित समुदायों से न्यायाधीशों की नियुक्ति में गिरावट की प्रवृति देखी गई है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार ने न्यायिक नियुक्तियों में सामाजिक विविधता को शामिल करते हुए प्रक्रिया ज्ञापन (एमओपी) को अंतिम रूप देने के लिए उच्चतम न्यायालय से अनुरोध किया है, यदि हां, तो इसकी स्थिति क्या है ; और

(घ) न्यायिक नियुक्तियों में वंचित वर्गों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (घ) : उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 217 और अनुच्छेद 224 के अधीन की जाती है, जो किसी भी जाति या वर्ग के लोगों के लिए आरक्षण का उपबंध नहीं करता है । इसलिए, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के बीच एससी, एसटी और ओबीसी के प्रतिनिधित्व से संबंधित श्रेणीवार डेटा केंद्रीय रूप से उपलब्ध नहीं है। तथापि, सरकार सामाजिक विविधता को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है और 2018 से उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद के लिए सिफारिश किए जाने वालों को निर्धारित रूपविधान (उच्चतम न्यायालय के परामर्श से तैयार) में अपनी सामाजिक पृष्ठभूमि के बारे में विवरण प्रदान करना आवश्यक है। सिफारिश किए जाने वालों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर, 2018 से नियुक्त 715 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों में से अनुसूचित जाति 22, अनुसूचित जनजाति 16 और अन्य पिछड़ा वर्ग 89 के हैं और 37 अल्पसंख्यक हैं।

प्रक्रिया ज्ञापन (एमओपी) के अनुसार, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव आरंभ करने की जिम्मेदारी भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के पास है, जबकि उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव आरंभ करने की जिम्मेदारी संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के पास है। तथापि, सरकार उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों से अनुरोध करती रही है कि

न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव भेजते समय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और महिलाओं से संबंधित उपयुक्त उम्मीदवारों पर उचित विचार किया जाए ताकि उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति में सामाजिक विविधता सुनिश्चित की जा सके। केवल वे व्यक्ति जिन्हें उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम द्वारा अनुशंसित किया जाता है, उन्हें उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाता है।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2360
जिसका उत्तर गुरुवार, 20 मार्च, 2025 को दिया जाना है

लंबित मामलों का समाधान और न्याय की सुगमता

2360 श्री शक्तिसिंह गोहिल :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी 2020 से 1 जनवरी, 2025 तक जिला न्यायालयों, उच्च न्यायालयों, उच्चतम न्यायालय और केंद्रीय अधिनियमों के तहत न्यायाधिकरणों में लंबित मामलों की कुल संख्या कितनी है ;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि लंबित मामलों की बढ़ती संख्या आम नागरिकों पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है, जिससे उनके लिए कानूनी सहायता लेना चुनौतीपूर्ण हो जाता है ;

(ग) मामले के प्रकार और स्थान के आधार पर वर्गीकरण करते हुए 1 जनवरी, 2025 तक जिला एवं उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) क्या सरकार मामलों के समाधान में तेजी लाने और सभी के लिए न्याय की सुगमता में सुधार करने हेतु न्यायिक अवसंरचना और संसाधनों का संवर्धन करने की योजना बना रही है?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) : वर्ष 2020 से 2025 तक 1 जनवरी के लिए जिला न्यायालयों, उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में लंबित मामलों की कुल संख्या क्रमानुसार **उपाबंध- I, II** और **III** पर है । तथापि, केन्द्रीय अधिनियमों के अंतर्गत अधिकरणों में लंबित मामलों के संबंध में सूचना विभाग द्वारा नहीं रखी जाती है ।

(ख) : जबकि मामलों का निपटान न्यायपालिका के दायरे में आता है, सरकार, भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार ऐसे वातावरण का सृजन करने के लिए प्रतिबद्ध है जो मामलों के त्वरित समाधान को सुकर बनाए। सरकार ने न्यायपालिका द्वारा मामलों के शीघ्र निपटान के लिए पारितंत्र की व्यवस्था करने के लिए निम्नानुसार अनेक पहलें की हैं

i. राष्ट्रीय न्याय परिदान और विधिक सुधार मिशन की स्थापना प्रणाली में विलंब और बकाया में कमी करके पहुंच में वृद्धि करने और निष्पादन मानकों और क्षमताओं को स्थापित करने के द्वारा और संरचना परिवर्तन के माध्यम से जवाबदेहीता को बढाने के दोहरे उद्देश्यों के साथ अगस्त, 2011 में की गई थी । मिशन न्यायिक प्रशासन में बकाया और लंबित मामलों के चरणबद्ध परिसमापन के लिए एक समन्वित दृष्टिकोण अपना रहा है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ कम्प्यूटरीकरण सहित न्यायालयों के लिए बेहतर अवसंरचना, जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की स्वीकृत संख्या में वृद्धि, अत्यधिक मुकदमेबाजी वाले क्षेत्रों में नीति और विधायी उपाय और मामलों के त्वरित निपटान के लिए न्यायालय प्रक्रिया की पुनः अभियांत्रिकी और मानव संसाधन विकास पर जोर देना शामिल है।

ii. न्यायिक अवसंरचना के विकास के लिए केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम के अधीन, राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को न्यायालय कक्षों, न्यायिक अधिकारियों के लिए आवासीय क्वार्टरों, वकीलों के हॉल, शौचालय परिसरों और डिजिटल कंप्यूटर कक्षों के निर्माण के लिए धनराशि जारी की जा रही है, जिससे वादियों सहित विभिन्न हितधारकों का जीवन आसान हो सके और न्याय प्रदान करने में सहायता मिले। 1993-94 में न्यायपालिका के लिए अवसंरचना सुविधाओं के विकास के लिए केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम (सीएसएस) की शुरुआत से अब तक 11886.29 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं । इस स्कीम के अधीन न्यायालय कक्षों की संख्या 30.06.2014 को 15,818 से बढ़कर 28.02.2025 तक 22,062 हो गई है और आवासीय इकाइयों की संख्या 30.06.2014 को 10,211 से बढ़कर 28.02.2025 तक 19,775 हो गई है।

iii. इसके अतिरिक्त ई-न्यायालय मिशन मोड परिस्कीम के चरण । और ॥ के अधीन जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की आईटी सक्षमता के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) का लाभ उठाया गया है। 2023 तक 18,735 जिला और अधीनस्थ न्यायालयों को कम्प्यूटरीकृत किया गया। 99.5% न्यायालय परिसरों को वैन संयोजकता प्रदान की गई है। 3,240 न्यायालय परिसरों और 1,272 संबंधित जेलों के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा सक्षम की गई है। 31.01.2025 तक जिला न्यायालयों में 1572 ई-सेवा केंद्र और उच्च न्यायालयों में 39 ई-सेवा केंद्र वकीलों और वादियों को नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान करके डिजिटल डिवाइड को समाप्त करने के लिए कार्यात्मक बनाए गए हैं। 21 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में 28 आभासी न्यायालयों स्थापित की गई हैं। 31.01.2025 तक इन न्यायालयों ने 6.66 करोड़ से अधिक मामलों को संभाला है और 714.99 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना वसूला है। मत्रिमंडल ने 13.09.2023 को 7,210 करोड़ रुपये के परिव्यय पर ई-न्यायालयों चरण-III को मंजूरी दी है। चरण-I और चरण-II के लाभों को अगले स्तर पर ले जाते हुए, ई-न्यायालयों चरण-III का उद्देश्य डिजिटल, ऑनलाइन और पेपरलेस न्यायालयों की ओर बढ़ते हुए न्याय की सुगमता की व्यवस्था की शुरुआत करना है। इसका उद्देश्य न्याय वितरण को सभी हितधारकों के लिए उत्तरोत्तर अधिक मजबूत, आसान और सुलभ बनाने के लिए कृत्रिम आसूचना (एआई), ब्लॉक चेन आदि जैसी नवीनतम तकनीक को सम्मिलित करना है।

iv. सरकार भारत के उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के रिक्त पदों को नियमित रूप से भरती रही है। 01.05.2014 से 06.03.2025 तक उच्चतम न्यायालय में 66 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई। इसी अवधि के दौरान उच्च न्यायालयों में 1024 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई और 788 अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी किया गया। उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या मई, 2014 में 906 से बढ़कर अब तक 1122 हो गई है। जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृत और कार्यरत पदसंख्या में निम्नानुसार वृद्धि हुई है:

निम्न तारीख के अनुसार	स्वीकृत पद संख्या	कार्यरत पद संख्या
31.12.2013	19,518	15,115
28.02.2025	25,786	20,511

स्रोत: न्याय विभाग का एमआईएस पोर्टल

तथापि जिला और अधीनस्थ न्यायपालिका में रिक्तियों को भरना संबंधित राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में आता है।

v. अप्रैल 2015 में आयोजित मुख्य न्यायमूर्तियों के सम्मेलन में पारित प्रस्ताव के अनुसरण में, पांच वर्ष से अधिक समय से लंबित मामलों को निपटाने के लिए सभी 25 उच्च न्यायालयों में बकाया

समितियों का गठन किया गया है। जिला न्यायालयों के अधीन भी बकाया समितियों का गठन किया गया है।

vi. चौदहवें वित्त आयोग के तत्वावधान में जघन्य अपराधों वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, बालकों आदि के मामलों से निपटने के लिए त्वरित निपटान न्यायालय की स्थापना की गई है। 31.01.2025 तक, जघन्य अपराधों, महिलाओं और बालकों के विरूद्ध अपराध आदि के मामलों को संभालने के लिए 860 त्वरित निपटान न्यारयालय कार्यात्मक हैं। निर्वाचित संसद् सदस्यों विधानसभा/ सदस्योंसे जुड़े आपराधिक मामलों को त्वरित निपटान करने के लिए, नौ (9) राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में दस (10) विशेष न्यायालय कार्यात्मक हैं। इसके अतिरिक्त, केंद्रीय सरकार ने बलात्संग और पाक्सो अधिनियम के लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए देश भर में फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय (एफटीएससी) स्थापित करने की स्कीम को मंजूरी दी है। 31.01.2025 तक, देश भर के 30 राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों में 404 अनन्य पाक्सो (ईपाक्सो) न्यायालयों सहित 745 एफटीएससी कार्यात्मक हैं, जिन्होंने 3,06,000 से अधिक मामलों का निपटारा किया है।

vii. न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या कम करने और कामकाज को आसान बनाने के उद्देश्य से सरकार ने विभिन्न विधियों में संशोधन किया है, जैसे कि परक्राम्य लिखत (संशोधन) अधिनियम, 2018, वाणिज्यिक न्यायालय (संशोधन) अधिनियम, 2018, विनिर्दिष्ट अनुतोश (संशोधन) अधिनियम, 2018, मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2019 और दंड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2018।

viii. वैकल्पिक विवाद समाधान विधियों को पूरे दिल से बढ़ावा दिया गया है। तदनुसार, वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 को अगस्त, 2018 में संशोधित किया गया था, जिससे वाणिज्यिक विवादों के मामले में पूर्व-संस्था मध्यस्थता और निपटान (पीआईएमएस) अनिवार्य हो गया। पीआईएमएस तंत्र की दक्षता को और बढ़ाने के लिये सरकार ने मध्यस्थता अधिनियम, 2023 के माध्यम से वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 में और संशोधन किया है। मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 में संशोधन मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) अधिनियम 2015, 2019 और 2021 द्वारा समयसीमा निर्धारित करके विवादों के त्वरित समाधान में तेजी लाने के लिए किया गया है। ।

वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 के अधीन, मामला प्रबंधन सुनवाई का उपबंध है जो किसी मामले के कुशल, प्रभावी और उद्देश्यपूर्ण न्यायिक प्रबंधन के लिए उपबंध करता है जिससे विवाद का समय पर और गुणवत्तापूर्ण समाधान प्राप्त किया जा सके। यह तथ्य और विधि के विवादित मुद्दों की शीघ्र पहचान, मामले के जीवन के लिए प्रक्रियात्मक कैलेंडर की स्थापना और विवाद के समाधान की संभावनाओं की खोज में सहायता करता है।

वाणिज्यिक न्यायालयों के लिए शुरू की गई एक अन्य नवीन विशेषता रंग बैंडिंग की प्रणाली है, जो किसी भी वाणिज्यिक मामले में दी जाने वाली स्थगन की संख्या को तीन तक सीमित कर देती है तथा न्यायाधीशों को लंबित मामलों के चरण के अनुसार मामलों को सूचीबद्ध करने के बारे में सचेत करती है।

ix. लोक अदालत आम लोगों के लिए उपलब्ध एक महत्वपूर्ण वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र है। यह एक ऐसा मंच है जहाँ न्यायालय में लंबित या मुकदमेबाजी से पहले के विवादों/मामलों का सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटारा/समझौता किया जाता है। विधिक सेवा प्राधिकरण (एलएसए) अधिनियम, 1987 के अधीन, लोक अदालत द्वारा दिया गया निर्णय सिविल न्यायालय का निर्णय माना जाता है और यह अंतिम होता है तथा सभी पक्षों पर बाध्यकारी होता है तथा इसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई अपील नहीं की जा सकती। लोक अदालत कोई स्थायी संस्था नहीं

है। राष्ट्रीय लोक अदालतें सभी तालुकों, जिलों और उच्च न्यायालयों में एक साथ पूर्व-निर्धारित तारीख पर आयोजित की जाती हैं।

पिछले चार वर्षों के दौरान राष्ट्रीय लोक न्यायालयों में निपटाए गए मामलों का विवरण निम्नानुसार है: -

वर्ष	मुकदमे-पूर्व मामले	लंबित मामले	कुल योग
2021	72,06,294	55,81,743	1,27,88,037
2022	3,10,15,215	1,09,10,795	4,19,26,010
2023	7,10,32,980	1,43,09,237	8,53,42,217
2024	8,70,19,059	1,75,07,060	10,45,26,119
कुल	**19,62,73,548**	**4,83,08,835**	**24,45,82,383**

x. सरकार ने 2017 में टेली-लॉ कार्यक्रम शुरू किया, जो ग्राम पंचायतों में स्थित कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) पर उपलब्ध वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, टेलीफोन और चैट सुविधाओं और टेली-लॉ मोबाइल ऐप के माध्यम से पैनल वकीलों के साथ विधिक सलाह और परामर्श चाहने वाले जरूरतमंद और वंचित वर्गों को जोड़ने वाला एक प्रभावी और विश्वसनीय ई-इंटरफेस प्लेटफॉर्म प्रदान करता है।

*टेली-लॉ डेटा का प्रतिशतवार ब्यौरा

वर्ग	रजिस्ट्रीकृत मामले	% वार ब्रेक अप	सलाह सक्षम	% वार ब्रेक अप
लिंग वार				
महिला	43,50,146	39.53%	42,92,045	39.49%
पुरुष	66,55,274	60.47%	65,77,616	60.51%
जाति श्रेणी वार				
सामान्य	25,94,779	23.58%	25,54,696	23.50%
ओबीसी	34,67,629	31.51%	34,21,343	31.48%
अनुसूचित जाति	34,55,009	31.39%	34,19,433	31.46%
अनुसूचित जनजाति	14,88,003	13.52%	14,74,189	13.56%
कुल	**1,10,05,420**		**1,08,69,661**	

*28.02.2025 तक के आंकड़े।

xi. देश में प्रो बोनो संस्कृति और प्रो बोनो वकालत को संस्थागत बनाने के प्रयास किए गए हैं। एक तकनीकी ढांचा तैयार किया गया है, जहाँ प्रो बोनो कार्य के लिए अपना समय और सेवाएँ देने वाले अधिवक्ता न्याय बंधु (एंड्रॉइड और आईओएस और ऐप्स) पर प्रो बोनो अधिवक्ता के रूप में रजिस्ट्रीकरण कर सकते हैं। न्याय बंधु सेवाएँ उमंग प्लेटफ़ॉर्म पर भी उपलब्ध हैं। राज्य स्तर पर 23 उच्च न्यायालयों में अधिवक्ताओं का प्रो बोनो पैनल शुरू किया गया है। नवोदित वकीलों में प्रो बोनो संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए 109 लॉ स्कूलों में प्रो बोनो क्लब शुरू किए गए हैं।

(ग) : 1 जनवरी, 2025 तक जिला न्यायालयों और उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों का विवरण, जैसा कि राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (एनजेडीजी) पर क्रमानुसार **उपाबंध IV** और **V** उपलब्ध है ।

(घ) : सरकार, मामलों के समाधान में तेजी लाने और न्याय तक पहुंच में सुधार करने के लिए न्यायिक अवसंरचना और संसाधनों को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। न्यायिक अवसंरचना विकास के लिए केंद्रीय

प्रायोजित स्कीम (सीएसएस) के माध्यम से, न्यायालय हॉलों, न्यायिक अधिकारियों के लिए आवासीय इकाइयों, वकीलों के हॉल, शौचालय परिसरों और डिजिटल कंप्यूटर कक्षों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। स्कीम की शुरुआत के बाद से, 11,886.29 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं और अब इसे 2025-26 तक बढ़ा दिया गया है, जिसमें 5,307 करोड़ रुपये का केंद्रीय भाग सहित 9,000 करोड़ रुपये का कुल बजट है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए, 28 फरवरी, 2025 तक 958.28 करोड़ रुपये और वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 998.00 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

न्यायालय प्रचालनों को आधुनिक बनाने और न्यायिक दक्षता में सुधार करने के लिए, सरकार, ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना, एक केंद्रीय सेक्टर स्कीम को भी कार्यान्वित कर रही है जिसका उद्देश्य न्यायालय प्रक्रियाओं का अंकीकरण करना है। अब चरण- III (2023-2027) में, 7,210 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ, परियोजना सार्वभौमिक ई-फाइलिंग, डिजिटल मामला अभिलेख और बुद्धिमान मामला प्रबंधन प्रणालियों पर केंद्रित है। इन पहलों को लंबित मामलों की संख्या को कम करने, पहुंच में वृद्धि करने और न्यायिक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए तैयार किया गया है।

28 फरवरी, 2025 तक, जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में 22,062 न्यायालय हॉल और 19,775 आवासीय इकाइयां संचालन में हैं, जिसमें अतिरिक्त 3,206 न्यायालय हॉल और 2,639 आवासीय इकाइयां निर्माणाधीन हैं।

ये प्रयास न्यायिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने और देश भर में कुशल और सुलभ न्याय वितरण सुनिश्चित करने के लिए सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हैं।

****

उपाबंध- 1

'लंबित मामलों का समाधान और न्याय की सुगमता' के संबंध में राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2360 जिसका उत्तर 20.03.2025 को दिया जाना है, के भाग (क) उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।

पिछले पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में वर्ष-वार लंबित मामले

क्र. सं.	राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र	01.01.2020 को स्थिति	01.01.2021 को स्थिति	01.01.2022 को स्थिति	01.01.2023 को स्थिति	01.01.2024 को स्थिति	01.01.2025 को स्थिति
1	अंदमान और निकोबार	10062	8534	8275	8879	8266	8093
2	आंध्र प्रदेश	644562	778812	838750	871552	888303	888466
3	अरुणाचल प्रदेश	5239	6670	8590	10664	9888	9984
4	असम	359638	416158	487602	450878	494918	508467
5	बिहार	3245611	3444478	3500666	3564587	3603580	3606483
6	चंडीगढ़	59105	70667	80914	90489	102888	101762
7	छत्तीसगढ़	339277	387312	420311	415487	415674	412501
8	दिल्ली	959395	1091392	1294765	1225350	1448144	1521354
9	दीव और दमण	2797	2849	2919	3063	3256	3367
10	गोवा	60253	66471	64728	62280	59915	60204
11	गुजरात	1924123	1954531	1723574	1546594	1490523	1488887
12	हरियाणा	1119274	1307285	1487515	1508443	1424766	1452428
13	हिमाचल प्रदेश	427869	465420	490124	585903	634041	621370
14	जम्मू - कश्मीर	228354	254857	299757	313084	315250	325440
15	झारखंड	467135	532214	543846	555662	541964	544096
16	कर्नाटक	1767910	1824789	1905119	1956587	2074810	2090916
17	केरल	2072196	2080592	1986361	1871845	1745400	1713031
18	लद्दाख	783	907	1273	1275	1422	1439
19	लक्षद्वीप	165	225	357	496	518	531
20	मध्य प्रदेश	1733640	1917403	2002464	2028354	2019037	2004700
21	महाराष्ट्र	4574455	4864283	5013998	5146741	5409087	5565701
22	मणिपुर	11054	12900	12031	12912	12455	12654
23	मेघालय	16138	16996	16437	15827	14848	15044
24	मिजोरम	3963	4033	3043	3948	6219	6616
25	नागालैंड	2275	2654	3061	3184	3317	3353
26	ओडिशा	1449013	1546945	1576193	1623255	1652610	1651269
27	पुडुचेरी	32150	32447	35625	37180	35048	35279
28	पंजाब	849268	930199	919854	869616	853766	853239
29	राजस्थान	1941874	2138518	2212961	2336331	2284356	2276072
30	सिक्किम	1566	1819	1858	1670	1589	1681
31	तमिलनाडु	1360092	1439980	1503712	1479624	1479852	1484407
32	तेलंगाना	738581	870938	890379	914774	935839	933551
33	त्रिपुरा	44679	42979	40432	43429	42855	43138
34	उत्तर प्रदेश	8746054	9879430	11222586	11383533	11561536	11526821
35	उत्तराखंड	269718	303212	325826	349449	348282	334565
36	पश्चिमी बंगाल	2428578	2640098	2791790	3007979	3386650	3392959
	कुल:	**37896846**	**41338997**	**43717696**	**44300924**	**45310872**	**45499868**

राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एनजेडीजी)

उपाबंध-2

'लंबित मामलों का समाधान और न्याय की सुगमता' के संबंध में राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2360 जिसका उत्तर 20.03.2025 को दिया जाना है, के भाग (क) उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।

उच्च न्यायालयों में पिछले पांच वर्षों और चालू वर्ष के लिए वर्ष-वार लंबित मामले

क्र. सं.	उच्च न्यायालय का नाम	01.01.2020 तक लंबित मामलों की संख्या	01.01.2021 तक लंबित मामले	01.01.2022 तक लंबित मामले	01.01.2023 तक लंबित मामले	01.01.2024 को लंबित मामले	01.01.2025 तक लंबित मामलों की संख्या
1	इलाहाबाद	988692	1024500	1034218	1066571	1145991	1160164
2	बम्बई	510986	550118	591274	620353	649613	658005
3	कलकत्ता	236049	231715	217006	203409	203725	199605
4	गुवाहाटी	51748	56172	59342	62007	64324	64322
5	तेलंगाना	237612	254925	252441	246375	244956	245003
6	आंध्र प्रदेश	207673	223096	240845	248344	246234	246719
7	छत्तीसगढ़	76393	81568	91662	90447	84469	82813
8	दिल्ली	119613	124713	121512	124727	130504	132481
9	गुजरात	142064	154651	161344	167173	171075	173132
10	हिमाचल प्रदेश	70126	76263	82756	88400	93898	95223
11	जम्मू - कश्मीर	59178	48145	44626	44240	44919	45374
12	झारखंड	88670	88757	87897	85690	74440	73359
13	कर्नाटक	259750	255213	273116	289764	302878	307640
14	केरल	213926	228185	242069	254967	251849	250949
15	मध्यप्रदेश	384712	410142	433030	448728	467458	473763
16	मणिपुर	3839	4232	4256	4657	5275	5391
17	मेघालय	1452	1581	1183	1123	1246	1267
18	पंजाब और हरियाणा	419943	451872	448638	442413	431832	427674
19	राजस्थान	507824	552999	609046	622998	652899	669844
20	सिक्किम	240	180	164	181	207	221
21	त्रिपुरा	2361	1771	1616	1279	1055	1044
22	उत्तराखंड	38564	41403	45031	50317	55510	56330
23	मद्रास	568699	572595	550017	535051	518012	522289
24	उड़ीसा	174365	195083	160546	147434	146498	150109
25	पटना	180109	226712	212788	197375	202145	207033
	कुल	**5544588**	**5856591**	**5966423**	**6044023**	**6191012**	**6249754**

राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एनजेडीजी)

उपाबंध - 3

'लंबित मामलों का समाधान और न्याय की सुगमता' के संबंध में राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2360 जिसका उत्तर 20.03.2025 को दिया जाना है, के भाग (क) उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।

भारत के उच्चतम न्यायालय में पिछले पांच वर्षों और चालू वर्ष के लिए वर्ष-वार लंबित मामले निम्नानुसार हैं

2020	2021	2022	2023	2024	*2025 (07.03.2025 के अनुसार)
65,086	70,239	78,797	80,674	82,496	80,963

स्रोत: भारत का उच्चतम न्यायालय

*राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एनजेडीजी)

उपाबंध-4

'लंबित मामलों का समाधान और न्याय की सुगमता' के संबंध में राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2360 जिसका उत्तर 20.03.2025 को दिया जाना है, के भाग (ग) उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।

जिला न्यायालय- मामला प्रकार: 01 जनवरी, 2025 तक लंबित मामले		
एसआर। नहीं।	**मामले का प्रकार**	**कुल लंबित मामले**
1	वारंट या सम्मन आपराधिक मामले	25591524
2	दीवानी वाद	5265823
3	सत्र मामला	2342158
4	विविध आपराधिक अनुप्रयोग	2147096
5	निष्पादन याचिका	1123472
6	विविध सिविल मामले	855036
7	एमएसीपी	724429
8	विविध सिविल आवेदन	526782
9	विवाह याचिका	505708
10	सिविल अपील	270658
11	आपराधिक अपील	217679
12	आपराधिक पुनरीक्षण	125638
13	भूमि संदर्भ	119998
14	विविध निष्पादन	124114
15	जमानत आवेदन	115157
16	विविध सिविल अपील	101951
17	किशोर मामले	71002
18	मध्यस्थता मुख्य और विविध।	50644
19	श्रम न्यायालय के मुख्य मामले	45998
20	औद्योगिक न्यायालय के मुख्य मामले	30436
21	वाणिज्यिक वाद	24870
22	नागरिक पुनरीक्षण	12794
23	श्रम न्यायालय विविध मामले	5774
24	अन्य अधिकरण	5734
25	औद्योगिक न्यायालय विविध मामले	5193
26	चुनाव याचिका	2242
27	वाणिज्यिक अपील	518
28	सहकारी अपील मामले मुख्य	422
29	सहकारी न्यायालय मामले विविध	284
30	सहकारी न्यायालय मामले मुख्य	248
31	सहकारी अपील मामले विविध	4
	कुल	**40413386**

स्रोत:राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एनजेडीजी)।

उपाबंध-5

'लंबित मामलों का समाधान और न्याय की सुगमता' के संबंध में राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2360 जिसका उत्तर 20.03.2025 को दिया जाना है, के भाग (ग) उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।

उच्च न्यायालय – मामला प्रकार लंबित मामले 01 जनवरी, 2025 तक		
क्रमांक	**मामले का प्रकार**	**कुल लंबित मामले**
1	रिहाई	10015
2	नावधिकरण	467
3	आदेश के विरुद्ध	169282
4	मध्यस्थता	11962
5	रिट याचिका से उत्पन्न	39925
6	जमानत	60045
7	वाणिज्यिक	16819
8	कंपनी	17043
9	अवज्ञा	123998
10	दोषसिद्धि	217335
11	प्रत्याक्षेप	13970
12	मृत्यु	157
13	चुनाव	946
14	फाँसी	55389
15	सरकार द्वारा दायर किया गया।	20179
16	बंदी प्रत्यक्षीकरण	1831
17	उद्योग/बैंक/वित्त/बीमा/दिवालियापन	755
18	अंतरिम/वादकालीन आवेदन	148893
19	जेल	49411
20	एलपीए	14665
21	श्रम औद्योगिक	1473
22	भूमि संबंधी	26730
23	अपील/याचिका दायर करने की अनुमति	18259
24	फुटकर	755442
25	मोटर दुर्घटना का दावा	71997
26	मूल	336659
27	अन्य	178510
28	जनहित याचिका	10687
29	रिसीवर	1
30	नियमित	2406503
31	सेवा मामले	29176
32	विशेष क्षेत्राधिकार	2243
33	विशेष विषय	21513
34	सुओ मोटू	349
35	कर/उत्पाद शुल्क/शुल्क/उपकर	45179
36	वसीयतनामा/वैवाहिक	44595
	कुल	4922403

स्रोत: राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एनजेडीजी)।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
राज्य सभा
तारांकित प्रश्न सं. *292
जिसका उत्तर गुरुवार, 27 मार्च, 2025 को दिया जाना है

न्यायिक अवसंरचना का आकलन

292 डा. सैयद नसीर हुसैन :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय ने विशेषकर न्यायालय कक्षों में अत्यधिक भीड़ और अपर्याप्त सुविधाओं के संबंध में जिला न्यायालयों में अवसंरचना की वर्तमान स्थिति का आकलन किया है ;

(ख) ऐसे आकलनों के प्रमुख निष्कर्ष क्या हैं और कितने प्रतिशत न्यायालयों में इलेक्ट्रॉनिक डिस्पले और वीडियो कांफ्रेसिंग जैसी आवश्यक सुविधाओं का अभाव है ;

(ग) इन अवसंरचनात्मक कमियों को दूर करने के लिए क्या पहल की गई है और इनके पूरा होने के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है ; और

(घ) विगत तीन वर्षों के दौरान न्यायिक अवसंरचना में सुधार के लिए वर्ष-वार कितना बजटीय आबंटन किया गया और इन निधियों का कितने प्रभावी ढंग से उपयोग किया गया है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (घ) : एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

'न्यायिक अवसंरचना का आकलन' के संबंध में पूछे गए राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या *292 जिसका उत्तर तारीख 27.03.2025 को दिया जाना है, के भाग (क) से (घ) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण।

(क) से (घ) : जिला न्यायपालिका के लिए बुनियादी ढांचे के विकास की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। केंद्रीय सरकार, जिला और अधीनस्थ न्यायपालिका के लिए बेहतर बुनियादी ढांचे के निर्माण की जरूरतों के प्रति संवेदनशील है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, यह न्यायिक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए केंद्र प्रायोजित स्कीम (सीएसएस) के माध्यम से वित्तीय सहायता द्वारा राज्य/संघ राज्यक्षेत्रों की सरकारों के संसाधनों की पूर्ति करती है। इस स्कीम में न्यायालय हॉल और न्यायिक अधिकारियों के लिए आवासीय इकाइयों के साथ-साथ वकील हॉल, शौचालय परिसर और डिजिटल कंप्यूटर कक्षों का निर्माण सम्मिलित है। वर्ष 1993-94 में स्कीम की शुरुआत से लेकर आज तक 11,886.29 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी है।

वर्ष 2014 में 15,818 न्यायालय हॉल और 10,211 आवासीय इकाइयों से, आज की तारीख में उपलब्ध न्यायालय हॉल (22,062) और आवासीय इकाइयों (19,775) की संख्या में क्रमशः 39.47% और 93.66% की वृद्धि हुई है। आज की तारीख में, 3,206 न्यायालय हॉल और 2,639 आवासीय इकाइयाँ निर्माणाधीन हैं। पिछले तीन वर्षों और चालू वित्त वर्ष के लिए सी.एस.एस. के अधीन आबंटित और उपयोग की गई निधि का वर्ष-वार विवरण इस प्रकार है:

(करोड़ रुपए में)

वित्तीय वर्ष	**बजट आबंटन**	**उपयोग किया गया**
2021-22	770.44	684.60
2022-23	848.00	858.00*
2023-24	1051.00	1060.17*
2024-25(28.2.2025 तक)	1123.40	958.28

** वित्त वर्ष 2022-23 और 2023-24 में जारी की गई थोड़ी अधिक निधि ग्राम न्यायालय स्कीम से धन के पुनर्विनियोजन के कारण है, जो न्यायिक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए सी.एस.एस. की एक उप-स्कीम है।*

राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में समयबद्ध और सतत बुनियादी ढांचे के विकास के लिए प्रभावी मानीटरी तंत्र विद्यमान हैं। स्कीम के अधीन चल रही परियोजनाओं की भौतिक और वित्तीय प्रगति की समीक्षा करने के लिए संबंधित उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में राज्य में एक उच्च न्यायालय स्तरीय मानीटरी समिति है। इसके अतिरिक्त, परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करने के लिए न्याय विभाग में एक केंद्रीय स्तरीय मानीटरी समिति है। इसके अतिरिक्त, जमीनी स्तर पर प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त करने के लिए न्याय विभाग के अधिकारी नियमित रूप से राज्यों का दौरा करते हैं। राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों की समस्याओं को सुलझाने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नियमित बैठकें भी होती हैं।

राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को चल रही परियोजनाओं को वास्तविक समय में जियो-टैग करना होगा और उसे न्याय विकास पोर्टल पर दर्शाना होगा, जो न्यायिक अवसंरचना परियोजनाओं की प्रगति तथा समयबद्ध पूर्णता पर डेटा एकत्र करने के लिए इसरो के राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र की तकनीकी सहायता से विकसित एक ऑनलाइन मानीटरी प्रणाली है।

केंद्र प्रायोजित स्कीम (सीएसएस) वर्तमान में नीति आयोग के तत्वावधान में तीसरे पक्ष के मूल्यांकन के अधीन है, जो 15वें वित्त आयोग अवधि अर्थात 2021-22 से 2025-26 के दौरान अनुमोदित भारत सरकार की सभी सीएसएस स्कीमों की सामान्य समीक्षा का हिस्सा है।

इसके अतिरिक्त, सरकार भारतीय न्यायालयों की सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) सक्षमता के लिए एक केंद्रीय क्षेत्र स्कीम के रूप में ई-न्यायालयमिशन मोड परियोजना को लागू कर रही है। स्कीम के चरण-1 (2011 से 2015) का उद्देश्य न्यायालयों को बुनियादी आईसीटी अवसंरचना प्रदान

करना था, जबकि चरण-2 (2015 से 2023) विभिन्न पणधारियों को बेहतर सेवाएं प्रदान करते हुए चरण-1 का पूरक था । स्कीम का चरण-3 (2023 से 2027) 7210 करोड़ रुपये के परिव्यय से प्रारंभ किया गया था । इसका उद्देश्य डिजिटल, ऑनलाइन और कागज रहित न्यायालयों की ओर बढ़ते हुए, संपूर्ण न्यायालय रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण और ई-सेवा केंद्रों के साथ सभी न्यायालय परिसरों को संतृप्त करके ई-फाइलिंग/ई-भुगतान के सार्वभौमिकरण के माध्यम से न्याय की बढ़ी हुई आसानी की व्यवस्था की शुरुआत करना है। मामलों को शेड्यूल या प्राथमिकता देते समय न्यायाधीशों और रजिस्ट्री के लिए डेटा-आधारित निर्णय लेने में सक्षम बुद्धिमान स्मार्ट सिस्टम लगाने की स्कीम है।

चरण-1 के दौरान, 493 न्यायालय परिसरों और 347 संबंधित जेलों के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) सुविधा चालू की गई थी । ई-न्यायालय चरण-2 में, 3240 न्यायालय परिसरों और संबंधित 1272 जेलों के बीच वीसी सुविधाएं सक्षम की गईं। भारत के उच्चतम न्यायालय ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से (23.03.2020 से आज तक) 9,94,054 सुनवाई की। सभी उच्च न्यायालयों ने अपने अधिकार क्षेत्र के अधीन सभी जिला न्यायालयों सहित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नियमों को लागू किया है। उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालय-वार विवरण **उपाबंध-1** में हैं। पिछले तीन वर्षों और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान ई-न्यायालय परियोजना के अधीन आबंटित और उपयोग की गई निधि का वर्ष-वार विवरण निम्नानुसार है: -

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	**बजट आबंटन**	**कुल व्यय**
2021-22	98.82	98.30
2022-23*	0.01	0.00
2023-24	825	768.25
2024-25 (28.2.2025 तक)	1200	1134.73

** ई-न्यायालय परियोजना का दूसरा चरण मार्च, 2022 में पूरा हो गया और स्कीम का तीसरा चरण सितंबर, 2023 में प्रारंभ हुआ और वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 1.00 लाख रुपये की टोकन राशि आवंटित की गई।*

****

उपाबंध-1

27/03/2025 के राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या *292 के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण

आज तक उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से निपटाए गए मामलों (वर्चुअल सुनवाई) की संख्या				
क्र. सं.	**उच्च न्यायालय (राज्य/संघ राज्यक्षेत्र)**	**उच्च न्यायालय**	**जिला न्यायालय**	**कुल योग**
1	इलाहाबाद (उत्तर प्रदेश)	247388	6198497	6445885
2	आंध्र प्रदेश	407844	1439002	1846846
3	बॉम्बे (महाराष्ट्र, गोवा, दीव और दमण और नागर दादरा हवेली)	68675	215481	284156
4	कलकत्ता (पश्चिमी बंगाल)	163716	96365	260081
5	छत्तीसगढ़	104224	306193	410417
6	दिल्ली	322024	6173665	6495689
7	गुवाहाटी (अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम, नागालैंड)	275256	511996	787252
8	गुजरात	412983	219558	632541
9	हिमाचल प्रदेश	184912	190964	375876
10	जम्मू-कश्मीर और लद्दाख	262032	550523	812555
11	झारखंड	222671	706551	929222
12	कर्नाटक	1261954	169202	1431156
13	केरल	166589	639489	806078
14	मध्य प्रदेश	679551	1049797	1729348
15	मद्रास (तमिलनाडु और पुडुचेरी)	1487878	394231	1882109
16	मणिपुर	52093	16546	68639
17	मेघालय	6026	60566	66592
18	उड़ीसा (ओडिशा)	342870	321286	664156
19	पटना (बिहार)	277696	2887777	3165473
20	पंजाब और हरियाणा (पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़)	616844	3040757	3657601
21	राजस्थान	244832	228175	473007
22	सिक्किम	698	16133	16831
23	तेलंगाना	1311437	195565	1507002
24	त्रिपुरा	22396	37854	60250
25	उत्तराखंड	89051	48597	137648
	कुल	**9231640**	**25714770**	**34946410**

स्रोत: ई-कमेटी, भारत का उच्चतम न्यायालय

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
राज्य सभा
तारांकित प्रश्न सं. *298
जिसका उत्तर गुरुवार, 27 मार्च, 2025 को दिया जाना है

इलाहाबाद उच्च न्यायालय एवं अन्य उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के रिक्त पद

298 # श्री रामजी लाल सुमन :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद उच्च न्यायालय में वर्तमान में न्यायाधीशों के कितने पद रिक्त हैं ;

(ख) देश के अन्य उच्च न्यायालयों में वर्तमान में न्यायाधीशों के रिक्त पदों का ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों में कितने न्यायाधीश सेवानिवृत्त हुए और उनके स्थान पर कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई; और

(घ) क्या यह सच है कि न्यायाधीशों के रिक्त पदों के कारण मामलों के निपटान में अत्यधिक समय लग रहा है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (घ) : एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय एवं अन्य उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के रिक्त पद से संबंधित श्री रामजी लाल सुमन द्वारा पूछे गए राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या 298# जिसका तारीख 27 मार्च, 2025 को दिया जाना है, के भाग (क) से (घ) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।

(क) से (घ) : इलाहाबाद उच्च न्यायालय और अन्य उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के रिक्त पदों के ब्यौरे उपाबंध में है । 01.01.2022 - 24.03.2025 के दौरान, विभिन्न उच्च न्यायालयों में 206 उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सेवानिवृत्त हुए और 340 न्यायाधीश नियुक्त किए गए।

उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 और अनुच्छेद 224 के अधीन और उच्चतम न्यायालय की 28 अक्तूबर, 1998 की सलाहकारी राय (तृतीय न्यायाधीश मामले) के साथ पठित तारीख 6 अक्तूबर, 1993 (द्वितीय न्यायाधीश मामला) के अनुसरण में 1998 में तैयार किए गए प्रक्रिया ज्ञापन (एमओपी) में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार की जाती है।

एमओपी के अनुसार, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रस्तावों को आरंभ करने का उत्तरदायित्व भारत के मुख्य न्यायमूर्ति में निहित होता है, जबकि उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रस्तावों को आरंभ करने का उत्तरदायित्व संबद्ध उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति में निहित होता है। एमओपी के अनुसार, उच्च न्यायालयों को रिक्ति होने से कम से कम 06 महीने पहले सिफारिशें करना आवश्यक है। तथापि, उच्च न्यायालयों द्वारा इस समय-सीमा का शायद ही पालन किया जाता है। उच्च न्यायालयों में नियुक्तियों के लिए, संबंधित राज्य सरकारों के विचार एमओपी के अनुसार प्राप्त किए जाते हैं। विचाराधीन नामों के संबंध में सरकार को उपलब्ध अन्य रिपोर्टों के आलोक में भी सिफारिशों पर विचार किया जाना होता है। उच्च न्यायालय कॉलेजियम, राज्य सरकारों और भारत सरकार की सिफारिशों को तब सलाह के लिए उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम (एससीसी) को अग्रेषित किया जाता है। केवल उन्हीं व्यक्तियों को उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाता है जिनके नामों की सिफारिश एससीसी द्वारा की गई है। उच्चतर न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच एक सतत, एकीकृत और सहयोगात्मक प्रक्रिया है। इसके लिए राज्य और केन्द्र दोनों स्तरों पर विभिन्न संवैधानिक प्राधिकरणों से परामर्श और अनुमोदन अपेक्षित है।

न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या में वृद्धि होने का एकमात्र कारण न्यायाधीशों के पदों पर रिक्ति होना नहीं है। न्यायालयों में मामलों का लंबन, अनेक कारकों के कारण होता है, जिसमें, अन्य बातों के साथ, भौतिक अवसंरचना और सहायक न्यायालय कर्मचारिवृंद की उपलब्धता, अंतर्वलित तथ्यों की जटिलता, साक्ष्य की प्रकृति, हितधारकों जैसे बार, जांच एजेंसियों, गवाहों और वादियों का सहयोग और नियमों और प्रक्रियाओं का उचित अनुप्रयोग न्यायालयों में मामलों की संख्या में वृद्धि के लिए उत्तरदायी है।

मामलों के निपटारे में विलंब के अन्य कारकों में विभिन्न प्रकार के मामलों के निपटान के लिए संबंधित न्यायालयों द्वारा निर्धारित समय-सीमा की कमी, बार-बार स्थगन और सुनवाई के लिए मामलों को मॉनीटर करने, उनका पता लगाने और समूहबद्ध करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की कमी शामिल है।

*****

उपाबंध

(24.03.2025 तक)

क्र.सं.	उच्च न्यायालय	स्वीकृत संख्या	कार्यरत संख्या	रिक्तियां
1.	इलाहाबाद	160	79	81
2.	आंध्र प्रदेश	37	30	7
3.	बम्बई	94	66	28
4.	कलकत्ता	72	46	26
5.	छत्तीसगढ़	22	16	6
6.	दिल्ली	60	39	21
7.	गुवाहाटी	30	25	5
8.	गुजरात	52	32	20
9.	हिमाचल प्रदेश	17	12	5
10.	जम्मू-कश्मीर और लद्दाख	25	15	10
11.	झारखंड	25	15	10
12.	कर्नाटक	62	50	12
13.	केरल	47	44	3
14.	मध्य प्रदेश	53	34	19
15.	मद्रास	75	65	10
16.	मणिपुर	5	4	1
17.	मेघालय	4	4	0
18.	उड़ीसा	33	18	15
19.	पटना	53	37	16
20.	पंजाब और हरियाणा	85	53	32
21.	राजस्थान	50	34	16
22.	सिक्किम	3	3	0
23.	तेलंगाना	42	30	12
24.	त्रिपुरा	5	5	0
25.	उत्तराखंड	11	9	2

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3137
जिसका उत्तर गुरुवार, 27 मार्च, 2025 को दिया जाना है

न्याय प्रदायगी मे त्वरितता लाना

3137 श्री जोस के. मणि :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार, हमारी न्यायिक प्रणाली में न्याय प्रदायगी में त्वरितता लाने और लंबित मामलों के विशाल बैकलॉग में कमी लाने के लिए क्या ठोस उपाय कर रही है ;

(ख) क्या सरकार ने न्यायिक प्रणाली में किन्हीं विशिष्ट प्रशासनिक या प्रक्रियात्मक अड़चनों की पहचान की है, जिन पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (ग) : न्यायिक प्रणाली से संबंधित, लंबित मामले और विनिर्दिष्ट प्रशासनिक और प्रक्रियात्मक अड़चनें न्यायपालिका के कार्यक्षेत्र में आते हैं। तथापि, भारत सरकार आवश्यक संसाधन, अवसंरचनात्मक समर्थन और नीतिगत हस्तक्षेप प्रदान करके न्याय परिदान प्रणाली को मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता में दृढ़ रहती है। न्यायिक दक्षता की आवश्यकता को पहचानते हुए, सरकार ने मामलों के तेजी से निपटान को सुकर बनाने और न्यायालयों के समग्र कामकाज को बढ़ाने के लिए संविधान के अनुच्छेद 21 के अधीन अनिवार्य रूप से अनेक सक्रिय पहल की हैं। इन उपायों का उद्देश्य न्यायपालिका द्वारा मामलों के तेजी से निपटान के लिए एक सामर्थ्यकारी पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है और इन्हें निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:

i. न्याय परिदान करने और विधिक सुधार के लिए राष्ट्रीय मिशन की स्थापना अगस्त, 2011 में की गई थी, जिसके दोहरे उद्देश्य थे, प्रणाली में देरी और बकाया को कम करके सुगम्यता बढ़ाना और संरचनात्मक परिवर्तनों के माध्यम से और कार्य निष्पादन मानकों और क्षमताओं को स्थापित करके जवाबदेही बढ़ाना । मिशन, न्यायिक प्रशासन में लंबित मामलों और बकाया के चरणबद्ध तरीके से परिनिर्धारण के लिए समन्वित दृष्टिकोण अपना रहा है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, कम्प्यूटरीकरण सहित न्यायालयों के लिए बेहतर बुनियादी ढांचा, जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की स्वीकृत संख्या में वृद्धि, अत्यधिक मुकदमेबाजी वाले क्षेत्रों में नीति और विधायी उपाय और मामलों के त्वरित निपटान के लिए न्यायालय प्रक्रिया की पुनः इंजीनियरी और मानव संसाधन विकास पर जोर देना शामिल है।

ii. न्यायिक अवसंरचना के विकास के लिए केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के अधीन, राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को न्यायालय कक्षों, न्यायिक अधिकारियों के लिए आवासीय क्वार्टरों, वकीलों के हॉल, शौचालय परिसरों और डिजिटल कंप्यूटर कक्षों के निर्माण के लिए निधि जारी की जा रही है, जिससे वादियों सहित विभिन्न

पणधारियों का जीवन सुगम हो रहा है, जिसके द्वारा न्याय परिदान में सहायता मिल रही है। 1993-94 में न्यायपालिका के लिए अवसंरचना सुविधाओं के विकास के लिए केंद्रीय प्रायोजित स्कीम (सीएसएस) की शुरुआत से लेकर अब तक 28.02.2025 की स्थिति के अनुसार 11886.29 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं। इस स्कीम के अधीन न्यायालय कक्षों की संख्या 30.06.2014 को 15,818 से बढ़कर 28.02.2025 को 22,062 हो गई है तथा आवासीय इकाइयों की संख्या 30.06.2014 को 10,211 से बढ़कर 28.02.2025 को 19,775 हो गई है।

iii. और, ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना के चरण-1 और चरण-2 के अधीन, जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की आईटी समर्थता के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) का लाभ उठाया गया है। 2023 तक 18,735 जिला और अधीनस्थ न्यायालयों को कम्प्यूटरीकृत किया गया। 99.5% न्यायालय परिसरों को डब्ल्यूएएन (WAN) कनेक्टिविटी प्रदान की जा चुकी है। 3,240 न्यायालय परिसरों और 1,272 तत्स्थानी जेलों के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा समर्थ की गई है। 31.01.2025 तक जिला न्यायालयों में 1572 ई-सेवा केंद्र और उच्च न्यायालयों में 39 ई-सेवा केंद्रों को वकीलों और वादियों को नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान करने के द्वारा डिजिटल डिवाइड को पाटने के लिए कार्यात्मक बनाया गया है। 21 राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों में 28 आभासी न्यायालय स्थापित किए गए हैं। 31.01.2025 तक, इन न्यायालयों ने 6.66 करोड़ से अधिक मामलों को निपटाया है तथा 714.99 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना वसूला है । 13.09.2023 को मंत्रिमंडल ने 7,210 करोड़ रुपये के परिव्यय पर ई-न्यायालय परियोजना के चरण-3 को मंजूरी दे दी है। चरण-1 और चरण-2 के लाभों को अगले स्तर पर ले जाते हुए, ई-न्यायालय चरण-3 का उद्देश्य डिजिटल, ऑनलाइन और कागज रहित न्यायालयों की ओर बढ़ते हुए न्याय की सुगमता की व्यवस्था की शुरुआत करना है। इसका आशय न्याय परिदान को सभी पणधारियों के लिए उत्तरोत्तर अधिक मजबूत, आसान और सुगम्य बनाने के लिए कृत्रिम बुद्धिमता (एआई), ब्लॉक चेन आदि जैसी नवीनतम प्रोद्योगिकी को शामिल करना है।

iv. सरकार भारत के उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के रिक्त पदों को नियमित रूप से भरती रही है। 01.05.2014 से 20.03.2025 तक, उच्चतम न्यायालय में 67 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई। उसी अवधि के दौरान उच्च न्यायालयों में 1030 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई और 791 अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थाई किया गया। उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या मई, 2014 में 906 से बढ़कर अब तक 1122 हो चुकी है। जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृत और कार्यरत संख्या में निम्नानुसार वृद्धि हुई है:

आज तक	स्वीकृत संख्या	कार्यरत संख्या
31.12.2013	19,518	15,115
28.02.2025	25,786	20,511

तथापि, जिला और अधीनस्थ न्यायपालिका में रिक्तियों को भरना, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों और संबद्ध उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में आता है।

v. अप्रैल, 2015 में आयोजित मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन में पारित प्रस्ताव के अनुसरण में, सभी 25 उच्च न्यायालयों में पांच वर्ष से अधिक समय से लंबित मामलों के निपटारे के लिए बकाया समितियों का गठन किया गया है। जिला न्यायालयों के अधीन भी बकाया समितियों का गठन किया गया है।

vi. चौदहवें वित्त आयोग के तत्वावधान के अधीन जघन्य अपराधों, वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, बालकों आदि से जुड़े मामलों से निपटने के लिए त्वरित निपटान न्यायालय की स्थापना की गई है। 31.01.2025 तक, देश भर में 860 त्वरित निपटान न्यायालय कार्यरत हैं। निर्वाचित सांसदों/विधायकों से जुड़े आपराधिक मामलों को फास्ट ट्रैक करने के लिए, नौ (9) राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में दस (10) विशेष

न्यायालय कार्यात्मक हैं। और, केंद्रीय सरकार ने बलात्संग और पॉक्सो अधिनियम के लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए देश भर में त्वरित निपटान विशेष न्यायालय (एफटीएससी) स्थापित करने की स्कीम को मंजूरी दी है। 31.01.2025 तक, देश भर के 30 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में 404 अनन्य रुप से ई-पोक्सो (ईपोक्सो) न्यायालयों सहित 745 त्वरित निपटान विशेष न्यायालय कार्यात्मक हैं, जिन्होंने 3,06,000 से अधिक मामलों का निपटारा किया है।

vii. न्यायालयों में लंबित मामलों को कम करने और कामकाज को सुचारू करने के दृष्टिकोण से, सरकार ने विभिन्न विधियों में संशोधन किया है, जैसे परक्राम्य लिखत (संशोधन) अधिनियम, 2018, वाणिज्यिक न्यायालय (संशोधन) अधिनियम, 2018, विनिर्दिष्ट अनुतोष (संशोधन) अधिनियम, 2018, माध्यस्थम और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2019 और दंड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2018।

viii. वैकल्पिक विवाद समाधान पद्धतियों को पूरे दिल से संवर्द्धित किया गया है। तदनुसार, वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 को अगस्त, 2018 में संशोधित किया गया था, जिससे वाणिज्यिक विवादों के मामले में पूर्व-संस्था मध्यकता और निपटान (पीआईएमएस) अनिवार्य हो गया। पीआईएमएस तंत्र की दक्षता को और बढ़ाने के लिए, सरकार ने मध्यकता अधिनियम, 2023 के माध्यम से वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 में और संशोधन किया है। विवादों के त्वरित समाधान में तेजी लाने के लिए माध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996 में वर्ष 2015, 2019 और 2021 में संशोधन किए जा चुके हैं।

वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 के अधीन, मामलों के प्रबंधन की सुनवाई का उपबंध है जो किसी मामले के दक्ष, प्रभावी और उद्देश्यपूर्ण न्यायिक प्रबंधन के लिए उपबंध करता है ताकि विवाद का समय पर और गुणवत्तापूर्ण समाधान प्राप्त किया जा सके। यह तथ्य और विधि के विवादित मुद्दों की शीघ्र पहचान, मामले के जीवन के लिए प्रक्रियात्मक कैलेंडर की स्थापना और विवाद के समाधान की संभावनाओं की खोज में सहायता करता है।

वाणिज्यिक न्यायालयों के लिए शुरू की गई एक अन्य नवीन विशेषता, रंग बैंडिंग की प्रणाली है, जो किसी भी वाणिज्यिक मामले में दी जाने वाली स्थगन की संख्या को तीन तक सीमित कर देती है तथा न्यायाधीशों को लंबित मामलों के उनके चरण के अनुसार मामलों को सूचीबद्ध करने के बारे में सचेत करती है।

ix. लोक अदालत, आम लोगों के लिए उपलब्ध एक महत्वपूर्ण वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र है। यह एक ऐसा मंच है, जहाँ विधि के न्यायालय में लंबित या मुकदमेबाजी से पहले के विवादों/मामलों का सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटारा/समझौता किया जाता है। विधिक सेवा प्राधिकरण (एलएसए) अधिनियम, 1987 के अधीन, लोक अदालत द्वारा दिए गए निर्णय को सिविल न्यायालय की डिक्री समझा जाता है और यह अंतिम होता है तथा सभी पक्षों पर बाध्यकारी होता है तथा इसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती। लोक अदालत कोई स्थाई स्थापन नहीं है। राष्ट्रीय लोक अदालत सभी तालुकों, जिलों और उच्च न्यायालयों में एक साथ पूर्व-नियत तारीख पर आयोजित की जाती हैं।

पिछले चार वर्षों के दौरान राष्ट्रीय लोक अदालतों में निपटाए गए मामलों का ब्यौरा निम्नानुसार है: -

वर्ष	**मुकदमेबाजी से पूर्व के मामले**	**लंबित मामले**	**कुल योग**
2021	72,06,294	55,81,743	1,27,88,037
2022	3,10,15,215	1,09,10,795	4,19,26,010
2023	7,10,32,980	1,43,09,237	8,53,42,217
2024	8,70,19,059	1,75,07,060	10,45,26,119
योग	19,62,73,548	4,83,08,835	24,45,82,383

x. सरकार ने 2017 में टेली-लॉ कार्यक्रम शुरू किया, जो ग्राम पंचायतों में स्थित सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी) पर उपलब्ध वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, टेलीफोन और चैट सुविधाओं और टेली-लॉ मोबाइल ऐप के माध्यम से पैनल अधिवक्ताओं के साथ विधिक सलाह और परामर्श चाहने वाले जरूरतमंद और वंचित वर्गों को जोड़ने वाला एक प्रभावी और विश्वसनीय ई-इंटरफेस प्लेटफॉर्म प्रदान करता है।

*टेली-लॉ डेटा का प्रतिशतवार ब्रेक-अप ब्यौरा

प्रवर्ग	**रजिस्ट्रीकृत मामले**	**% वार ब्रेकअप**	**सलाह समर्थ**	**% वार ब्रेकअप**
लिंग वार				
महिला	43,50,146	39.53%	42,92,045	39.49%
पुरुष	66,55,274	60.47%	65,77,616	60.51%
जाति प्रवर्ग वार				
सामान्य	25,94,779	23.58%	25,54,696	23.50%
अन्य पिछड़ा वर्ग	34,67,629	31.51%	34,21,343	31.48%
अनुसूचित जाति	34,55,009	31.39%	34,19,433	31.46%
अनुसूचित जनजाति	14,88,003	13.52%	14,74,189	13.56%
कुल	**1,10,05,420**		**1,08,69,661**	

*28.02.2025 तक का डेटा.

xi. देश में प्रो बोनो संस्कृति और प्रो बोनो वकालत को संस्थागत बनाने के प्रयास किए गए हैं। एक प्रोद्योगिकी ढांचा तैयार किया गया है, जहाँ प्रो बोनो कार्य के लिए अपना समय और सेवाएँ देने वाले अधिवक्ता न्याय बंधु (एंड्रॉइड और आईओएस और ऐप्स) पर प्रो बोनो अधिवक्ता के रूप में रजिस्टर कर सकते हैं। न्याय बंधु सेवाएँ उमंग प्लेटफ़ॉर्म पर भी उपलब्ध हैं। राज्य/संघ राज्यक्षेत्र स्तर पर 23 उच्च न्यायालयों में अधिवक्ताओं का प्रो बोनो पैनल शुरू किया गया है। नवोदित अधिवक्ताओं में प्रो बोनो संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए 109 लॉ स्कूलों में प्रो बोनो क्लब शुरू किए गए हैं।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3138
जिसका उत्तर गुरुवार, 27 मार्च, 2025 को दिया जाना है

न्यायाधीशों द्वारा परिसंपत्तियों की अनिवार्य घोषणा

3138 श्री मनोज कुमार झा :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए परिसंपत्ति प्रकटीकरण को अनिवार्य बनाने की संसदीय समिति की सिफारिश पर ध्यान दिया है;

(ख) उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1954 और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1958 के तहत परिसंपत्ति घोषणा के लिए सांविधिक नियम बनाने में विलंब के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या इस मामले पर उच्चतम न्यायालय की रजिस्ट्री के साथ परामर्श कार्य पूरा हो चुका है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या न्यायाधीशों द्वारा स्वैच्छिक रूप से परिसंपत्ति प्रकटीकरण संबंधी संकल्प का अनुपालन हुआ है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) सरकार द्वारा परामर्श प्रक्रिया को तीव्र करने और अनिवार्य परिसंपत्ति घोषणा नियमों को लागू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (ग) : उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा आस्तियों की अनिवार्य घोषणा के लिए कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी विभागीय संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशों पर भारत के उच्चतम न्यायालय के साथ विचार-विमर्श किया गया था। उच्चतम न्यायालय ने, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा आस्तियों की अनिवार्य घोषणा के मुद्दे की परीक्षा करने के लिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की समिति गठित की थी। समिति ने संप्रेक्षित किया कि उच्चतर न्यायपालिका के न्यायाधीशों द्वारा आस्तियों की घोषणा और सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन सभी जानकारी प्रस्तुत करने से संबंधित मुद्दे की व्यापक रुप से परीक्षा की गई है और सीपीआईओ, भारत के उच्चतम न्यायालय बनाम सुभाष चंद्र अग्रवाल में इस न्यायालय की संवैधानिक न्यायपीठ के निर्णय में (2020) 5 एससीसी 481 में निपटान किया गया है। पूर्ण न्यायालय के विनिश्यचों के संदर्भ में अपनाई गई और अनुसरित की गई प्रक्रिया पूर्वोक्त विनिश्चय के अनुरूप है। समिति ने उच्चतम न्यायालय के पूर्ण न्यायालय के पूर्ववर्ती विनिश्चय को दोहराया कि प्रत्येक न्यायाधीश को पद ग्रहण करते समय और मुख्य न्यायमूर्ति के समक्ष जब कभी सारवान प्रकृति का कोई अर्जन किया जाता है तब भी अपनी आस्तियों की घोषणा करनी चाहिए। इसमें सीजेआई की घोषणा भी शामिल है। समिति ने प्रस्तावित किया कि उच्चतम

न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट पर उन न्यायाधीशों के नाम प्रदर्शित होने चाहिए, जिन्होंने मुख्य न्यायमूर्ति की आस्तियों की घोषणा की है। उक्त प्रस्ताव को सीजेआई द्वारा अनुमोदित किया गया है और तदनुसार, न्यायाधीशों के नाम उच्चतम न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रदर्शित किए गए हैं ।

(घ) और (ङ) : उच्चतम न्यायालय की 07.05.1997 को पूर्ण न्यायालय बैठक द्वारा अंगीकृत "न्यायिक जीवन के मूल्यों का पुनर्कथन" कतिपय न्यायिक मानकों को अधिकथित करता है जिनका उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा अनुसरण किया जाना होता है । पूर्ण न्यायपीठ ने तारीख 26 अगस्त, 2009 की अपनी बैठक में यह विनिश्चय किया था कि 7 मई, 1997 के संकल्प के आधार पर न्यायाधीशों द्वारा प्रस्तुत आस्तियों के विवरण को उच्चतम न्यायालय की वेबसाइट पर प्रकाशित करके जनता के समक्ष रखा जाए। इसके अतिरिक्त, पूर्ण न्यायपीठ ने तारीख 8 सितम्बर, 2009 की अपनी बैठक में आस्तियों की घोषणा को उच्चतम न्यायालय की वेबसाइट पर 31 अक्तूबर, 2009 को या उससे पहले प्रकाशित करने का संकल्प लिया था और यह पूर्णत: स्वैच्छिक आधार पर है। उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा आस्तियों की घोषणा के ब्यौरे केंद्रीय रूप से नहीं रखे जाते हैं।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3139
जिसका उत्तर गुरुवार, 27 मार्च, 2025 को दिया जाना है

न्यायालयों में मामलों का बैकलॉग

3139 श्री सी.वी. षनमुगम :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि स्थानीय न्यायालयों से लेकर उच्चतम न्यायालय तक लंबित मामलों के विशाल बैकलॉग के परिणामस्वरूप हमारी न्यायिक प्रणाली पर विश्वास कम हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) तमिलनाडु के विशेष संदर्भ सहित विभिन्न न्यायालयों में लंबित मामलों की राज्य-वार संख्या कितनी है ; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (घ) : राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (एनजेडीजी) पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 21.03.2025 तक विभिन्न न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या इस प्रकार है

क्र सं.	न्यायालय का नाम	लंबित मामले
1.	उच्चतम न्यायालय	81,598
2.	उच्च न्यायालय	62,50,334
3.	जिला और अधीनस्थ न्यायालय	4,55,10,088

तमिलनाडु सहित जिला न्यायालयों और उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों का राज्य/संघ क्षेत्र के अनुसार विस्तृत विवरण क्रमशः **उपाबंध-1** और **उपाबंध-2** पर है ।

सरकार विभिन्न स्तरों पर न्यायपालिका में मामले लंबित होने के मुद्दे से अवगत है। जबकि मामलों की लंबितता का मुद्दा न्यायपालिका के दायरे में आता है, सरकार न्याय वितरण प्रणाली को मजबूत करने के लिए आवश्यक संसाधन, बुनियादी ढांचे का समर्थन और नीति हस्तक्षेप प्रदान करने की अपनी प्रतिबद्धता में दृढ़ है। न्यायिक दक्षता की आवश्यकता को पहचानते हुए, सरकार ने मामलों के तेजी से निपटान और न्यायालयों के समग्र प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए संविधान के अनुच्छेद 21 के अधीन कई सक्रिय पहल की हैं। ये उपाय न्यायपालिका द्वारा मामलों के तेजी से निपटान के लिए एक सक्षम पारिस्थितिकी तंत्र बनाने का लक्ष्य रखते हैं और निम्नलिखित के रूप में विस्तृत हैं :

i. राष्ट्रीय न्याय परिदान और विधिक सुधार मिशन की स्थापना प्रणाली में विलंब और बकाया में

कमी करके पहुंच में वृद्धि करने और निष्पादन मानकों और क्षमताओं को स्थापित करने के द्वारा और संरचना परिवर्तन के माध्यम से जवाबदेहीता को बढाने के दोहरे उद्देश्यों के साथ अगस्त, 2011 में की गई थी । मिशन न्यायिक प्रशासन में बकाया और लंबित मामलों के चरणबद्ध परिसमापन के लिए एक समन्वित दृष्टिकोण अपना रहा है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ कम्प्यूटरीकरण सहित न्यायालयों के लिए बेहतर अवसंरचना, जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की स्वीकृत संख्या में वृद्धि, अत्यधिक मुकदमेबाजी वाले क्षेत्रों में नीति और विधायी उपाय और मामलों के त्वरित निपटान के लिए न्यायालय प्रक्रिया की पुनः अभियांत्रिकी और मानव संसाधन विकास पर जोर देना शामिल है।

ii. न्यायिक अवसंरचना के विकास के लिए केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम के अधीन, राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को न्यायालय कक्षों, न्यायिक अधिकारियों के लिए आवासीय क्वार्टरों, वकीलों के हॉल, शौचालय परिसरों और डिजिटल कंप्यूटर कक्षों के निर्माण के लिए धनराशि जारी की जा रही है, जिससे वादियों सहित विभिन्न हितधारकों का जीवन आसान हो सके और न्याय प्रदान करने में सहायता मिले। 1993-94 में न्यायपालिका के लिए अवसंरचना सुविधाओं के विकास के लिए केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम (सीएसएस) 28.02.2025 तक 11886.29 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं । इस स्कीम के अधीन न्यायालय कक्षों की संख्या 30.06.2014 को 15,818 से बढ़कर 28.02.2025 तक 22,062 हो गई है और आवासीय इकाइयों की संख्या 30.06.2014 को 10,211 से बढ़कर 28.02.2025 तक 19,775 हो गई है।

iii. इसके अतिरिक्त ई-न्यायालय मिशन मोड परिस्कीम के चरण । और ॥ के अधीन जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की आईटी सक्षमता के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) का लाभ उठाया गया है। 2023 तक 18,735 जिला और अधीनस्थ न्यायालयों को कम्प्यूटरीकृत किया गया। 99.5% न्यायालय परिसरों को वैन संयोजकता प्रदान की गई है। 3,240 न्यायालय परिसरों और 1,272 संबंधित जेलों के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा सक्षम की गई है। 31.01.2025 तक जिला न्यायालयों में 1572 ई-सेवा केंद्र और उच्च न्यायालयों में 39 ई-सेवा केंद्र वकीलों और वादियों को नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान करके डिजिटल डिवाइड को समाप्त करने के लिए कार्यात्मक बनाए गए हैं। 21 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में 28 आभासी न्यायालयों स्थापित की गई हैं। 31.01.2025 तक इन न्यायालयों ने 6.66 करोड़ से अधिक मामलों को संभाला है और 714.99 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना वसूला है। मत्रिमंडल ने 13.09.2023 को 7,210 करोड़ रुपये के परिव्यय पर ई-न्यायालयों चरण-III को मंजूरी दी है। चरण-। और चरण-॥ के लाभों को अगले स्तर पर ले जाते हुए, ई-न्यायालयों चरण-III का उद्देश्य डिजिटल, ऑनलाइन और पेपरलेस न्यायालयों की ओर बढ़ते हुए न्याय की सुगमता की व्यवस्था की शुरुआत करना है। इसका उद्देश्य न्याय वितरण को सभी हितधारकों के लिए उत्तरोत्तर अधिक मजबूत, आसान और सुलभ बनाने के लिए कृत्रिम आसूचना (एआई), ब्लॉक चेन आदि जैसी नवीनतम तकनीक को सम्मिलित करना है।

iv. सरकार भारत के उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के रिक्त पदों को नियमित रूप से भरती रही है। 01.05.2014 से 20.03.2025 तक उच्चतम न्यायालय में 67 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई। इसी अवधि के दौरान उच्च न्यायालयों में 1030 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई और 791 अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी किया गया। उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या मई, 2014 में 906 से बढ़कर अब तक 1122 हो गई है। जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृत और कार्यरत पदसंख्या में निम्नानुसार वृद्धि हुई है:

निम्न तारीख के अनुसार	स्वीकृत पद संख्या	कार्यरत पद संख्या
31.12.2013	19,518	15,115

28.02.2025	25,786	20,511

स्रोत: न्याय विभाग का एमआईएस पोर्टल

तथापि जिला और अधीनस्थ न्यायपालिका में रिक्तियों को भरना संबंधित राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में आता है।

v. अप्रैल 2015 में आयोजित मुख्य न्यायमूर्तियों के सम्मेलन में पारित प्रस्ताव के अनुसरण में, पांच वर्ष से अधिक समय से लंबित मामलों को निपटाने के लिए सभी 25 उच्च न्यायालयों में बकाया समितियों का गठन किया गया है। जिला न्यायालयों के अधीन भी बकाया समितियों का गठन किया गया है।

vi. चौदहवें वित्त आयोग के तत्वावधान में जघन्य अपराधों वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, बालकों आदि के मामलों से निपटने के लिए त्वरित निपटान न्यायालय की स्थापना की गई है। 31.01.2025 तक, जघन्य अपराधों, महिलाओं और बालकों के विरूद्ध अपराध आदि के मामलों को संभालने के लिए 860 त्वरित निपटान न्यारयालय कार्यात्मक हैं। निर्वाचित संसद् सदस्यों विधानसभा/ सदस्योंसे जुड़े आपराधिक मामलों को फास्ट ट्रैक करने के लिए, नौ (9) राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में दस (10) विशेष न्यायालय कार्यात्मक हैं। इसके अतिरिक्त, केंद्रीय सरकार ने बलात्संग और पाक्सो अधिनियम के लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए देश भर में फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय (एफटीएससी) स्थापित करने की स्कीम को मंजूरी दी है। 31.01.2025 तक, देश भर के 30 राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों में 404 अनन्य पाक्सो (ईपाक्सो) न्यायालयों सहित 745 एफटीएससी कार्यात्मक हैं, जिन्होंने 3,06,000 से अधिक मामलों का निपटारा किया है।

vii. न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या कम करने और कामकाज को आसान बनाने के उद्देश्य से सरकार ने विभिन्न विधियों में संशोधन किया है, जैसे कि परक्राम्य लिखत (संशोधन) अधिनियम, 2018, वाणिज्यिक न्यायालय (संशोधन) अधिनियम, 2018, विनिर्दिष्ट अनुतोश (संशोधन) अधिनियम, 2018, मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2019 और दंड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2018।

viii. वैकल्पिक विवाद समाधान विधियों को पूरे दिल से बढ़ावा दिया गया है। तदनुसार, वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 को अगस्त, 2018 में संशोधित किया गया था, जिससे वाणिज्यिक विवादों के मामले में पूर्व-संस्था मध्यस्थता और निपटान (पीआईएमएस) अनिवार्य हो गया। पीआईएमएस तंत्र की दक्षता को और बढ़ाने के लिये सरकार ने मध्यस्थता अधिनियम, 2023 के माध्यम से वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 में और संशोधन किया है। मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 में संशोधन मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) अधिनियम 2015, 2019 और 2021 द्वारा समयसीमा निर्धारित करके विवादों के त्वरित समाधान में तेजी लाने के लिए किया गया है। ।

वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 के अधीन, मामला प्रबंधन सुनवाई का उपबंध है जो किसी मामले के कुशल, प्रभावी और उद्देश्यपूर्ण न्यायिक प्रबंधन के लिए उपबंध करता है जिससे विवाद का समय पर और गुणवत्तापूर्ण समाधान प्राप्त किया जा सके। यह तथ्य और विधि के विवादित मुद्दों की शीघ्र पहचान, मामले के जीवन के लिए प्रक्रियात्मक कैलेंडर की स्थापना और विवाद के समाधान की संभावनाओं की खोज में सहायता करता है।

वाणिज्यिक न्यायालयों के लिए शुरू की गई एक अन्य नवीन विशेषता रंग बैंडिंग की प्रणाली है, जो किसी भी वाणिज्यिक मामले में दी जाने वाली स्थगन की संख्या को तीन तक सीमित कर देती है तथा न्यायाधीशों को लंबित मामलों के चरण के अनुसार मामलों को सूचीबद्ध करने के बारे में सचेत करती है।

ix. लोक अदालत आम लोगों के लिए उपलब्ध एक महत्वपूर्ण वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र है। यह एक ऐसा मंच है जहाँ न्यायालय में लंबित या मुकदमेबाजी से पहले के विवादों/मामलों का सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटारा/समझौता किया जाता है। विधिक सेवा प्राधिकरण (एलएसए) अधिनियम, 1987 के अधीन, लोक अदालत द्वारा दिया गया निर्णय सिविल न्यायालय का निर्णय माना जाता है और यह अंतिम होता है तथा सभी पक्षों पर बाध्यकारी होता है तथा इसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई अपील नहीं की जा सकती। लोक अदालत कोई स्थायी संस्था नहीं है। राष्ट्रीय लोक अदालतें सभी तालुकों, जिलों और उच्च न्यायालयों में एक साथ पूर्व-निर्धारित तारीख पर आयोजित की जाती हैं।

पिछले चार वर्षों के दौरान राष्ट्रीय लोक न्यायालयों में निपटाए गए मामलों का विवरण निम्नानुसार है:
-

वर्ष	मुकदमे-पूर्व मामले	लंबित मामले	कुल योग
2021	72,06,294	55,81,743	1,27,88,037
2022	3,10,15,215	1,09,10,795	4,19,26,010
2023	7,10,32,980	1,43,09,237	8,53,42,217
2024	8,70,19,059	1,75,07,060	10,45,26,119
कुल	**19,62,73,548**	**4,83,08,835**	**24,45,82,383**

x. सरकार ने 2017 में टेली-लॉ कार्यक्रम शुरू किया, जो ग्राम पंचायतों में स्थित कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) पर उपलब्ध वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, टेलीफोन और चैट सुविधाओं और टेली-लॉ मोबाइल ऐप के माध्यम से पैनल वकीलों के साथ विधिक सलाह और परामर्श चाहने वाले जरूरतमंद और वंचित वर्गों को जोड़ने वाला एक प्रभावी और विश्वसनीय ई-इंटरफेस प्लेटफॉर्म प्रदान करता है।

*टेली-लॉ डेटा का प्रतिशतवार ब्यौरा

वर्ग	रजिस्ट्रीकृत मामले	% वार ब्रेक अप	सलाह सक्षम	% वार ब्रेक अप
लिंग वार				
महिला	43,50,146	39.53%	42,92,045	39.49%
पुरुष	66,55,274	60.47%	65,77,616	60.51%
जाति श्रेणी वार				
सामान्य	25,94,779	23.58%	25,54,696	23.50%
ओबीसी	34,67,629	31.51%	34,21,343	31.48%
अनुसूचित जाति	34,55,009	31.39%	34,19,433	31.46%
अनुसूचित जनजाति	14,88,003	13.52%	14,74,189	13.56%
कुल	**1,10,05,420**		**1,08,69,661**	

*28.02.2025 तक के आंकड़े।

xi. देश में प्रो बोनो संस्कृति और प्रो बोनो वकालत को संस्थागत बनाने के प्रयास किए गए हैं। एक तकनीकी ढांचा तैयार किया गया है, जहाँ प्रो बोनो कार्य के लिए अपना समय और सेवाएँ देने वाले अधिवक्ता न्याय बंधु (एंड्रॉइड और आईओएस और ऐप्स) पर प्रो बोनो अधिवक्ता के रूप में रजिस्ट्रीकरण कर सकते हैं। न्याय बंधु सेवाएँ उमंग प्लेटफ़ॉर्म पर भी उपलब्ध हैं। राज्य स्तर पर 23 उच्च न्यायालयों में अधिवक्ताओं का प्रो बोनो पैनल शुरू किया गया है। नवोदित वकीलों में प्रो बोनो संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए 109 लॉ स्कूलों में प्रो बोनो क्लब शुरू किए गए हैं।

****

उपाबंध-1

'न्यायालयों में मामलों के बैकलॉग' के संबंध में राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3139 जिसका उत्तर तारीख 27.03.2025 को दिया जाना है के भाग (क) से (घ) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।

जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में 21.03.2025 तक लंबित मामले

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	लंबित मामले
1.	आंध्र प्रदेश	8,88,280
2.	तेलंगाना	9,32,471
3.	अंदमान और निकोबार	8,119
4.	अरुणाचल प्रदेश	10,026
5.	असम	5,22,748
6.	बिहार	36,07,418
7.	चंडीगढ़	1,01,649
8.	छत्तीसगढ़	4,10,476
9.	दिल्ली	14,86,918
10.	दादरा और नागर हवेली और दीव और दमण	7,931
11.	गोवा	60,323
12.	गुजरात	14,89,119
13.	हरियाणा	14,78,714
14.	हिमाचल प्रदेश	6,24,970
15.	जम्मू - कश्मीर	3,17,005
16.	झारखंड	5,44,134
17.	कर्नाटक	20,96,262
18.	केरल	17,14,042
19.	लद्दाख	1,451
20.	मध्य प्रदेश	20,12,358
21.	महाराष्ट्र	55,99,612
22.	मणिपुर	12,679
23.	मेघालय	15,120
24.	मिजोरम	6,620
25.	नागालैंड	3,353
26.	उड़ीसा	16,53,145
27.	पुडुचेरी	35,183
28.	पंजाब	8,53,574
29.	राजस्थान	22,75,119
30.	सिक्किम	1,688
31.	तमिलनाडु	14,84,627
32.	त्रिपुरा	44,489
33.	लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्र	532
34.	उत्तर प्रदेश	1,14,90,260
35.	उत्तराखंड	3,34,900
36.	पश्चिमी बंगाल	33,84,773
कुल		**4,55,10,088**

स्रोत: राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एनजेडीजी)

उपाबंध-2

'न्यायालयों में मामलों के बैकलॉग' के संबंध में राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3139 जिसका उत्तर तारीख 27.03.2025 को दिया जाना है के भाग (क) से (घ) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।

उच्च न्यायालयों में 21.03.2025 तक लंबित मामले

क्र.सं.	उच्च न्यायालय का नाम	लंबित मामले
1.	इलाहाबाद	11,60,169
2.	बम्बई	6,57,162
3.	कलकत्ता	1,99,234
4.	गुवाहाटी	64,322
5.	तेलंगाना	2,44,955
6.	आंध्र प्रदेश	2,46,464
7.	छत्तीसगढ़	82,569
8.	दिल्ली	1,32,576
9.	गुजरात	1,72,940
10.	हिमाचल प्रदेश	95,371
11.	जम्मू - कश्मीर और लद्दाख	45,399
12.	झारखंड	73,256
13.	कर्नाटक	3,07,948
14.	केरल	2,50,820
15.	मध्य प्रदेश	4,74,276
16.	मणिपुर	5,402
17.	मेघालय	1,275
18.	पंजाब और हरियाणा	4,28,427
19.	राजस्थान	6,71,024
20.	सिक्किम	223
21.	त्रिपुरा	1,050
22.	उत्तराखंड	56,151
23.	मद्रास	5,22,007
24.	उड़ीसा	1,50,274
25.	पटना	2,07,040
कुल		**62,50,334**

स्रोत: राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एनजेडीजी)

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3140#
जिसका उत्तर गुरुवार, 27 मार्च, 2025 को दिया जाना है

उच्च न्यायालयों में महिला न्यायाधीश

3140 # श्री संजय सिंह :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उच्च न्यायालयों में महिला न्यायाधीशों की राज्य-वार संख्या कितनी है ;

(ख) क्या महिला न्यायाधीशों की संख्या का, पुरुष न्यायाधीशों की संख्या से अनुपात असंतुलित है, यदि हां, तो सरकार द्वारा महिला न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ; और

(ग) उपरोक्त न्यायालयों में अल्पसंख्यक समुदायों की महिला न्यायाधीशों की संख्या कितनी है और क्या अल्पसंख्यक समुदायों की महिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कोई विशेष प्रावधान किया जा रहा है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (ग) : उच्च न्यायालयों में महिला न्यायाधीशों की संख्या **उपाबंध** में दी गई है । उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 217 और अनुच्छेद 224 के अधीन की जाती है, जो किसी भी जाति या वर्ग के व्यक्तियों के लिए आरक्षण का उपबंध नहीं करते हैं । इसलिए, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के बीच अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व से संबंधित श्रेणीवार आंकड़ें केंद्रीय रूप से उपलब्ध नहीं है ।

प्रक्रिया ज्ञापन (एमओपी) के अनुसार, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रस्तावों को आरंभ करने का उत्तरदायित्व भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के पास है, जबकि उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रस्तावों को आरंभ करने का उत्तरदायित्व संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के पास है । तथापि, सरकार न्यायपालिका में सामाजिक विविधता बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों से अनुरोध कर रही है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव भेजते समय, उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति में सामाजिक विविधता सुनिश्चित करने के लिए अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं से संबंधित उपयुक्त उम्मीदवारों पर उचित विचार किया जाए । उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के रूप में केवल उन्हीं व्यक्तियों की नियुक्ति की जाती है, जिनकी उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम द्वारा सिफारिश की जाती है ।

****

उपाबंध

(24.03.2025 तक)

क्रम संख्या	**उच्च न्यायालय का नाम**	**महिला न्यायाधीशों की संख्या**
1.	इलाहाबाद	3
2.	आंध्र प्रदेश	5
3.	बॉम्बे	11
4.	कलकत्ता	8
5.	छत्तीसगढ़	1
6.	दिल्ली	8
7.	गुवाहाटी	4
8.	गुजरात	8
9.	हिमाचल प्रदेश	1
10.	जम्मू-कश्मीर और लद्दाख	2
11.	झारखंड	1
12.	कर्नाटक	8
13.	केरल	4
14.	मध्य प्रदेश	1
15.	मद्रास	13
16.	मणिपुर	1
17.	मेघालय	0
18.	उड़ीसा	1
19.	पटना	2
20.	पंजाब और हरियाणा	13
21.	राजस्थान	3
22.	सिक्किम	1
23.	तेलंगाना	10
24.	त्रिपुरा	0
25.	उत्तराखंड	0

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3141
जिसका उत्तर गुरुवार, 27 मार्च, 2025 को दिया जाना है

डिजिटलीकरण की धीमी गति

3141 श्रीमती रजनी अशोकराव पाटिल :

क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश भर में अधीनस्थ न्यायालयों में डिजिटलीकरण की धीमी गति पर ध्यान दिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का तीव्र गति से डिजिटलीकरण सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठाया है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (ग) : अधीनस्थ न्यायालयों में डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार का संकल्प, ई- न्यायालय परियोजना, चरण-3 के अधीन निर्धारित 2038.40 करोड़ रुपये के महत्वपूर्ण परिव्यय से स्पष्ट है। न्यायालय अभिलेखों का डिजिटलीकरण, न्यायिक क्षेत्र में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) समर्थता पहलों के मूल में है तथा आभासी/कागज़ रहित न्यायालयों में न्यायालय कार्यवाही की प्रभावी सुनवाई के लिए न्यायालय अभिलेखों का डिजिटल प्ररूप में उपलब्ध होना अनिवार्य है। तदनुसार, ई-समिति, भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायालय के अभिलेखों की स्कैनिंग, भंडारण, पुनर्प्राप्ति, डिजिटलीकरण और विरासत डाटा के संरक्षण के लिए डिजिटल संरक्षण मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार करने के लिए एक उप-समिति का गठन किया गया था और उसी को 21 अक्टूबर, 2022 को उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुमोदित किया गया था।

ई-समिति, भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा उपबंधित ब्यौरे के अनुसार, 28.02.2025 तक उच्च न्यायालयों में कुल 1,99,49,45,317 पृष्ठों का डिजिटलीकरण किया गया है और जिला न्यायालयों में 2,61,48,64,243 पृष्ठों का डिजिटलीकरण किया गया है। इसकी उच्च न्यायालय-वार प्रास्थिति उपाबंध-1 पर है। ई-समिति, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय यह सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं, ताकि जिला स्तर पर न्यायालयों में अभिलेखों की स्कैनिंग और डिजिटलीकरण इष्टतम गति से की जाए।

****

उपाबंध-1

डिजिटलीकरण की धीमी गति से संबंधित, राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3141 जिसका उत्तर तारीख 27.03.2025 को दिया जाना है का निर्दिष्ट विवरण। डिजिटलीकरण की उच्च न्यायालय-वार प्रास्थिति निम्नानुसार है:

क्र.सं.	**उच्च न्यायालय (राज्य/संघ राज्यक्षेत्र)**	**चालू मास तक उच्च न्यायालय में डिजिटाइज़ किए गए पृष्ठों की कुल संख्या**	**संबंधित उच्च न्यायालय के अधीन डिजिटाइज़ किए गए पृष्ठों की कुल संख्या (तालुका न्यायालयों सहित)**
1.	इलाहाबाद(उत्तर प्रदेश)	53,47,89,659	97,45,60,893
2.	आंध्र प्रदेश	1,42,04,781	2,56,91,977
3.	बॉम्बे(महाराष्ट्र, गोवा, दीव और दमन और नगर दादर हवेली)	3,46,09,102	7,25,424
4.	कलकत्ता(पश्चिमी बंगाल)	4,89,38,686	0
5.	दिल्ली	22,93,29,647	10,90,01,868
6.	गुवाहाटी(अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम और नागालैंड)	3,06,62,123	15,71,54,484
7.	गुजरात	5,37,090	82,430
8.	हिमाचल प्रदेश	71,42,331	0
9.	जम्मू - कश्मीर और लद्दाख	3,92,08,843	54,83,298
10.	झारखंड	1,51,23,206	75,83,464
11.	कर्नाटक	2,69,43,999	3,44,31,202
12.	केरल	5,86,92,719	91,17,722
13.	मध्य प्रदेश	22,47,29,014	53,31,95,995
14.	मद्रास (तमिलनाडु और पुडुचेरी)	14,55,99,531	8,19,05,103
15.	मणिपुर	52,78,155	48,45,673
16.	मेघालय	8,45,702	33,31,430
17.	उड़ीसा(ओडिशा)	4,45,35,424	11,75,81,662
18.	पटना (बिहार)	2,27,97,499	0
19.	पंजाब और हरियाणा (पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़)	27,41,99,318	50,66,96,188
20.	राजस्थान	10,43,40,362	52,25,444
21.	सिक्किम	11,61,836	44,10,905
22.	तेलंगाना	10,78,15,504	3,28,19,876
23.	त्रिपुरा	63,60,786	6,19,005
24.	उत्तराखंड	1,71,00,000	4,00,200
25.	छत्तीसगढ़	0	0
कुल		**1,99,49,45,317**	**2,61,48,64,243**

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3142
जिसका उत्तर गुरुवार, 27 मार्च, 2025 को दिया जाना है

अखिल भारतीय न्यायिक सेवा

3142 श्री राजीव शुक्ला :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार संविधान के अनुच्छेद 312 के अंतर्गत अखिल भारतीय न्यायिक सेवा शुरु करने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) देश में न्यायपालिका के कामकाज को सुचारू बनाने और मामलों के शीघ्र निपटान के लिए इस संबंध में क्या उपाय प्रस्तावित हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (ग) : संविधान के अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय न्यायिक सेवा (एआईजेएस) की स्थापना का उपबंध है, जिसमें जिला न्यायाधीश के पद से अवर का कोई पद नहीं होगा ।

अखिल भारतीय न्यायिक सेवा (एआईजेएस) की स्थापना के लिए एक व्यापक प्रस्ताव तैयार किया गया था और इसे नवंबर, 2012 में सचिवों की समिति द्वारा अनुमोदित किया गया था । अप्रैल, 2013 में आयोजित मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों के सम्मेलन में इस प्रस्ताव को कार्यसूची की विषयवस्तु के रूप में सम्मिलित किया गया था और यह निर्णय लिया गया था कि इस मुद्दे पर आगे विचार-विमर्श और विचार की आवश्यकता है । प्रस्ताव पर राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों के विचार मांगे गए थे । अखिल भारतीय न्यायिक सेवा की स्थापना पर राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों के बीच मतों में भिन्नता थी ।

जिला न्यायाधीशों के पदों पर भर्ती में सहायता करने तथा सभी स्तरों पर न्यायाधीशों/न्यायिक अधिकारियों की चयन प्रक्रिया की समीक्षा के लिए न्यायिक सेवा आयोग की स्थापना संबंधी विषय भी 03 और 04 अप्रैल, 2015 को आयोजित हुए मुख्य न्यायमूर्तियों के सम्मेलन की कार्यसूची में सम्मिलित किया गया था, जिसमें जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए रिक्तियों को शीघ्रता से भरने के लिए मौजूदा प्रणाली के भीतर उपयुक्त तरीके विकसित करने के लिए इसे संबंधित उच्च न्यायालयों पर छोड़े जाने का संकल्प लिया गया था । उच्च न्यायालयों और राज्य सरकारों से प्राप्त विचारों के साथ, अखिल भारतीय न्यायिक सेवा की स्थापना का प्रस्ताव भी, 05 अप्रैल, 2015 को आयोजित हुए मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों के संयुक्त सम्मेलन की कार्यसूची में सम्मिलित किया गया था । तथापि, इस मामले में कोई प्रगति नहीं हुई ।

अखिल भारतीय न्यायिक सेवा की स्थापना के प्रस्ताव पर, विधि और न्याय राज्य मंत्री, भारत के महान्यायवादी, भारत के महा-सालिसिटर, न्याय विभाग, विधिक कार्य विभाग और विधायी विभाग के सचिवों की उपस्थिति में, तत्कालीन विधि एवं न्याय मंत्री की अध्यक्षता में 16 जनवरी 2017 को आयोजित हुई बैठक में पात्रता, आयु, चयन मानदंड, अर्हता, आरक्षण, आदि बिंदुओं पर फिर से चर्चा की गई । मार्च, 2017 में संसदीय सलाहकार समिति और 22.02.2021 को अनुसूचित जातियों/जनजातियों के कल्याण संबंधी संसदीय समिति की बैठक में भी अखिल भारतीय न्यायिक सेवा की स्थापना पर विचार-विमर्श किया गया ।

30 अप्रैल, 2022 को आयोजित हुए मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों के संयुक्त सम्मेलन की कार्यसूची में अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के मुद्दे को सम्मिलित करने का प्रस्ताव किया गया था । तथापि, इसे सम्मेलन की कार्यसूची में सम्मिलित नहीं किया जा सका । प्रमुख हितधारकों के बीच मतों में विद्यमान भिन्नता को देखते हुए, वर्तमान में, अखिल भारतीय न्यायिक सेवा की स्थापना के प्रस्ताव पर कोई आम सहमति नहीं है ।

(घ) : मामलों का निपटान न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में आता है ; तथापि, सरकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार ऐसा वातावरण बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, जिससे तेजी से मामले के समाधान की सुविधा हो सके । सरकार ने न्यायपालिका द्वारा मामलों के तेजी से निपटान के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करने के लिए कई पहल की हैं, जो निम्नानुसार हैं :

(i) राष्ट्रीय न्याय प्रदायगी और विधिक सुधार के लिए मिशन की स्थापना अगस्त, 2011 में, प्रणाली में देरी और मामलों के बकायों को कम करने तथा संरचनात्मक परिवर्तनों के माध्यम से जवाबदेही बढ़ाने और प्रदर्शन मानकों और क्षमताओं को स्थापित करके दोहरे उद्देश्यों के साथ की गई थी । मिशन, न्यायिक प्रशासन में बकाया और पेंडेंसी के चरणबद्ध परिसमापन के लिए एक समन्वित दृष्टिकोण का अनुसरण कर रहा है, जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, न्यायालयों के लिए बेहतर अवसंरचना, जिसमें कम्प्यूटरीकरण करना, जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की स्वीकृत पद संख्या में वृद्धि करना, अत्यधिक मुकदमे वाले संभावित क्षेत्रों में नीति और विधायी उपाय करने सहित न्यायालयों के लिए बेहतर बुनियादी ढांचा बनाना, मामलों के त्वरित निपटान के लिए न्यायालय प्रक्रिया की पुनसंरचना (री-इंजीनियरिंग) करने और मानव संसाधन विकास पर जोर देना सम्मिलित है ।

(ii) न्यायिक अवसंरचना के विकास के लिए केंद्रीय प्रायोजित योजना के अधीन, राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को न्यायालय कक्षों, न्यायिक अधिकारियों के लिए आवासीय क्वार्टरों, वकीलों के हॉल, शौचालय परिसरों और डिजिटल कंप्यूटर कक्षों के निर्माण के लिए निधियां जारी की जा रही हैं, जिससे वादियों सहित विभिन्न हितधारकों का जीवन आसान हो सके और न्याय प्रदान करने में सहायता मिल सके । अब तक, 1993-94 में न्यायपालिका के लिए अवसंरचना सुविधाओं के विकास के लिए केंद्रीय प्रायोजित योजना (सीएसएस) की शुरुआत के बाद से 11886.29 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं । इस योजना के अधीन, न्यायालय कक्षों की संख्या 30.06.2014 को 15,818 से बढ़कर 28.02.2025 को 22,062 हो गई है और आवासीय इकाइयों की संख्या 30.06.2014 को 10,211 से बढ़कर 28.02.2025 को 19,775 हो गई है ।

(iii) ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना के चरण 1 और चरण 2 के अधीन जिला और अधीनस्थ न्यायालयों को आईटी सक्षम बनाने के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) का लाभ उठाया गया था । वर्ष 2023 तक 18,735 जिला और अधीनस्थ न्यायालयों को कम्प्यूटरीकृत किया गया । 99.5% न्यायालय परिसरों को वैन (WAN) कनेक्टिविटी प्रदान की गई है । 3,240 न्यायालय परिसरों और 1,272 संबंधित जेलों के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा सक्षम की गई है । 31.01.2025 तक, वकीलों और वादियों को नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान करके डिजिटल विभाजन को दूर करने के लिए, जिला न्यायालयों में 1572 ई-सेवा केंद्र और उच्च न्यायालयों में 39 ई-सेवा केंद्रों को कार्यात्मक बनाया गया है । 21 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में 28 आभासी न्यायालय स्थापित किए गए हैं । ई-न्यायालय परियोजना के तीसरे चरण को 2023 में 7,210 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ मंजूरी दी गई है । चरण-1 और चरण-

2 के लाभों को अगले स्तर पर ले जाते हुए, ई-न्यायालय चरण-3 का उद्देश्य डिजिटल, ऑनलाइन और कागज रहित न्यायालयों की ओर बढ़ते हुए न्याय की सुगमता की व्यवस्था का प्रारंभ करना है । इसका उद्देश्य न्याय वितरण को सभी हितधारकों के लिए उत्तरोत्तर अधिक मजबूत, आसान और सुलभ बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (A1), ब्लॉक चेन आदि जैसी नवीनतम तकनीक को सम्मिलित करना है ।

(iv) सरकार भारत के उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के रिक्त पदों को नियमित रूप से भरती रही है । 01.05.2014 से 06.03.2025 तक, उच्चतम न्यायालय में 66 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई । इसी अवधि के दौरान उच्च न्यायालयों में 1024 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई और 788 अतिरिक्त न्यायाधीशों को उच्च न्यायालयों में स्थायी किया गया । उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की स्वीकृत पदसंख्या मई, 2014 में 906 से बढ़कर अब तक 1122 हो गई है । जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृत और कार्यरत संख्या में निम्नानुसार वृद्धि हुई है :

तारीख तक	स्वीकृत पदसंख्या	कार्यरत पदसंख्या
31.12.2013	19,518	15,115
28.02.2025	25,786	20,511

स्रोत: न्याय विभाग का एमआईएस पोर्टल

तथापि, जिला और अधीनस्थ न्यायपालिका में रिक्तियों को भरना राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों और संबंधित उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में आता है ।

(v) अप्रैल, 2015 में आयोजित मुख्य न्यायमूर्तियों के सम्मेलन में पारित प्रस्ताव के अनुसरण में, पांच वर्ष से अधिक समय से लंबित मामलों को निपटाने के लिए सभी 25 उच्च न्यायालयों में बकाया समितियों का गठन किया गया है । जिला न्यायालयों के अंतर्गत भी बकाया समितियों का गठन किया गया है ।

(vi) चौदहवें वित्त आयोग के तत्वावधान में जघन्य अपराधों, वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, बच्चों आदि से जुड़े मामलों से निपटने के लिए त्वरित न्यायालयों की स्थापना की गई है । 31.01.2025 तक देश भर में 860 त्वरित न्यायालय कार्यरत हैं । निर्वाचित सांसदों/विधायकों से जुड़े आपराधिक मामलों को त्वरित करने के लिए नौ (9) राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में दस (10) विशेष न्यायालय कार्यरत हैं । इसके अतिरिक्त, केंद्रीय सरकार ने बलात्कार और पोक्सो अधिनियम के अधीन लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए देश भर में विशेष त्वरित न्यायालय (एफटीएससी) स्थापित करने की योजना को मंजूरी की है । 31.01.2025 तक, देश भर के 30 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में 404 विशिष्ट पोक्सो (ईपीओसीओ) न्यायालयों सहित 745 एफटीएससी कार्यरत हैं, जिन्होंने 3,06,000 से अधिक मामलों का निपटारा किया है ।

(vii) न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या कम करने और कामकाज को आसान बनाने के उद्देश्य से सरकार ने विभिन्न विधियों, जैसे कि परक्राम्य लिखत (संशोधन) अधिनियम, 2018, वाणिज्यिक न्यायालय (संशोधन) अधिनियम, 2018, विशिष्ट अनुतोष (संशोधन) अधिनियम, 2018, माध्यस्थम और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2019 और दंड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2018, में संशोधन किया है ।

(viii) वैकल्पिक विवाद समाधान विधियों को पूरे दिल से बढ़ावा दिया गया है । तदनुसार, वाणिज्यिक विवादों के मामले में संस्थित करने से पूर्व मध्यकता और समझौता (पीआईएमएस) को अनिवार्य बनाते हुए, अगस्त, 2018 में वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 में संशोधन किया गया था । पीआईएमएस तंत्र की दक्षता को और बढ़ाने के लिए, सरकार ने मध्यकता अधिनियम, 2023 के माध्यम से वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 का और संशोधन किया है । समयसीमा निर्धारित करके विवादों के समाधान में तेजी लाने के लिए माध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996 को माध्यस्थम और सुलह (संशोधन) अधिनियम 2015, 2019 और 2021 द्वारा संशोधित किया गया है । वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 के अधीन, केस प्रबंधन सुनवाई का उपबंध है, जो किसी मामले के कुशल, प्रभावी और उद्देश्यपूर्ण

न्यायिक प्रबंधन प्रदान करता है जिससे विवाद का समय पर और गुणवत्तापूर्ण समाधान प्राप्त किया जा सके । यह तथ्य और विधिक के विवादित मुद्दों की शीघ्र पहचान, मामले के लिए प्रक्रियात्मक कैलेंडर की स्थापना और विवाद के समाधान की संभावनाओं की खोज में सहायता करता है । वाणिज्यिक न्यायालयों के लिए शुरू की गई एक और नई विशेषता रंग बैंडिंग की प्रणाली है, जो किसी भी वाणिज्यिक मामले में दिए जा सकने वाले स्थगन की संख्या को तीन तक सीमित करती है और न्यायाधीशों को लंबित मामलों के चरण के अनुसार मामलों की सूची के बारे में सचेत करती है ।

(ix) लोक अदालत, आम लोगों के लिए उपलब्ध एक महत्वपूर्ण वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र है । यह एक ऐसा मंच है, जहाँ न्यायालयों में या मुकदमेबाजी से पहले के चरण में लंबित विवादों/मामलों का सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटारा/समझौता किया जाता है । विधिक सेवा प्राधिकरण (एलएसए) अधिनियम, 1987 के अधीन, लोक अदालत द्वारा किया गया पंचाट सिविल न्यायालय का निर्णय माना जाता है और यह सभी पक्षों पर अंतिम तथा बाध्यकारी होता है और इसके विरूद्ध किसी भी न्यायालय में कोई अपील नहीं की जा सकती है । राष्ट्रीय लोक अदालतें सभी तालुकों, जिलों और उच्च न्यायालयों में एक साथ पूर्व-निर्धारित तारीख पर आयोजित की जाती हैं ।

(x) सरकार ने 2017 में टेली-लॉ कार्यक्रम शुरू किया, जो ग्राम पंचायतों में स्थित कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) पर उपलब्ध वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, टेलीफोन और चैट सुविधाओं और टेली-लॉ मोबाइल ऐप के माध्यम से पैनल वकीलों के साथ विधिक सलाह और परामर्श चाहने वाले जरूरतमंद और वंचित वर्गों को जोड़ने वाला एक प्रभावी और विश्वसनीय ई-इंटरफ़ेस प्लेटफ़ॉर्म प्रदान करता है ।

(xi) देश में प्रो बोनो संस्कृति और प्रो बोनो वकालत को संस्थागत बनाने के प्रयास किए गए हैं । एक तकनीकी ढांचा तैयार किया गया है, जहाँ प्रो बोनो कार्य के लिए अपना समय और सेवाएँ देने के लिए स्वेच्छा से वकील न्याय बंधु (एंड्रॉइड और आईओएस और ऐप) पर प्रो बोनो एडवोकेट के रूप में पंजीकरण कर सकते हैं । न्याय बंधु सेवाएँ उमंग प्लेटफ़ॉर्म पर भी उपलब्ध हैं । राज्य/संघ राज्यक्षेत्र स्तर पर 23 उच्च न्यायालयों में अधिवक्ताओं का प्रो बोनो पैनल शुरू किया गया है । नवोदित वकीलों में प्रो बोनो संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए 109 लॉ स्कूलों में प्रो बोनो क्लब शुरू किए गए हैं ।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3143
जिसका उत्तर गुरुवार, 27 मार्च, 2025 को दिया जाना है

हमारा संविधान-हमारा स्वाभिमान अभियान

3143 # श्री दीपक प्रकाश :

डा. के. लक्ष्मण :

श्री प्रदीप कुमार वर्मा :

श्री बृज लाल :

श्री मिथलेश कुमार :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हमारा संविधान-हमारा स्वाभिमान अभियान के लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं ;

(ख) अभियान की शुरुआत से अब तक आयोजित कार्यक्रमों की कुल संख्या, उप-अभियानों सहित, कितनी है ; और

(ग) झारखंड और कर्नाटक राज्य सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (ग) : न्याय विभाग ने भारत के गणतंत्र के रूप में 75वें वर्ष और भारत के संविधान को अपनाने का जश्न मनाने के लिए 'हमारा संविधान हमारा सम्मान' नामक एक अखिल भारतीय, वर्ष भर चलने वाला राष्ट्रव्यापी अभियान लागू किया। इस अभियान का शुभारंभ 24 जनवरी, 2024 को भारत के माननीय उपराष्ट्रपति द्वारा नई दिल्ली से किया गया। इसके पश्चात् चार क्षेत्रीय कार्यक्रम, 9 मार्च, 2024 को राजस्थान के बीकानेर में, 16 जुलाई, 2024 को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में, 19 नवंबर, 2024 को असम के गुवाहाटी में और 24 जनवरी, 2025 को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में चौथा क्षेत्रीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। अभियान का उद्देश्य भारत के संविधान में निहित सिद्धांतों के प्रति हमारी सामूहिक प्रतिबद्धता की पुष्टि करना और हमारे राष्ट्र को बांधने वाले साझा मूल्यों का जश्न मनाना था।

इस राष्ट्रव्यापी पहल ने प्रत्येक नागरिक को विभिन्न तरीकों से भाग लेने के अवसर प्रदान किए, तथा उन्हें उप-अभियानों के माध्यम से योगदान करने के लिए सशक्त बनाया, अर्थात्: -

(i) सबको न्याय, हर घर न्याय - इस उप-अभियान के अधीन तीन गतिविधियाँ आयोजित की गईं, जिनमें क्षेत्रीय भाषाओं में कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) के ग्राम स्तरीय उद्यमियों (वीएलई) के नेटवर्क के माध्यम से पंच प्राण शपथ पढ़ना शामिल था। इस गतिविधि के द्वारा विभिन्न राज्यों की ग्राम पंचायतों में लगभग 80,000 नागरिकों ने पंच प्राण शपथ ली; तथापि, राज्यवार डेटा को केंद्रीय रूप से नहीं रखा जाता है।

इस गतिविधि के अधीन व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए इसे एमवाई जीओवी प्लेटफॉर्म पर डिजिटल रूप से भी लॉन्च किया गया, जिसमें 1,35,848 नागरिकों की भागीदारी देखी गई, जिन्होंने डिजिटल मोड के माध्यम से पंच प्राण प्रतिज्ञा ली। प्रतिज्ञा में राज्यवार भागीदारी का ब्यौरा, जैसा कि एमवाई जीओवी प्लेटफॉर्म पर दर्शाया गया है, **उपाबंध 'क' पर है ।** उप-अभियान के अधीन दूसरी गतिविधि राज्य स्तर पर न्याय सेवा मेलों का आयोजन था, जिसका उद्देश्य जनता के लिए उपलब्ध नागरिक-केंद्रित सेवाओं का प्रसार करना था । आयोजित कार्यक्रमों का राज्य-वार ब्यौरा उपाबंध 'ख' में दिया गया है। उप-अभियान के अधीन तीसरी गतिविधि में घर-घर जाकर जागरूकता अभियान चलाना शामिल था, जिसे न्याय सहायकों द्वारा देश भर के 500 आकांक्षी ब्लॉकों में चलाया गया। इस गतिविधि के अधीन कुल मिलाकर आकांक्षी ब्लॉकों में लगभग 11,000 नागरिकों तक पहुँच बनाई गई।

(ii) नव भारत- नव संकल्प - इस गतिविधि के अधीन, संविधान क्विज़ प्रतियोगिता (भारत के संविधान के उपबंधों पर आधारित जिसमें 53222 नागरिकों ने भाग लिया और उनमें से 1000 प्रतियोगी चुने गए), पंच प्राण रंगोत्सव (पोस्टर बनाने की प्रतियोगिता जिसमें 876 नागरिकों ने भाग लिया) और पंच प्राण अनुभव (रील बनाने की प्रतियोगिता जिसमें 830 नागरिकों ने भाग लिया) जैसी ऑनलाइन प्रतियोगिताएँ एमवाईजीओवी प्लेटफॉर्म पर आयोजित की गईं और विजेताओं को 16.07.2024 को प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में आयोजित दूसरे क्षेत्रीय कार्यक्रम में सम्मानित किया गया।

(iii) विधि जागृति अभियान- इसमें जमीनी स्तर की पहल और शैक्षिक प्रयासों के माध्यम से विधिक साक्षरता और जागरूकता को बढ़ावा देना शामिल था। इस उप-अभियान के अधीन तीन गतिविधियाँ थीं, अर्थात् ग्राम विधि चेतना, वंचित वर्ग सम्मान और नारी भागीदारी। ग्राम विधि चेतना के अधीन, विधि के छात्र अपने-अपने प्रो-बोनो क्लबों के अधीन गोद लिए गए गाँवों में विधिक जागरूकता गतिविधियों को चलाने में लगे हुए थे। आज तक, विधि विद्यालयों के माध्यम से 21,000 से अधिक आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं। ग्राम विधि चेतना कार्यक्रम में भाग लेने वाले विधि विद्यालयों की राज्य-वार सूची **उपाबंध 'ग' पर है** । गतिविधि अर्थात्, वंचित वर्ग सम्मान और नारी भागीदारी, जिसमें इग्नू और दूरदर्शन चैनलों के माध्यम से संवैधानिक शिक्षा के विभिन्न उपबंधों के बारे में जागरूकता बढ़ाने की परिकल्पना की गई थी। इग्नू और दूरदर्शन के इन प्लेटफार्मों का उपयोग करके, विभिन्न ऑनलाइन कार्यशालाओं / वेबिनारों का आयोजन किया गया, विधि जागृति अभियान अपनी विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से अब तक कुल 70.80 लाख नागरिकों तक पहुंच चुका है।

****

उपाबंध 'क'

हमारा संविधान - हमारा स्वाभिमान अभियान से संबंधित श्री दीपक प्रकाश एवं अन्य सांसदों द्वारा पूछे गए राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3143 जिसका उत्तर तारीख 27.03.2025 को दिया जाना है, के भाग ग के उत्तर में यथा विनिर्दिष्ट विवरण ।

पंच प्राण प्रतिज्ञा लेने वाले व्यष्टियों की राज्यवार संख्या का विवरण*

क्र.सं.	**राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों का नाम**	**कुल संख्या**
1.	उत्तर प्रदेश	19214
2.	राजस्थान	18943
3.	मध्य प्रदेश	11231
4.	बिहार	9066
5.	उत्तराखंड	8795
6.	महाराष्ट्र	7442
7.	ओडिशा	7036
8.	**झारखंड**	**6089**
9.	हरियाणा	5142
10.	जम्मू-कश्मीर	5142
11।	तमिलनाडु	5006
12.	पश्चिमी बंगाल	4871
13.	छत्तीसगढ	4195
14.	गुजरात	3518
15.	तेलंगाना	3518
16.	**कर्नाटक**	**2841**
17.	केरल	2571
18.	आंध्र प्रदेश	2165
19.	असम	1759
20.	दिल्ली	1624
21.	हिमाचल प्रदेश	1488
22.	पंजाब	1353
23.	मेघालय	541
24.	त्रिपुरा	406
25.	मिजोरम	406
26.	नगालैंड	271
27.	मणिपुर	135
28.	पुडुचेरी	135
29.	गोवा	135
30.	अंदमान और निकोबार द्वीप	135
31.	चंडीगढ़	135
32.	दादरा और नागर हवेली और दमण और दीव	135
33.	सिक्किम	135
34.	लद्दाख	135
35.	अरुणाचल प्रदेश	135
36.	लक्षद्वीप	0
	कुल	**135848**

***स्रोत एमवाई जीओवी प्लेटफॉर्म** - https://pledge.mygov.in/panch-pran/

उपाबंध 'ख'

हमारा संविधान - हमारा स्वाभिमान अभियान से संबंधित श्री दीपक प्रकाश एवं अन्य सांसदों द्वारा पूछे गए राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3143 जिसका उत्तर तारीख 27.03.2025 को दिया जाना है, के भाग ग के उत्तर में यथा विनिर्दिष्ट विवरण ।

राज्य स्तरीय टेली-लॉ आयोजनों-न्याय सेवा मेला के राज्यवार ब्यौरों की जानकारी वाला विवरण

क्र.सं.	राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों का नाम	तारीख	प्रतिभागियों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	3/5/2024	600
2.	असम	2/23/2024	500
3.	बिहार	3/11/2024	400
4.	छत्तीसगढ	3/6/2024	850
5.	गोवा	2/21/2024	350
6.	गुजरात	3/5/2024	1200
7.	हरियाणा	18/03/2024	350
8.	हिमाचल प्रदेश	3/28/2024	260
9.	जम्मू-कश्मीर	3/5/2024	600
10.	**झारखंड**	**3/6/2024**	**800**
11.	**कर्नाटक**	**2/28/2024**	**700**
12.	केरल	3/7/2024	500
13.	लद्दाख	3/9/2024	180
14.	मध्य प्रदेश	2/26/2024	1200
15.	महाराष्ट्र	3/7/2024	700
16.	मेघालय	3/4/2024	200
17.	मिजोरम	3/8/2024	300
18.	नागालैंड	3/7/2024	200
19.	ओडिशा	3/6/2024	550
20.	पंजाब	15/3/2024	350
21.	राजस्थान	3/09/2024	900
22.	तमिलनाडु	3/6/2024	450
23.	तेलंगाना	3/7/2024	450
24.	उत्तर प्रदेश	3/11/2024	700
25.	उत्तराखंड	3/1/2024	360
	कुल		**12750**

उपाबंध 'ग'

हमारा संविधान - हमारा स्वाभिमान अभियान से संबंधित श्री दीपक प्रकाश एवं अन्य सांसदों द्वारा पूछे गए राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3143 जिसका उत्तर तारीख 27.03.2025 को दिया जाना है, के भाग ग के उत्तर में यथा विनिर्दिष्ट विवरण ।

विधि जागृति अभियान उप-अभियान के ग्राम विधि चेतना के अधीन विधि विद्यालयों के राज्य-वार ब्यौरों की जानकारी वाला विवरण		
क्र.सं.	**कवर किए गए राज्य**	**विधि विद्यालय**
1	आंध्र प्रदेश	के.एल.ई.एफ. कॉलेज ऑफ लॉ गुंटूर, आंध्र प्रदेश
2		दामोदरम संजीवय्या राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, विशाखापत्तनम
3		विग्नान इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ, गुंटूर, आंध्र प्रदेश
4	अरुणाचल प्रदेश	जारबॉम गैमलिन सरकारी विधिक (जेजीजीएल), ईटानगर
5		स्कूल ऑफ लॉ एंड ज्यूडिशियल साइंसेज, एपेक्स प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी (एपीयू), मेडोग, न्यिंगची
6	असम	राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय और न्यायिक अकादमी, असम
7	बिहार	दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय, गया
8		चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, पटना
9	चंडीगढ़	यूआईएलएस, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय मोहाली पंजाब
10		एनएमआईएमएस डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ कैंपस, चंडीगढ़
11		विधि विभाग, पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़
12	छत्तीसगढ	विधि संकाय, कलिंगा विश्वविद्यालय रायपुर
13		विधि विभाग, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
14		एमिटी यूनिवर्सिटी रायपुर, रायपुर, सी.जी.
15		हिदायतुल्ला नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, रायपुर
16	गोवा	वीएम सालगांवकर कॉलेज ऑफ लॉ, पणजी
17	गुजरात	विधि संकाय, मारवाड़ी विश्वविद्यालय, राजकोट, गुजरात
18		गुजरात राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, गांधीनगर
19		विधि संस्थान, निरमा विश्वविद्यालय, अहमदाबाद
20		पारुल इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ, पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा
21		जीएलएस लॉ कॉलेज, अहमदाबाद
22		स्कूल ऑफ लॉ, फोरेंसिक जस्टिस और पॉलिसी स्टडीज, नेशनल फोरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी, गांधीनगर
23		यूडब्ल्यूएसएल, कर्णावती विश्वविद्यालय, गांधीनगर
24	हरियाणा	डॉ. बीआर अंबेडकर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, सोनीपत, हरियाणा
25		गीता इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ, पानीपत
26		विधि संस्थान, कुरुक्षेत्र
27		जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल, ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, सोनीपत, हरियाणा
28		एसओएल, नॉथकैप यूनिवर्सिटी, गुड़गांव
29		स्कूल ऑफ लॉ जीडी गोयनका विश्वविद्यालय, गुरुग्राम, हरियाणा
30		एसजीटी यूनिवर्सिटी, गुरुग्राम, हरियाणा
31		स्कूल ऑफ लीगल स्टडीज, केआर मंगलम विश्वविद्यालय, गुरुग्राम, हरियाणा
32	हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, शिमला, हिमाचल प्रदेश
क्र.सं.	**कवर किए गए राज्य**	**विधि विद्यालय**
33	जम्मू-कश्मीर	कश्मीर लॉ कॉलेज, नौशेरा, श्रीनगर
34		स्कूल ऑफ लीगल स्टडीज, सीयूके, गांदरबल
35	**झारखंड**	**राष्ट्रीय विधि अध्ययन एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय, रांची**

36	**कर्नाटक**	**नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, बेंगलुरु**
37		**स्कूल ऑफ लॉ, प्रेसीडेंसी यूनिवर्सिटी, राजनकुंटे, येलहंका, बेंगलुरु**
38		**स्कूल ऑफ लॉ आर.वी. यूनिवर्सिटी, बेंगलुरु, कर्नाटक**
39		**स्कूल ऑफ लीगल स्टडीज, रेवा यूनिवर्सिटी बेंगलुरु**
40	केरल	नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एडवांस्ड लीगल स्टडीज, कोच्चि
41	मध्य प्रदेश	धर्मशास्त्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जबलपुर
42		एमिटी लॉ स्कूल, ग्वालियर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश
43		जागरण लेक सिटी यूनिवर्सिटी भोपाल
44		विधि संकाय, ओरिएंटल विश्वविद्यालय, इंदौर
45		राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय, भोपाल
46		स्कूल ऑफ लॉ एनएमआईएमएस, इंदौर, इंदौर, एमपी
47		आईटीएम यूनिवर्सिटी ग्वालियर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश
48		स्कूल ऑफ लॉ एंड पब्लिक पॉलिसी, अवंतिका यूनिवर्सिटी, एमपी
49	महाराष्ट्र	विधि संकाय, विश्वकर्मा विश्वविद्यालय, पुणे (महाराष्ट्र) पुणे, महाराष्ट्र
50		महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, औरंगाबाद
51		महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, मुंबई
52		सिम्बायोसिस लॉ स्कूल, नागपुर
53		सिम्बायोसिस लॉ स्कूल, पुणे
54		देस नवलमल फिरोदिया लॉ कॉलेज पुणे
55		नारायणराव चव्हाण लॉ कॉलेज, नांदेड़, महाराष्ट्र
56		महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, नागपुर
57	मणिपुर	रॉयल एकेडमी ऑफ लॉ, मणिपुर
58	मेघालय	विधि विभाग नॉर्थ-ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी शिलांग
59		राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, मेघालय
60	मिजोरम	सरकारी मिज़ोरम विधि महाविद्यालय, आइज़वाल
61	नगालैंड	कोहिमा विधि महाविद्यालय, कोहिमा
62	नई दिल्ली	फेयरफील्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी-स्कूल ऑफ लॉ कपास हेरा, नई दिल्ली
63		विधि महाविद्यालय, फोरेंसिक जस्टिस एंड पॉलिसी स्टडीज (एनएफएसयू) दिल्ली कैंपस, रोहिणी
64		विधि संकाय, दिल्ली विश्वविद्यालय
65		विधि विभाग, महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज (एमएआईएमएस), रोहिणी, नई दिल्ली
66		जामिया मिलिया इस्लामिया (केंद्रीय विश्वविद्यालय), नई दिल्ली
67		राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, दिल्ली
68		विवेकानंद स्कूल ऑफ लॉ एंड लीगल स्टडीज (वीएसएलएलएस), वीआईपीएस यूनिवर्सिटी, नई दिल्ली
69		चंद्र प्रभु जैन कॉलेज ऑफ हायर स्टडीज एंड स्कूल ऑफ लॉ, नरेला, दिल्ली
70		हमदर्द इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च (एचआईएलएसआर), जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी
क्र.सं.	**कवर किए गए राज्य**	**विधि विद्यालय**
71	ओडिशा	पीजी कानून विभाग, बरहामपुर विश्वविद्यालय भंजाबिहार, ओडिशा
72		बिरला स्कूल ऑफ लॉ, बिरला ग्लोबल यूनिवर्सिटी, भुवनेश्वर
73		केआईआईटी स्कूल ऑफ लॉ, केआईआईटी विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर
74		राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, ओडिशा, कटक
75	पंजाब	पंजाब केन्द्रीय विश्वविद्यालय, बठिंडा

76		राजीव गांधी राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, पटियाला, पंजाब
77	राजस्थान	विधि संकाय, विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी (वीजीयू), जयपुर (राजस्थान)
78		विधिक अध्ययन विभाग वनस्थली विद्यापीठ, वनस्थली, राजस्थान
79		एमिटी लॉ स्कूल, एमिटी यूनिवर्सिटी जयपुर
80		राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर, जोधपुर
81		स्कूल ऑफ लॉ, मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर
82	सिक्किम	सिक्किम गवर्नमेंट लॉ कॉलेज, गंगटोक
83	तमिलनाडु	सविता कॉलेज ऑफ लॉ, सविता विश्वविद्यालय, चेन्नई
84		स्कूल ऑफ लॉ, एसएएसटीआरए डीम्ड यूनिवर्सिटी
85		तमिलनाडु राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, त्रिची
86		केएमसी विधि महाविद्यालय, तिरुपुर, तमिलनाडु
87	तेलंगाना	नालसार विधि विश्वविद्यालय, हैदराबाद
88	त्रिपुरा	आईसीएफएआई विधि विद्यालय, त्रिपुरा
89		राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, त्रिपुरा
90	उत्तर प्रदेश	शहीद भगत सिंह विधि महाविद्यालय, बिठूर, कानपुर
91		विधि विद्यालय, क्राइस्ट (मानद विश्वविद्यालय) दिल्ली एनसीआर परिसर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश
92		एशियन विधि महाविद्यालय नोएडा, उत्तर प्रदेश
93		लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश
94		अटल बिहारी वाजपेयी स्कूल ऑफ लीगल स्टडीज
95		डॉ. राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, लखनऊ
96		विधि विद्यालय, बेनेट यूनिवर्सिटी, ग्रेटर नोएडा
97		शारदा विधि विद्यालय, शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा
98		एसओएल गलगोटिया यूनिवर्सिटी, ग्रेटर नोएडा
99		सिम्बायोसिस लॉ स्कूल, नोएडा
100		महर्षि विधि विद्यालय महर्षि सूचना प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, नोएडा, उत्तर प्रदेश
101		विधि विद्यालय, जस्टिस एंड गवर्नेंस, गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा, यूपी
102		विधि विद्यालय और संवैधानिक अध्ययन (एसएलसीएस), शोभित इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, मेरठ, यूपी
103		विधि विद्यालय, बीएचयू, वाराणसी, उत्तर प्रदेश
104	उत्तराखंड	विधि महाविद्यालय देहरादून उत्तरांचल विश्वविद्यालय
105		विधि विद्यालय, यूपीईएस, देहरादून
106	पश्चिमी बंगाल	विधि विभाग, एसकेबीयू पुरुलिया
107		राजीव गांधी बौद्धिक संपदा विधि विद्यालय, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर
108		पश्चिमी बंगाल राष्ट्रीय विधि विज्ञान विश्वविद्यालय, कोलकाता
109		सरकारी विधिक शिक्षा केंद्र, हुगली

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3144
जिसका उत्तर गुरुवार, 27 मार्च, 2025 को दिया जाना है

अपर्याप्त न्यायिक अवसंरचना और संसाधन

3144 डा. अशोक कुमार मित्तल :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा मामलों के शीघ्र निपटान के लिए आवश्यक न्यायिक अवसंरचना, जैसे न्यायालय कक्ष, प्रौद्योगिकी और कार्मिक विकास के लिए आवंटित और उपयोग की गई धनराशि का वर्ष-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है ;

(ख) वे कारण क्या हैं जिनके कारण न्यायपालिका समुचित अवसंरचना और संसाधनों की कमी का सामना कर रही है ;

(ग) सरकार द्वारा अपर्याप्त संसाधनों की समस्या को दूर करने और न्याय प्रदान करने की दक्षता बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) कानूनी प्रणाली को सरल बनाने और इसे वंचित समुदायों के लिए अधिक सुलभ बनाने हेतु क्या पहल की जा रही है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (ग) : न्यायपालिका के लिए बुनियादी ढांचे की सुविधाओं के विकास की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। केंद्रीय सरकार न्यायिक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए केंद्र प्रायोजित स्कीम (सीएसएस) के माध्यम से वित्तीय सहायता द्वारा राज्य/संघ राज्यक्षेत्रों की सरकारों के संसाधनों की पूर्ति करती है। इस स्कीम में न्यायालय हॉल और न्यायिक अधिकारियों के लिए आवासीय इकाइयों के साथ-साथ वकील हॉल, शौचालय परिसर और डिजिटल कंप्यूटर कक्ष का निर्माण सम्मिलित है। वर्ष 1993-94 में स्कीम की शुरुआत से लेकर आज तक 11,886.29 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। स्कीम के अधीन अधीन आबंटित और उपयोग की गई निधि का वर्षवार और राज्यवार विवरण उपाबंध-1 में दिया गया है।

केंद्रीय सरकार, जिला और अधीनस्थ न्यायपालिका के लिए बेहतर बुनियादी ढांचे के निर्माण की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील है। वर्ष 2014 में 15,818 न्यायालय हॉल और 10,211 आवासीय इकाइयों से, आज की तारीख में उपलब्ध न्यायालय हॉल (22,062) और आवासीय इकाइयों (19,775) की संख्या में क्रमशः 39.47% और 93.66% की वृद्धि हुई है।

इसके अतिरिक्त, ई-कोर्ट मिशन मोड परियोजना को भारतीय न्यायालयों की सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) सक्षमता के लिए एक केंद्रीय क्षेत्र स्कीम के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है। स्कीम

के चरण-1 (2011-2015) में 935 करोड़ रुपये का आबंटन और 639.41 करोड़ रुपये का व्यय हुआ है, जिसका उद्देश्य न्यायालयों को बुनियादी आईसीटी अवसंरचना प्रदान करना है, जबकि चरण-2 (2015-2023) में 1670 करोड़ रुपये का बजटीय आबंटन और 1668.43 करोड़ रुपये का व्यय हुआ है, जो विभिन्न पणधारियों को बेहतर सेवाएं प्रदान करते हुए चरण-1 का पूरक है। स्कीम का चरण-3 (2023-27) 7210 करोड़ रुपये के पूंजी परिव्यय के साथ शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य डिजिटल, ऑनलाइन और कागज रहित न्यायालयों की ओर बढ़ते हुए न्याय की अधिकतम आसानी की व्यवस्था की शुरुआत करना है, पूरे न्यायालय के रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण करना और सभी न्यायालय परिसरों को ई- सेवा केन्द्रों से संतृप्त करके ई-फाइलिंग/ई-भुगतान का सार्वभौमिकरण करना है। मामलों की सुनवाई या प्राथमिकता तय करते समय न्यायाधीशों और रजिस्ट्री के लिए डेटा आधारित विनिश्चय करने में सक्षम बुद्धिमान स्मार्ट सिस्टम स्थापित करने की योजना है। ई-न्यायालय परियोजना, चरण-3 के अधीन आबंटित और उपयोग की गई निधि का वर्षवार विवरण इस प्रकार है:-

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	बजट आबंटन	कुल व्यय
2023-24	825	768.25
2024-25 (28.2.2025 तक)	1200	1134.73

(घ) : सरकार ने विधिक प्रणाली को सरल बनाने और न्याय तक पहुंच को आसान बनाने के लिए कई पहलें की हैं। अत्यधिक मुकदमेबाजी वाले क्षेत्रों में कई विधायी उपाय किए गए हैं और मामलों के त्वरित निपटान के लिए न्यायालय प्रक्रिया को फिर से तैयार किया गया है। सरकार ने विभिन्न विधियों में संशोधन किया है, जैसे कि परक्राम्य लिखत (संशोधन) अधिनियम, 2018, वाणिज्यिक न्यायालय (संशोधन) अधिनियम, 2018, विनिर्दिष्ट अनुतोष (संशोधन) अधिनियम, 2018, माध्यस्थम और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2019 और दंड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2018 ।

वैकल्पिक विवाद समाधान विधियों को पूरे दिल से बढ़ावा दिया गया है। तदनुसार, वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 को अगस्त, 2018 में संशोधित किया गया था, जिससे वाणिज्यिक विवादों के मामले में संस्थन पूर्व मध्यकता और निपटान (पीआईएमएस) अनिवार्य हो गया। पीआईएमएस तंत्र की दक्षता को और बढ़ाने के लिए, सरकार ने मध्यकता अधिनियम, 2023 के माध्यम से वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 में और संशोधन किया है। विवादों के त्वरित समाधान में तेजी लाने के लिए माध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996 में वर्ष 2015, 2019 और 2021 में संशोधन किए गए हैं।

लोक अदालत आम लोगों के लिए उपलब्ध एक महत्वपूर्ण वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र है। यह एक ऐसा मंच है जहां न्यायालय में लंबित या मुकदमेबाजी से पहले के विवादों/मामलों का सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटारा/समझौता किया जाता है। विधिक सेवा प्राधिकरण (एलएसए) अधिनियम, 1987 के अधीन गठित राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए) निःशुल्क विधिक सहायता और सलाह, विधिक सेवा क्लीनिक, विधिक सशक्तिकरण शिविर और पीड़ित प्रतिकर स्कीम के कार्यान्वयन की पेशकश करने वाले क्रियाकलापों/सार्वजनिक कार्यक्रमों का आयोजन करता रहा है।

सरकार ने 2017 में टेली-लॉ कार्यक्रम शुरू किया, जो ग्राम पंचायतों में स्थित सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी) पर उपलब्ध वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, टेलीफोन और चैट सुविधाओं और टेली-लॉ मोबाइल ऐप के माध्यम से पैनल अधिवक्ताओं के साथ विधिक सलाह और परामर्श चाहने वाले जरूरतमंद और वंचित वर्गों को जोड़ने वाला एक प्रभावी और विश्वसनीय ई-इंटरफेस प्लेटफॉर्म प्रदान करता है।

देश में प्रो बोनो संस्कृति और प्रो बोनो वकालत को संस्थागत बनाने के प्रयास किए गए हैं। एक तकनीकी ढांचा तैयार किया गया है, जहां प्रो बोनो कार्य के लिए अपना समय और सेवाएं देने वाले अधिवक्ता न्याय बंधु (एंड्रॉइड और आईओएस और ऐप) पर प्रो बोनो अधिवक्ता के रूप में रजिस्ट्रीकरण कर सकते हैं। न्याय बंधु सेवाएं उमंग प्लेटफ़ॉर्म पर भी उपलब्ध हैं। राज्य/संघ राज्यक्षेत्र स्तर पर 23 उच्च न्यायालयों में

अधिवक्ताओं का प्रो बोनो पैनल प्रारंभ किया गया है। नवोदित वकीलों में प्रो बोनो संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए 109 लॉ स्कूलों में प्रो बोनो क्लब शुरू किए गए हैं।

****

उपाबंध-1

बुनियादी ढांचा सुविधाओं के विकास के लिए सी.एस.एस. के अंतर्गत 1993-94 से वित्त वर्ष 2024-25 तक आबंटित और उपयोग की गई निधि (करोड़ रुपये में)

(28.02.2025 तक)

क्र.सं.	राज्य	1993-94 से 2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	कुल निधि (1993-94 से वित्तीय वर्ष 2024-25 तारीख 28.02.2025 तक स्वीकृत/ आबंटित)	उपयोग की गई निधि (1993-94 से वित्तीय वर्ष 2024-25 तारीख 28.02.2025 तक)
1	**आंध्र प्रदेश**	159.64	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	20.00	10.28	0.00	22.50	49.8150	0.00	272.24	272.24
2	**बिहार**	55.60	49.09	0.00	50.00	42.90	62.04	87.62	65.72	0.00	0.00	67.4500	77.97	558.40	558.4
3	**छत्तीसगढ**	50.04	21.77	0.00	0.00	0.00	19.68	19.83	7.84	0.00	60.00	6.6900	39.06	224.91	224.91
4	**गोवा**	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.15	4.06	3.80	3.20	25.00	1.5300	14.27	63.01	52.51
5	**गुजरात**	252.64	100.00	50.00	50.00	50.00	15.02	16.49	13.50	0.00	6.22	95.6175	25.67	675.17	675.17
6	**हरियाणा**	92.86	0.00	50.00	0.00	15.00	11.91	14.06	22.00	0.00	0.00	20.1000	0.00	225.93	225.93
7	**हिमाचल प्रदेश**	23.13	0.00	0.00	8.19	0.00	4.08	5.72	5.50	0.00	0.00	6.0000	13.62	66.24	65
8	**जम्मू-कश्मीर**	87.23	34.29	13.25	21.04	10.00	19.01	10.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	194.82	194.82
9	**झारखंड**	51.00	30.44	30.44	0.00	50.00	9.59	13.74	9.05	6.00	16.51	40.8100	10.00	267.57	267.57
10	**कर्नाटक**	274.92	163.70	50.00	50.00	50.00	38.12	44.04	29.72	27.00	82.01	133.1635	49.28	991.96	991.53
11	**केरल**	60.87	0.00	0.00	0.00	25.00	30.82	15.82	13.00	50.00	0.00	7.0000	45.89	248.40	229.42
12	**मध्य प्रदेश**	189.72	61.41	50.00	0.00	50.00	79.42	66.90	45.60	55.00	125.00	104.0000	36.66	863.71	863.71
13	**महाराष्ट्र**	399.67	99.75	50.00	49.75	50.00	10.58	61.09	23.11	18.00	100.00	119.5300	95.16	1,076.64	1076.64
14	**ओडिशा**	90.24	0.00	0.00	0.00	0.00	22.50	35.69	0.00	0.00	31.49	30.8800	39.45	250.25	250.25
15	**पंजाब**	225.80	98.05	50.00	48.00	50.00	26.47	39.78	16.48	16.50	12.50	18.4200	0.00	602.00	597.48
16	**राजस्थान**	64.03	0.00	50.00	43.74	17.34	17.41	64.21	29.90	41.50	71.66	80.4100	48.68	528.87	528.87
17	**तमिलनाडु**	151.31	0.00	0.00	50.00	0.00	6.09	38.71	18.17	35.66	133.85	0.0000	61.27	495.06	467.25
18	**तेलंगाना**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	5.65	16.00	0.00	26.61	0.0000	0.63	58.89	58.89
19	**उत्तराखंड**	45.08	35.59	0.00	0.00	25.00	22.02	28.50	5.86	80.00	0.00	13.7500	46.14	301.94	297.15
20	**उत्तर प्रदेश**	551.30	125.31	50.00	50.00	75.00	128.06	169.66	111.00	219.00	0.00	102.9600	174.12	1,756.41	1679.68
21	**पश्चिमी बंगाल**	89.53	20.00	0.00	0.00	17.34	35.22	61.43	31.07	0.00	0.00	18.0000	22.22	294.81	292.11
	कुल	**2922.63**	**839.40**	**443.69**	**420.72**	**527.58**	**581.19**	**823.00**	**477.60**	**551.86**	**713.35**	**916.1259**	**800.08**	**10,017.22**	**9,869.53**
							पूर्वोत्तर राज्य								
1	**अरुणाचल प्रदेश**	21.63	10.00	15.93	0.00	0.00	0.00	2.69	5.00	4.09	32.38	0.0000	6.2400	97.96	91.42
2	**असम**	117.71	0.00	0.00	0.00	20.00	32.09	36.54	25.00	27.40	25.00	40.0000	26.0200	349.76	349.76
3	**मणिपुर**	21.42	20.00	20.00	0.00	0.00	8.87	9.66	5.00	0.00	12.85	0.0000	3.7100	101.51	99.51
4	**मेघालय**	17.71	17.09	20.37	20.00	8.63	14.82	22.85	7.71	28.02	50.00	33.7200	33.7900	274.71	274.71

5	**मिजोरम**	26.17	10.85	0.00	0.00	20.00	5.94	5.24	5.00	9.50	0.00	8.8550	11.5095	103.07	103.07
6	**नागालैंड**	47.80	20.16	0.00	20.00	20.00	3.21	3.42	5.00	13.27	0.00	4.3925	2.0000	139.25	139.18
7	**सिक्किम**	46.30	0.00	0.00	0.00	0.00	2.57	2.78	2.95	0.00	2.27	2.6950	0.0000	59.57	58.47
8	**त्रिपुरा**	55.03	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	18.82	7.74	0.00	0.00	40.4869	20.0000	157.58	141.55
	कुल	**353.78**	**93.60**	**56.30**	**40.00**	**68.63**	**67.50**	**102.00**	**63.40**	**82.28**	**122.50**	**130.1494**	**103.2695**	**1,283.41**	**1,257.67**
	संघ राज्यक्षेत्र														
1	**अंदमान और निकोबार द्वीप समूह**	8.96	0.00	0.00	2.60	0.00	1.31	0.17	0.35	0.46	0.00	0.4900	0.0000	14.34	14.34
2	**चंडीगढ़**	39.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.0000	39.01	37.3
3	**दादरा और नागर हवेली**	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.0000	7.06	7.06
4	**दमण और दीव**	1.90	0.00	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.0000	2.32	2.32
5	**दिल्ली**	78.97	0.00	60.40	50.00	25.00	0.00	48.52	45.00	30.00	0.00	0.0000	16.5000	354.40	344.56
6	**जम्मू-कश्मीर**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	6.65	20.00	12.60	12.0000	31.5000	87.75	75.05
7	**लद्दाख**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.4000	6.9250	8.33	8.33
8	**लक्षद्वीप**	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.51	0.37
9	**पुडुचेरी**	31.49	0.00	2.60	25.00	0.00	0.00	3.31	0.00	0.00	9.55	0.0000	0.0000	71.95	65.58
	कुल	**167.90**	**0.00**	**63.00**	**78.02**	**25.00**	**1.31**	**57.00**	**52.00**	**50.46**	**22.15**	**13.8900**	**54.9250**	**585.66**	**554.91**
	कुल योग	**3444.31**	**933.00**	**562.99**	**538.74**	**621.21**	**650.00**	**982.00**	**593.00**	**684.60**	**858.00**	**1060.1653**	**958.28**	**11,886.29**	**11,682.11**

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3145
जिसका उत्तर गुरुवार, 27 मार्च, 2025 को दिया जाना है

पुणे के न्यायालयों में कार्यबल और अवसंरचना की कमी

3145 डा. मेधा विश्राम कुलकर्णी :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पुणे के न्यायालयों में न्यायिक कार्यबल की कमी और अपर्याप्त अवसंरचना की जानकारी है ;

(ख) यदि हां, तो न्यायाधीशों और कर्मचारियों की रिक्तियों का ब्यौरा क्या है और अवसंरचना विकास की स्थिति क्या है ;

(ग) समय पर न्याय सुनिश्चित करने हेतु न्यायालयों में अवसंरचना सुधार करने और रिक्त पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ;

(घ) क्या नए न्यायालय भवनों या आधुनिकीकरण के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी स्थिति क्या है ; और

(ङ) इन उपायों के कार्यान्वयन की समय-सीमा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (ड.) : राज्यों में न्यायपालिका के लिए अवसंरचना सुविधाओं के विकास का प्राथमिक उत्तरदायित्व राज्य सरकारों में निहित है। सरकार, जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अवसंरचना के संनिर्माण के लिए राज्य सरकारों के संसाधनों में वृद्धि करने के लिए वर्ष 1993-94 से न्यायपालिका के लिए अवसंरचना सुविधाओं के विकास के लिए केंद्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम (सीएसएस) को कार्यान्वित करती रही है। इस स्कीम के अधीन पांच घटक अर्थात, न्यायालय हॉल, आवासीय इकाइयां, वकीलों के हॉल, शौचालय परिसर और वकीलों और वादियों की सुविधा के लिए डिजिटल कंप्यूटर कक्ष समाविष्ट हैं। 28.02.2025 तक, न्यायपालिका के लिए अवसंरचना सुविधाओं के विकास के लिए केंद्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम (सीएसएस) के आरंभ से 11886.29 करोड़ रु. जारी किए गए हैं। केंद्रीय सरकार ने महाराष्ट्र राज्य को अब तक 1076.64 करोड़ रु. की राशि जारी की है, जिसके अंतर्गत इस वित्त वर्ष 2024-25 में जारी किए गए 95.16 करोड़ रु. भी हैं।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 233 और अनुच्छेद 234 के अनुसार, जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में नियुक्तियां राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों की अधिकारिता के अधीन आती हैं। भर्ती प्रक्रिया मलिक मजहर सुल्तान मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जनवरी, 2007 के अपने आदेश

द्वारा निर्धारित समय-सीमा का अनुसरण करते हुए उच्च न्यायालयों के परामर्श से राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा शासित होती है। बॉम्बे उच्च न्यायालय से प्राप्त सूचना के अनुसार, पुणे जिले में न्यायिक अवसंरचना और जनशक्ति की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है :

(i) पुणे जिले में न्यायालयकक्षोंकीउपलब्धता:

जिला/तालुका	स्व-स्वामित्व	सरकारी स्वामित्व	किराए	कुल
जिला स्थान	72	0	0	72
तालुका स्थान	69	0	24	93
कुल	**141**	**0**	**24**	**165**

(ii) पुणे जिले में रिहायशी क्वार्टर की उपलब्धता

जिला/तालुका	स्व-स्वामित्व (समनुदेशित)	सरकारी पूल (सामान्य पूल)	किराए	कुल
जिला स्थान	33	35	4	72
तालुका स्थान	41	17	31	89
कुल	**74**	**52**	**35**	**161**

(iii) महाराष्ट्र राज्य में न्यायिक अधिकारियों की रिक्तियां (11.03.2025 तक):

बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, काडर-वार पदों के लिए राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है और यह केवल एक जिले तक सीमित नहीं है। 11.03.2025 तक महाराष्ट्र राज्य में न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृत पद संख्या, कार्यरत पद संख्या और रिक्ति की स्थिति निम्नानुसार है:

काडर	स्वीकृत पद संख्या	कार्यरत पद संख्या (पूर्व काडर सहित)	रिक्तियां
जिला न्यायाधीश	1195	453	742
तदर्थ जिला न्यायाधीश	100	84	16
ज्येष्ठ सिविल न्यायाधीश	1274	639	635
सिविल जज (कनिष्ठ प्रभाग)	2835	1066	1769

(iv) अवसंरचना में सुधार करने और रिक्तियों को भरने के लिए उठाए गए कदम

न्यायिक अवसंरचना को बढ़ाने के लिए, बॉम्बे उच्च न्यायालय ने प्रधान जिला न्यायाधीशों को निर्देशित किया है कि वे नए न्यायालय भवनों के लिए स्कीम तैयार करें जहां भूमि उपलब्ध है और जिला कलेक्टरों के साथ समन्वय करके भूमि का अर्जन करें, जहां यह नहीं है। न्यायिक अधिकारियों के लिए आवासीय क्वार्टर के निर्माण और जहां न्यायालय या क्वार्टर किराए के स्थानों में कार्य कर रहे हैं, भूमि के अंतरण/अर्जन पर भी जोर दिया गया है। स्थल पर्यवेक्षण समितियों के गठन, सभी न्यायालय परिसरों में भौतिक पहुंच सुनिश्चित करने और मानक प्रक्रियाओं और परिपत्रों के माध्यम से अवसंरचना को बनाए

रखने के लिए भी अनुदेश जारी किए गए हैं। इन कार्यों का उद्देश्य न्यायिक कर्मचारियों के लिए उपयुक्त कार्यकारी और आवासीय स्थितियां प्रदान करना और न्याय तक पहुंच में सुधार करना है

बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, महाराष्ट्र, गोवा और संघ राज्य क्षेत्रों में न्यायिक रिक्तियों को भरने के लिए व्यापक भर्ती और प्रोन्नति प्रक्रिया आरंभ की गई है। वर्ष 2023, 2024 और 2025 के दौरान कई अधिसूचनाएं जारी की गई हैं, लिखित परीक्षा संचालित की गई हैं और नियुक्तियां की गई हैं।

(v) नए न्यायालय भवनों के लिए प्रस्ताव:

विशिष्टियां	प्रास्थिति
वडगांवमावल (20 न्यायालय हॉल)	प्रशासनिक अनुमोदन प्रक्रियाधीन है।
बारामती (20 न्यायालय हॉल)	प्रशासनिक अनुमोदन प्रक्रियाधीन है।

(बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार)

(vi) पुणे जिले में संनिर्माणाधीन न्यायालय भवन

स्थान	न्यायालय हॉल की संख्या	अंतरिम समापन तारीख
घोडनाडी-शिरूर (स्टिल्ट+2 मंजिलें) (पॉक्सो के लिए 6+1) अतिरिक्त दो मंजिलों का निर्माण (तीसरा और चौथा)	7 5	30.06.2025 10.10.2026
पुणे (उपाबंध + पार्किंग)	14	30.06.2025
खेड़राजगुरुनगर	10	31.05.2025
पौड	2	30.06.2025
येरवडा	24	12.03.2026
पिंपरी चिंचवड़	26	08.02.2026
पुणे मुख्यालय (पॉक्सो न्यायालय भवन)	6	जुलाई 2025
कुल	**94**	—

(बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार)

(vii) संनिर्माणाधीन आवासीय क्वार्टर :

स्थान	इकाइयों की संख्या	अंतरिम समापन तारीख
घोडनाडी-शिरूर (सीजेजेडी)	4	30.06.2025
पौड (सीजेजेडी)	2	30.06.2025
घोडनाडी-शिरूर (डीजे, सीजेएसडी)	8	10.11.2025
जुन्नार	6	—
कुल	**20**	—

(बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार)

******

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3147
जिसका उत्तर गुरुवार, 27 मार्च, 2025 को दिया जाना है

न्यायालयों में लंबित मामलों में बढ़ोतरी

3147 श्री वाइको :

श्री एम. शनमुगम :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निचली अदालतों से लेकर उच्चतम न्यायालय तक न्यायिक मामलों की बढ़ती संख्या के कारणों का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन/विश्लेषण किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने विभिन्न न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों के सभी रिक्त पद भरे जाना सुनिश्चित किया है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ङ) लोक अदालतों के आयोजन, कंपाउंडिंग शुल्क लगाने और छोटी-मोटी कार्यवाही पर भारी जुर्माना लगाने जैसे उपायों के माध्यम से विभिन्न स्तरों के न्यायालयों में भीड़भाड़ कम करने के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है ; और

(च) विभिन्न न्यायालयों में काफी समय से लंबित मामलों के निपटान के लिए क्या अभिनव कदम उठाए गए हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) और (ख) : भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, मामलों के लंबित रहने का कोई एक सुस्पष्ट कारण नहीं है। यह एक बहुआयामी स्थिति है। तथापि, देश की जनसंख्या में वृद्धि, जनता के बीच पहुँच में आसानी और जागरूकता, प्रौद्योगिकी के उपयोग आदि के साथ, नए मामलों के फाइल किए जाने की संख्या वर्ष दर वर्ष निरंतर बढ़ रही है, जबकि न्यायाधीशों और न्यायालयों की संख्या वैसी ही बनी हुई है। इसलिए, लंबित मामलों की संख्या का मुख्य कारण देश में न्यायाधीश/जनसंख्या अनुपात का अपर्याप्त होना है और माननीय न्यायाधीशों की अपर्याप्त संख्या का होना भी है। महामारी, जो वर्ष 2020 के आसपास शुरू हुई, ने भी लंबित मामलों की संख्या को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

(ग) और (घ) : उच्चतर न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच एक सतत और सहयोगात्मक प्रक्रिया है, जिसमें राज्य और केंद्र दोनों स्तरों पर विभिन्न संवैधानिक प्राधिकारियों से परामर्श और अनुमोदन की अपेक्षा होती है।

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायिक नियुक्तियाँ संविधान के अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 217 और अनुच्छेद 224 द्वारा शासित होती हैं। प्रक्रिया ज्ञापन (एमओपी) के अनुसार, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति उच्चतम न्यायालय में नियुक्तियों के लिए प्रस्तावों की शुरुआत करते हैं, जबकि संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति, दो वरिष्ठतम न्यायाधीशों के परामर्श से, उच्च न्यायालय में नियुक्तियों की शुरुआत करते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में सिफारिशें उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम (एससीसी) को सलाह के लिए भेजे जाने से पहले, राज्य सरकार से प्राप्त इनपुट और अन्य सुसंगत रिपोर्टों सहित, संवीक्षा के कई स्तरों से गुजरती हैं। मई 2014 से, उच्चतम न्यायालय में 67 न्यायाधीशों और विभिन्न उच्च न्यायालयों में 1,030 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 233 और अनुच्छेद 234 के अनुसार, जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में नियुक्तियाँ राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में आती हैं। भर्ती प्रक्रिया, राज्य सरकारों द्वारा उच्च न्यायालयों के परामर्श से बनाए गए नियमों द्वारा शासित होती है, जो मलिक मज़हर सुल्तान मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के जनवरी 2007 के आदेश के द्वारा निश्चित की गई समयसीमाओं का पालन करती है।

(ङ) और (च) : लंबित मामलों का समयबद्ध रीति से निपटारा न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में है। तथापि, केंद्रीय सरकार, संविधान के अनुच्छेद 21 के अधीन यथा आज्ञापित मामलों के शीघ्र निपटारे और लंबित मामलों की संख्या को कम करने के प्रति अडिग है। इस उद्देश्य के लिए, सरकार ने न्यायपालिका द्वारा मामलों के तीव्र निपटारे के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र का उपबंध करने के लिए कई पहलें की हैं, जो निम्नानुसार हैं:

i. राष्ट्रीय न्याय परिदान और विधिक सुधार मिशन की स्थापना अगस्त, 2011 में की गई थी, जिसके प्रणाली में विलंबों और बकाया मामलों को कम करके पहुँच बढ़ाने और संरचनात्मक परिवर्तनों के माध्यम से जवाबदेही बढ़ाने तथा निष्पादन मानकों और क्षमताओं को तय करने वाले दोहरे उद्देश्य थे। मिशन न्यायिक प्रशासन में बकाया मामलों और लंबित मामलों के चरणबद्ध परिसमापन के लिए एक समन्वित दृष्टिकोण का अनुसरण रहा है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, कम्प्यूटरीकरण सहित न्यायालयों के लिए बेहतर अवसंरचना, जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की स्वीकृत पद संख्या में वृद्धि, अत्यधिक मुकदमेबाजी से ग्रस्त क्षेत्रों में नीतिगत और विधायी उपाय और मामलों के शीघ्र निपटान के लिए न्यायालय प्रक्रिया की पुनः इंजीनियरी और मानव संसाधन विकास पर बल देना अन्तर्वलित है।

ii. न्यायिक अवसंरचना के विकास के लिए केंद्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत, राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को न्यायालय हॉलों, न्यायिक अधिकारियों के लिए आवासीय क्वार्टरों, वकीलों के हॉलों, शौचालय परिसरों और डिजिटल कंप्यूटर हॉलों के निर्माण के लिए निधि जारी की जा रही है, जिससे वादियों सहित विभिन्न पक्षधारियों का जीवन सरल हो सके और न्याय परिदान में सहायता मिल सके। तारीख 28.02.2025 तक, वर्ष 1993-94 में न्यायपालिका के लिए अवसंरचना सुविधाओं के विकास के लिए केंद्रीय रु. से प्रायोजित स्कीम (सीएसएस) के आरंभ होने के समय से अब तक 11886.29 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। इस स्कीम के अधीन न्यायालय हॉलों की संख्या तारीख 30.06.2014 को 15,818 से बढ़कर तारीख 28.02.2025 तक 22,062 हो गई है और आवासीय इकाइयों की संख्या तारीख 30.06.2014 को 10,211 से बढ़कर 28.02.2025 तक 19,775 हो गई है।

iii. इसके अतिरिक्त, ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना के चरण 1 और 2 के अधीन, जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की आईटी सक्षमता के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) का लाभ उठाया गया है । वर्ष 2023 तक 18,735 जिला और अधीनस्थ न्यायालयों को कंप्यूटरीकृत किया गया था । 99.5% न्यायालय परिसरों को डब्ल्यू ए एन कनेक्टिविटी प्रदान की गई है।

3,240 न्यायालय परिसरों और 1,272 तत्समान जेलों के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा प्रदान की गई है। तारीख 31.01.2025 तक, जिला न्यायालयों में 1572 ई-सेवा केंद्रों और उच्च न्यायालयों में 39 ई-सेवा केंद्रों को वकीलों और वादियों को नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान करके डिजिटल अंतर को पाटने के लिए कार्यात्मक बनाया गया है। 21 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में 28 आभासी न्यायालय स्थापित किए गए हैं । तारीख 31.01.2025 तक, इन न्यायालयों ने 6.66 करोड़ से अधिक मामलों पर कार्यवाही की है और 714.99 करोड़ रू. से अधिक का जुर्माना वसूल किया है । मंत्रिमंडल ने तारीख 13.09.2023 को 7,210 करोड़ रुपये के परिव्यय पर ई-न्यायालय परियोजना के तीसरे चरण का अनुमोदन कर दिया है। चरण-1 और चरण-2 के अभिलाभों को अगले स्तर तक ले जाते हुए, ई-न्यायालय चरण-3 का उद्देश्य डिजिटल, ऑनलाइन और कागज रहित न्यायालयों की ओर बढ़कर न्याय की सुगमता की व्यवस्था की शुरुआत करना है। इसका आशय न्याय परिदान को सभी पणधारियों के लिए प्रगामी रूप से अधिक मजबूत, आसान और पहुंच योग्य बनाने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), ब्लॉक चेन आदि जैसी नवीनतम प्रौद्योगिकी को समाविष्ट करना है।

iv. सरकार, भारत के उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के रिक्त पदों को नियमित रूप से भरती रही है। तारीख 01.05.2014 से तारीख 06.03.2025 तक, उच्चतम न्यायालय में 67 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई। इसी अवधि के दौरान उच्च न्यायालयों में 1030 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई और 791 अपर न्यायाधीशों को स्थायी किया गया। उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की स्वीकृत पदसंख्या मई, 2014 में 906 से बढ़कर अब तक 1122 हो गई है। जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृत और कार्यरत पदसंख्या में निम्नानुसार वृद्धि हुई है:

निम्नलिखित तारीख तक	स्वीकृत पद संख्या	कार्यरत पद संख्या
31.12.2013	19,518	15,115
28.02.2025	25,786	20,511

स्रोत: न्याय विभाग का एम आई एस पोर्टल

तथापि, जिला और अधीनस्थ न्यायपालिका में रिक्तियों को भरना राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों और संबंधित उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में आता है।

v. अप्रैल, 2015 में आयोजित मुख्य न्यायमूर्तियों के सम्मेलन में पारित संकल्प के अनुसरण में, पांच वर्ष से अधिक समय से लंबित मामलों को निपटाने के लिए सभी 25 उच्च न्यायालयों में बकाया मामले समितियों का गठन किया गया है। जिला न्यायालयों के अंतर्गत भी बकाया मामले समितियों का गठन किया गया है।

vi. चौदहवें वित्त आयोग के तत्वावधान में, जघन्य अपराधों, वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, बालकों आदि से संबंधित मामलों से निपटने के लिए त्वरित निपटान न्यायालयों की स्थापना की गई है। तारीख 31.01.2025 तक, देश भर में 860 त्वरित निपटान न्यायालय कार्यरत हैं। निर्वाचित संसद सदस्यों /विधायकों से संबंधित दांडिक मामलों का त्वरित निपटान करने के लिए, नौ (9) राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में दस (10) विशेष न्यायालय कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त, केंद्रीय सरकार ने, बलात्संग और पॉक्सो अधिनियम के लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए देश भर में त्वरित निपटान विशेष न्यायालय (एफटीएससी) स्थापित करने की स्कीम को अनुमोदित कर दिया है। तारीख 31.01.2025 तक, देश भर के 30 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में 404 विशेष पॉक्सो (ई-पॉक्सो) न्यायालयों सहित 745 त्वरित निपटान विशेष न्यायालय (एफटीएससी) कार्यरत हैं, जिन्होंने 3,06,000 से अधिक मामलों का निपटारा किया है।

vii. न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या कम करने और कामकाज को सुचारू बनाने की दृष्टि से, सरकार ने, विभिन्न विधियों, जैसे परक्राम्य लिखत (संशोधन) अधिनियम, 2018, वाणिज्यिक न्यायालय (संशोधन) अधिनियम, 2018, निर्दिष्ट अनुतोष (संशोधन) अधिनियम, 2018, माध्यस्थम और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2019 और दंड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2018 में संशोधन किया है।

viii. वैकल्पिक विवाद समाधान पद्धतियों को पूरे मन से बढ़ावा दिया गया है। तदनुसार, वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 को अगस्त, 2018 में संशोधित किया गया था, जिससे वाणिज्यिक विवादों के मामले में संस्थन-पूर्व मध्यकता और निपटान (पीआईएमएस) अनिवार्य हो गया। पीआईएमएस तंत्र की दक्षता को और बढ़ाने के लिए, सरकार ने मध्यकता अधिनियम, 2023 के माध्यम से वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 में और संशोधन किया है। माध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996 में वर्ष 2015, वर्ष 2019 और वर्ष 2021 में विवादों के त्वरित समाधान में तीव्रता लाने के लिए संशोधन किया गया है।

वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 के अधीन, मामला प्रबंधन सुनवाई का उपबंध है जो किसी मामले के दक्ष, प्रभावी और उद्देश्यपूर्ण न्यायिक प्रबंधन के लिए उपबंध करता है ताकि विवाद का समय पर और गुणवत्तापूर्ण समाधान प्राप्त किया जा सके। यह तथ्य और विधिक विवादित मुद्दों की शीघ्र पहचान, मामले के जीवन के लिए प्रक्रियात्मक कैलेंडर की स्थापना और विवाद के समाधान की संभावनाओं की खोज में सहायता करता है।

वाणिज्यिक न्यायालयों के लिए शुरू की गई एक अन्य नवीन विशेषता रंग बैंडिंग की प्रणाली है, जो किसी भी वाणिज्यिक विषय में दिए जाने वाले स्थगनों की संख्या को तीन तक सीमित कर देती है तथा न्यायाधीशों को लंबित मामलों की संख्या के प्रक्रम के अनुसार मामलों को सूचीबद्ध करने के बारे में सचेत करती है।

ix. सरकार ने, वर्ष 2017 में टेली-लॉ कार्यक्रम शुरू किया, जो ग्राम पंचायतों में स्थित कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) पर उपलब्ध वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, टेलीफोन और चैट सुविधाओं और टेली-लॉ मोबाइल ऐप के माध्यम से पैनल वकीलों के साथ विधिक सलाह और परामर्श चाहने वाले और वंचित वर्गों को संयोजित करने वाला एक प्रभावी और विश्वसनीय ई-इंटरफेस प्लेटफॉर्म प्रदान करता है।

*टेली-विधि डाटा का प्रतिशतवार ब्यौरा

वर्ग	रजिस्ट्रीकृत मामले	% वार ब्रेक अप	दी गई सलाह	% वार ब्रेक अप
लिंग के अनुसार				
महिला	43,50,146	39.53%	42,92,045	39.49%
पुरुष	66,55,274	60.47%	65,77,616	60.51%
जाति श्रेणीवार				
सामान्य	25,94,779	23.58%	25,54,696	23.50%
अन्य पिछड़ा वर्ग	34,67,629	31.51%	34,21,343	31.48%
अनुसूचित जा	34,55,009	31.39%	34,19,433	31.46%

अनुसूचित जनजाति	14,88,003	13.52%	14,74,189	13.56%
कुल	1,10,05,420		1,08,69,661	

*डाटा 28.02.2025 तक.

x. देश में प्रो बोनो संस्कृति और प्रो बोनो वकालत को संस्थागत बनाने के प्रयास किए गए हैं। एक प्रोद्योगिकी कार्य ढांचा तैयार किया गया है, जहाँ अधिवक्ता प्रो बोनो कार्य के लिए अपना समय और सेवाएँ देने के लिए स्वेच्छा से न्याय बंधु (एंड्रॉइड और आईओएस ऐप्स) पर प्रो बोनो अधिवक्ता के रूप में रजिस्ट्रीकृत कर सकते हैं। न्याय बंधु सेवाएँ उमंग प्लेटफ़ॉर्म पर भी उपलब्ध हैं। राज्य/संघ राज्यक्षेत्र स्तर पर 23 उच्च न्यायालयों में अधिवक्ताओं का प्रो बोनो पैनल शुरू किया गया है। नवोदित वकीलों में प्रो बोनो संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए 109 विधि विद्यालयों में प्रो बोनो क्लब शुरू किए गए हैं।

xi. न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या को कम करने और विवादों को मुकदमेबाजी पूर्व चरण में निपटाने के लिए भी, विधिक सेवा संस्थाओं द्वारा उचित समझे जाने वाले अंतरालों पर लोक अदालतों का आयोजन किया जाता है। लोक अदालतें, न्यायालयों पर बोझ कम करने में वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर) तंत्र के प्रभावी ढंगों में से एक ढंग है, जिसे जनता से सकारात्मक उत्तर मिला है। लोक अदालतें तीन प्रकार की होती हैं, अर्थात राज्य लोक अदालतें, राष्ट्रीय लोक अदालतें और स्थायी लोक अदालतें, जो निम्नानुसार हैं:

i. राज्य लोक अदालतों का आयोजन विधिक सेवा प्राधिकरणों/समितियों द्वारा स्थानीय परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुसारमुकदमे-पूर्व और मुकदमे-पश्चात दोनों प्रकार के मामलों के निपटारे के लिए किया जाता है।

ii. भारत के उच्चतम न्यायालय से लेकर तालुक न्यायालयों तक सभी न्यायालयों में मामलों (मुकदमेबाजी से पहले और मुकदमेबाजी के बाद) के निपटारे के लिए त्रैमासिक रुप से एक ही दिन राष्ट्रीय लोक अदालतें आयोजित की जाती हैं। हर वर्ष, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नाल्सा) राष्ट्रीय लोक अदालतों के आयोजन के लिए कैलेंडर जारी करता है। वर्ष 2025 के दौरान, राष्ट्रीय लोक अदालतें 8मार्च, 10 मई, 13 सितंबर और 13 दिसंबरको आयोजित की जानी हैं।

iii. स्थायी लोक अदालतें अधिकांश जिलों में स्थायी स्थापन ढांचा हैं, जो सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं से संबंधित विवादों के निपटारे के लिए अनिवार्य मुकदमेबाजी पूर्व तंत्र का उपबंध करती हैं।

राष्ट्रीय और राज्य लोक अदालतें स्थायी स्थापन नहीं हैं और ये संबंधित न्यायालयों द्वारा इसे भेजे गए लंबित मामलों पर ही कार्यवाही करती हैं। चूंकि ये लोक अदालतें स्थायी प्रकृति की नहीं हैं, इसलिए सभी निपटाए न गए मामले संबंधित न्यायालयों को वापस कर दिए जाते हैं और इसलिए ये लोक अदालतों में लंबित नहीं रहते। पिछले तीन वर्ष, (जिनमें चालू वर्ष भी है), के दौरान लोक अदालतों द्वारा निपटाए गए मामलों की संख्या के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

(i) राष्ट्रीय लोक अदालत

वर्ष	निपटाए गए कुल मामले (मुकदमे-पूर्व और लंबित मामले दोनों)
2022	4,19,26,010
2023	8,53,42,217
2024	10,45,26,119

(ii) राज्य लोक अदालत

वर्ष	निपटाए गए कुल मामले (मुकदमे-पूर्व और लंबित मामले दोनों)
2022-23	8,51,309
2023-24	12,07,103
2024-25	12,08,227

(iii) स्थायी लोक अदालत (सार्वजनिकउपयोगितासेवाएं)

वर्ष	कुल निपटाए गए मामले
2022-23	1,71,138
2023-24	2,32,763
2024-25 (24 दिसम्बर तक)	1,61,277

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3148
जिसका उत्तर गुरुवार, 27 मार्च, 2025 को दिया जाना है

पंजाब में ग्राम न्यायालय

3148 डा. विक्रमजीत सिंह साहनी :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में कितने ग्राम न्यायालय अधिसूचित और स्थापित किए गए हैं तथा उनमें से कितने ग्राम न्यायालय वर्तमान में कार्यशील हैं, तत्संबंधी स्थान-वार ब्यौरा क्या है ;

(ख) पंजाब में प्रत्येक कार्यशील ग्राम न्यायालय में दायर किए गए और वर्तमान में लंबित मामलों की कुल संख्या कितनी है ;

(ग) सरकार द्वारा ग्राम न्यायालयों में लंबित मामलों के निपटान में तेजी लाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ;

(घ) क्या पंजाब में अन्य स्थानों पर अतिरिक्त ग्राम न्यायालय स्थापित करने की कोई योजना है ; और

(ङ) यदि हां, तो प्रस्तावित स्थानों का ब्यौरा क्या है तथा उनकी स्थापना की समय-सीमा क्या है?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (ङ) : पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, पंजाब राज्य में 09 ग्राम न्यायालय अधिसूचित किए गए हैं, जिनमें से 02 कार्यरत हैं।

पंजाब के संबंध में ग्राम न्यायालयों और कार्यरत ग्राम न्यायालयों में फाइल एवं लंबित मामलों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	जिलों	तालुक	अधिसूचना की तारीख	परिचालन की तारीख	संस्थित / जिले के ग्राम-न्यायालय में अंतरण से प्राप्त मामलों की संख्या *	निपटाए गए / ग्राम-न्यायालय में स्थानांतरित मामलों की संख्या	28.02.2025 तक लंबित मामलों की संख्या
1	मोगा	कोट-इसे-खान	1/9/2013	11/8/2013	909	886	23
2	रूपनगर	नांगल	1/9/2013	4/2/2018	1277	1234	43
3	रूपनगर	चमकौर साहिब	18/09/2020				
4	बरनाला	तप	18/09/2020				
5	फतेहगढ़ साहिब	बस्सी पठाणा	18/09/2020				
6	गुरदासपुर	डेरा बाबा नानक	18/09/2020				
7	लुधियाना	रायकोट	18/09/2020				
8	पटियाला	पत्तरन	18/09/2020				
9	पठानकोट	धारकलां	12/14/2020				
			कुल		2186	2120	66

**आरबीटी (अंतरण द्वारा प्राप्त)*

पंजाब राज्य में ग्राम न्यायालयों द्वारा लंबित मामलों के प्रभावी निपटान मोगा जिले में 97.47% तथा रूपनगर जिले में 96.63% मामलों की निपटान दर (सीआरआर) द्वारा स्पष्ट किया गया है।

ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 की धारा 3(1) के अनुसार, "*राज्य सरकार, इस अधिनियम द्वारा ग्राम न्यायालय को प्रदत्त अधिकारिता और शक्तियों का प्रयोग करने के प्रयोजन के लिए, उच्च न्यायालय के परामर्श के पश्चात, अधिसूचना द्वारा, किसी जिले में मध्यवर्ती* ***स्तर*** *पर प्रत्येक पंचायत या मध्यवर्ती स्तर पर निकटवर्ती पंचायतों के समूह के लिए या जहां किसी राज्य में मध्यवर्ती स्तर पर कोई पंचायत नहीं है, वहां निकटवर्ती ग्राम पंचायतों के समूह के लिए एक या एक से अधिक ग्राम न्यायालय स्थापित कर सकेगी* "। ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 के अनुसार, राज्य सरकारें अपने-अपने उच्च न्यायालयों के परामर्श से ग्राम न्यायालयों की स्थापना के संबंध में निर्णय लेती हैं। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, पंजाब में अन्य स्थानों पर अतिरिक्त ग्राम न्यायालयों की स्थापना पर सक्रियता से विचार किया जा रहा है।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3151
जिसका उत्तर गुरुवार, 27 मार्च, 2025 को दिया जाना है

उच्च न्यायालयों में रिक्त पद

3151 श्री देरेक ओब्राईन :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रिक्त पदों की कुल संख्या कितनी है ;

(ख) क्या सरकार को प्रत्येक रिक्त पद को भरने के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय से सिफारिशें प्राप्त हुई हैं ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(घ) पिछले दो वर्षों में सरकार द्वारा नियुक्तियों के लिए प्राप्त की गईं लंबित सिफारिशों की संख्या कितनी है ;

(ङ) सरकार द्वारा पिछले दो वर्षों में भारत के उच्चतम न्यायालय को लौटाई गई सिफारिशों की संख्या क्या है ; और

(च) ऐसी सिफारिशें लौटाने के कारण क्या हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (च) : 24.03.2025 के अनुसार, 1122 न्यायाधीशों की स्वीकृत पद संख्या के प्रति, 765 न्यायाधीश कार्यरत हैं और विभिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के 357 पद रिक्त हैं। इन रिक्तियों के प्रति उच्च न्यायालय न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए 168 प्रस्ताव, सरकार और उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम के बीच कार्रवाई के विभिन्न चरणों में हैं। 189 रिक्तियों के लिए सिफारिशें अभी तक उच्च न्यायालय कॉलेजियम से प्राप्त नहीं हुई हैं।

उच्चतम न्यायालय के तारीख 28 अक्तूबर, 1998 (तृतीय न्यायाधीश मामले) की उनकी सलाहकारी राय के साथ पठित 6 अक्तूबर, 1993 के उच्चतम न्यायालय के निर्णय (द्वितीय न्यायाधीश मामला) के अनुसरण में वर्ष 1998 में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसरण में उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 और अनुच्छेद 224 के अधीन और तैयार किए गए प्रक्रिया ज्ञापन (एमओपी) में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार की जाती है । एमओपी के अनुसार, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रस्तावों को आरंभ करने के लिए भारत के मुख्य न्यायमूर्ति में निहित होता है, जबकि उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रस्तावों को आरंभ

करने का उत्तरदायित्व उच्च न्यायालय के दो ज्येष्ठतम अवर न्यायाधीशों के परामर्श से संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूत में निहित होता है। एमओपी के अनुसार, उच्च न्यायालयों को रिक्ति होने से कम से कम 06 महीने पहले सिफारिशें करना आवश्यक है। तथापि, यह समय सीमा शायद ही कभी देखी जाती है। उच्च न्यायालयों में नियुक्तियों के लिए, संबंधित राज्य सरकारों के विचार एमओपी के अनुसार प्राप्त किए जाते हैं। विचाराधीन नामों के संबंध में सरकार को उपलब्ध अन्य रिपोर्टों के आलोक में भी सिफारिशों पर विचार किया जाना होता है। उच्च न्यायालय कॉलेजियम, राज्य सरकारों और भारत सरकार की सिफारिशों को तब सलाह के लिए उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम (एससीसी) को अग्रेषित किया जाता है।

उच्चतर न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच एक सतत, एकीकृत और सहयोगात्मक प्रक्रिया है। इसके लिए राज्य और केन्द्र दोनों स्तरों पर विभिन्न संवैधानिक प्राधिकरणों से परामर्श और अनुमोदन अपेक्षित है। केवल उन्हीं व्यक्तियों को उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाता है जिनके नामों की सिफारिश राज्य स्तरीय समिति द्वारा की गई है।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
राज्य सभा
तारांकित प्रश्न सं. *352
जिसका उत्तर गुरुवार, 03 अप्रैल, 2025 को दिया जाना है

ग्राम न्यायालय

***352 श्री ईरण्ण कडाडी :**

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी 2022 से ग्राम न्यायालयों को आवंटित और संवितरित धनराशि का अलग-अलग विस्तृत ब्यौरा क्या है ;

(ख) ग्राम न्यायालयों द्वारा निपटाए गए मामलों की कुल संख्या का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा जनवरी 2022 से ग्राम न्यायालयों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं या किए जाने का प्रस्ताव है ;

(घ) सरकार द्वारा जनवरी 2022 से ग्राम न्यायालयों की दक्षता को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है ; और

(ङ) क्या सरकार अगले तीन वर्षों में ग्राम न्यायालयों की कुल संख्या को बढ़ाने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (ड.) : एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

<u>"ग्राम न्यायालय" के संबंध में पूछे गए राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या *352, जिसका उत्तर तारीख 03-04-2025 को दिया जाना है, के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।</u>

(क) से (ङ) : ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 की धारा 3(1) में यह उपबंध है कि राज्य सरकारें अपने-अपने उच्च न्यायालयों से परामर्श के पश्चात् अधिसूचना द्वारा किसी जिले में मध्यवर्ती स्तर पर प्रत्येक पंचायत या समीपवर्ती पंचायतों के समूह के लिए या जहां किसी राज्य में मध्यवर्ती स्तर पर कोई पंचायत नहीं है, वहां समीपवर्ती ग्राम पंचायतों के समूह के लिए एक या अधिक ग्राम न्यायालय स्थापित कर सकेंगी । तथापि, अधिनियम में ग्राम न्यायालयों की स्थापना को आज्ञापक नहीं बनाया गया है ।

अब तक ग्राम न्यायालयों को आबंटित और वितरित निधियों का विवरण निम्नानुसार है: -

(करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	वित्तीय वर्ष	आबंटित निधि	जारी निधि
1	2022-2023	10.00	0.00
2	2023-2024	10.00	0.80
3	2024-2025	10.00	10.00

आज तक निपटाए गए मामलों का राज्यवार ब्यौरा निम्नानुसार है: -

क्र. सं.	राज्य का नाम	निपटाए गए मामले (सिविल)	निपटाए गए मामले (दांडिक)	कुल निपटाए गए मामले (सिविल + दांडिक)
1	हरियाणा	516	738	1254
2	झारखंड	0	38	38
3	कर्नाटक	75	33	108
4	केरल	556	57219	57775
5	मध्य प्रदेश	482	22635	23117
6	महाराष्ट्र	156	9084	9240
7	ओडिशा	45	1560	1605
8	पंजाब	1056	308	1364
9	राजस्थान	3306	90661	93967
10	उत्तर प्रदेश	25983	128826	154809
कुल		**32175**	**311102**	**343277**

स्रोत: ग्राम न्यायालय पोर्टल ।

राज्यों को प्रोत्साहित करने के लिए ग्राम न्यायालयों की स्थापना के लिए आवर्ती और गैर-आवर्ती व्यय के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है । एकमुश्त सहायता के लिए, 18 लाख रुपये का गैर-आवर्ती व्यय तभी जारी किया जाता है जब ग्राम न्यायालयों को अधिसूचित कर दिया जाता है और साथ ही न्यायाधिकारियों की नियुक्ति के साथ-साथ उन्हें प्रारंभ भी कर दिया जाता है और न्याय विभाग के ग्राम न्यायालय पोर्टल पर इसकी सम्यक् रूप से रिपोर्ट कर दी जाती है । ग्राम न्यायालय के संचालन के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 3.2 लाख रुपये के व्यय की राशि राज्यों को ग्राम न्यायालयों के संचालन के पहले तीन पूर्ण वर्षों के लिए जारी की जाती है। स्कीम के प्रारंभ से लेकर अब तक 93.40 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी है।

7 अप्रैल, 2013 को उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों और राज्यों के मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में यह विनिश्चय किया गया था, कि राज्य सरकार और उच्च न्यायालय स्थानीय मुद्दों और स्थितियों को ध्यान में रखते हुए जहां भी संभव हो, ग्राम न्यायालय स्थापित करने का विनिश्चय करें, क्योंकि यह एक स्वैच्छिक स्कीम है । केंद्रीय सरकार नियमित आधार पर पहले से अधिसूचित ग्राम न्यायालयों को प्रारंभ करने के लिए बैठकों के माध्यम से राज्यों से आग्रह करती रही है। अब तक 15 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में 488 ग्राम न्यायालय अधिसूचित किए गए हैं , जिनमें से वर्तमान में 11 राज्यों में 326 ग्राम न्यायालय क्रियाशील हैं। इसके अतिरिक्त, आबंटित निधि, लंबित मामलों, देश में अधिसूचित ग्राम न्यायालयों और उनके प्रचालन के संबंध में वर्तमान ब्यौरा दर्शाने वाला ग्राम न्यायालय पोर्टल विकसित कर लिया गया है और यह पब्लिक डोमेन पर उपलब्ध है ।

न्यायालयों की संख्या 395 (वित्त वर्ष 2019-20) से बढ़कर 488 (वित्त वर्ष 2024-25) हो गई है, जबकि परिचालित ग्राम न्यायालयों की संख्या 221 (वित्त वर्ष 2019-20) से बढ़कर 326 (वित्त वर्ष 2024-25) हो गई है।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
राज्य सभा
तारांकित प्रश्न सं. *354
जिसका उत्तर गुरुवार, 03 अप्रैल, 2025 को दिया जाना है

विधिक सहायता बचाव परामर्श प्रणाली

***354 श्री रायगा कृष्णैया :**

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कार्यरत विधिक सहायता बचाव परामर्श प्रणाली (एलएडीसीएस) कार्यालयों की संख्या का राज्य-वार और आंध्र प्रदेश के लिए जिला-वार ब्यौरा क्या है ;

(ख) पिछले तीन वर्षों में एलएडीसीएस के माध्यम से विचारित और सुलझाए गए मामलों की कुल संख्या का राज्य-वार और आंध्र प्रदेश के लिए जिला-वार ब्यौरा क्या है ;

(ग) एलएडीसीएस के तहत शामिल किए गए स्टाफ/बचाव (डिफेंस) परामर्शदाताओं की कुल संख्या का राज्य-वार और आंध्र प्रदेश के लिए जिला-वार ब्यौरा क्या है ; और

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान एलएडीसीएस के तहत संवितरित की गई निधि का राज्य-वार और आंध्र प्रदेश के लिए जिला-वार ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (घ) : एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

******

विधिक सहायता बचाव परामर्श प्रणाली के संबंध में राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या *354, जिसका उत्तर तारीख 03.04.2025 को दिया जाना है, के भाग (क) से (घ) उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।

(क) से (ग) : भारत सरकार राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) के तत्वावधान में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों (एसएलएसए) और जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों (डीएलएसए) के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2023-24 से विधिक सहायता बचाव परामर्शदाता प्रणाली (एलएडीसीएस) नामक एक केंद्रीय सेक्टर स्कीम कार्यान्वित कर रही है। विधिक सेवा प्राधिकरण (एलएसए) अधिनियम, 1987 की धारा 12 के अधीन वर्णित पात्रता मानदंडों के अनुसार केवल लाभार्थियों को आपराधिक मामलों के संबंध में विधिक सहायता प्रदान की जाती है।

31 दिसंबर, 2024 तक, देश भर के 654 ज़िलों में एलएडीसीएस कार्यालय कार्यरत हैं, जिसमें 3448 बचाव परामर्शदाताओं सहित 5251 कर्मचारी कार्यरत हैं। कार्यात्मक एलएडीसीएस कार्यालयों और उनके कर्मचारियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार (आंध्र प्रदेश सहित) ब्यौरा उपाबंध-क में दिया गया है। आंध्र प्रदेश के 13 एलएडीसीएस कार्यालयों में लगे हुए बचाव परामर्शदाताओं/कर्मचारियों के संबंध में जिला-वार ब्यौरा निम्नानुसार है

क्र.सं.	**डीएलएसए का नाम**	**कार्यरत बचाव परामर्शदाता/कर्मचारी**
1	अनंतपुरम	12
2	चित्तूर	3
3	पूर्वी गोदावरी	4
4	गुंटूर	11
5	कडपा	6
6	कृष्णा	6
7	कुरनूल	5
8	नेल्लोर	3
9	प्रकाशम	6
10	श्रीकाकुलम	6
11	विशाखापट्टनम	3
12	विजयनगरम	6
13	पश्चिमी गोदावरी	6
	कुल	**77**

वित्तीय वर्ष 2023-24 से 2024-25 (दिसंबर 2024 तक) तक एलएडीसीएस के माध्यम से उठाए गए और निपटाए गए मामलों की संख्या का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार (आंध्र प्रदेश सहित) ब्यौरा **उपाबंध-ख** में दिया गया है । आंध्र प्रदेश के लिए जिलेवार विवरण निम्नानुसार है :

क्र.सं.	**डीएलएसए का नाम**	**2023-24**		**2024-25**	
		उठाए गए मामलों की संख्या	**निपटाए गए मामलों की संख्या**	**उठाए गए मामलों की संख्या**	**निपटाए गए मामलों की संख्या**
1	अनंतपुरम	175	140	206	149
2	चित्तूर	214	83	210	131
3	पूर्वी गोदावरी	338	257	376	284
4	गुंटूर	258	159	332	106
5	कडपा	118	67	128	55
6	कृष्णा	191	88	156	114
7	कुरनूल	233	179	233	79
8	नेल्लोर	105	74	135	86
9	प्रकाशम	209	82	217	41
10	श्रीकाकुलम	28	18	27	8
11	विशाखापट्टनम	126	126	141	106
12	विजयनगरम	85	22	90	34
13	पश्चिमी गोदावरी	183	93	221	119
कुल		**2263**	**1388**	**2472**	**1312**

(घ) : सरकार द्वारा नालसा को अनुदान एलएसए अधिनियम, 1987 की धारा 14 के अधीन यथा निर्धारित वार्षिक आधार पर जारी किए जाते हैं। देश भर में विधिक सहायता गतिविधियों (एलएडीसीएस सहित) के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 और 2024-25 के लिए नालसा को 200 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई। इसके अलावा, एलएडीसीएस स्कीम के कार्यान्वयन के लिए, वर्ष 2023-24 और 2024-25 के दौरान नालसा को क्रमशः 200 करोड़ रुपये और 147.925 करोड़ रुपये जारी किए गए। वित्तीय वर्ष 2023-24 और 2024-25 के दौरान एलएडीसीएस स्कीम के अधीन आवंटित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार (आंध्र प्रदेश सहित) निधि **उपाबंध-ग** में है । आंध्र प्रदेश के लिए जिलेवार ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

क्र.सं.	डीएलएसए का नाम	वित्तीय वर्ष 2023-24 में एलएडीसीएस निधि के लिए वितरित निधि	वित्तीय वर्ष 2024-2025 में एलएडीसीएस निधि के लिए वितरित निधि
1	अनंतपुरम	49,61,695	36,00,000
2	चित्तूर	33,60,000	12,29,000
3	पूर्वी गोदावरी	34,20,000	21,21,000
4	गुंटूर	34,20,000	18,21,000
5	कडपा	7,20,000	23,50,000
6	कृष्णा	33,60,000	20,21,000
7	कुरनूल	34,20,000	18,52,713
8	नेल्लोर	34,20,000	18,49,000
9	प्रकाशम	30,00,000	18,21,000
10	श्रीकाकुलम	30,00,000	11,33,000
11	विशाखापट्टनम	44,80,000	19,73,000
12	विजयनगरम	30,00,000	20,21,000
13	पश्चिमी गोदावरी	34,20,000	17,52,000
	कुल	**4,29,81,695**	**2,55,43,713**

यद्यपि, नालसा द्वारा एसएलएसए, आंध्र प्रदेश को वित्तीय वर्ष 2023-24 और 2024-25 के दौरान एलएडीसीएस स्कीम के अधीन क्रमशः 4.00 करोड़ रुपये और 2.01 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, लेकिन एसएलएसए, आंध्र प्रदेश द्वारा विभिन्न डीएलएसए को जिलावार निधि वितरण अधिक है क्योंकि पिछले वर्ष की राष्ट्रीय विधिक सहायता निधि (अन्य विधिक सेवा गतिविधि के लिए) की अप्रयुक्त निधियों को भी एलएडीसीएस स्कीम से संबंधित व्यय के लिए वितरित/उपयोग किया गया है।

****

उपाबंध-क

विधिक सहायता बचाव परामर्श प्रणाली के संबंध में राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या 354, जिसका उत्तर तारीख 03.04.2025 को दिया जाना है, के भाग (क) से (ग) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।

31.12.2024 तक विभिन्न कार्यरत एलएडीसीएस कार्यालयों और एलएडीसीएस कार्यालयों में बचाव परामर्शदाताओं/कर्मचारियों की जानकारी वाला विवरण ।

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र प्राधिकरण का नाम	एलएडीसी कार्यात्मक कार्यालय	बचाव पक्ष के परामर्शदाता	अन्य कर्मचारी	कुल बचाव पक्ष के परामर्शदाता/ कर्मचारी
1	अंदमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0
2	**आंध्र प्रदेश**	**13**	**50**	**27**	**77**
3	अरुणाचल प्रदेश	21	36	30	66
4	असम	33	330	228	558
5	बिहार	37	143	0	143
6	चंडीगढ़	1	8	4	12
7	छत्तीसगढ़	23	101	65	166
8	दादरा और नागर हवेली	1	1	2	3
	दमण और दीव	1	2	4	6
9	दिल्ली	7	67	37	104
10	गोवा	2	18	14	32
11	गुजरात	34	313	66	379
12	हरियाणा	18	96	23	119
13	हिमाचल प्रदेश	11	52	33	85
14	जम्मू-कश्मीर	20	47	0	47
15	झारखंड	24	130	48	178
16	कर्नाटक	30	92	83	175
17	केरल	14	96	43	139
18	लद्दाख	2	4	0	4
19	लक्षद्वीप	0	0	0	0
20	मध्य प्रदेश	50	266	0	266
21	महाराष्ट्र	33	234	145	379
22	मणिपुर	4	18	14	32
23	मेघालय	11	88	72	160
24	मिजोरम	4	36	27	63
25	नागालैंड	5	15	15	30
26	ओडिशा	25	93	0	93
27	पुडुचेरी	2	7	0	7
28	पंजाब	22	119	106	225
29	राजस्थान	36	221	217	438
30	सिक्किम	2	20	14	34
31	तमिलनाडु	30	132	111	243
32	तेलंगाना	33	148	186	334
33	त्रिपुरा	8	71	51	122
34	उत्तर प्रदेश	74	303	85	388
35	उत्तराखंड	13	35	49	84
36	पश्चिमी बंगाल	10	56	4	60
	कुल	**654**	**3448**	**1803**	**5251**

उपाबंध-ख

विधिक सहायता बचाव परामर्श प्रणाली के संबंध में राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या 354, जिसका उत्तर तारीख 03.04.2025 को दिया जाना है, के भाग (क) से (ग) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।

वित्तीय वर्ष 2023-24 और 2024-25 के दौरान एलएडीसीएस द्वारा उठाए गए और निपटाए गए मामलों की जानकारी वाला विवरण।					
क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्यक्षेत्र प्राधिकरण का नाम**	**2023-24**		**2024-25**	
		सुपुर्द किए गए मामले	**निपटाए गए मामले**	**सुपुर्द किए गए मामले**	**निपटाए गए मामले**
1	अंदमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0
2	**आंध्र प्रदेश**	**2263**	**1388**	**2472**	**1312**
3	अरुणाचल प्रदेश	713	314	1586	603
4	असम	19302	13478	25690	16882
5	बिहार	11311	7617	46181	34751
6	चंडीगढ़	1123	608	1675	1351
7	छत्तीसगढ़	13171	8821	13676	8472
8	दादरा और नागर हवेली	4	3	14	8
	दमण और दीव	129	102	454	431
9	दिल्ली	3816	1448	18367	10368
10	गोवा	287	203	356	261
11	गुजरात	12445	8152	13065	8738
12	हरियाणा	21834	16015	21315	14427
13	हिमाचल प्रदेश	5859	4353	3456	3088
14	जम्मू-कश्मीर	5465	4364	9248	7348
15	झारखंड	28049	22168	28232	23144
16	कर्नाटक	7148	4148	6317	4317
17	केरल	12096	7179	11698	7723
18	लद्दाख	75	51	148	56
19	लक्षद्वीप	0	0	0	0
20	मध्य प्रदेश	17745	9979	21603	14575
21	महाराष्ट्र	28879	18079	20702	14152
22	मणिपुर	508	252	504	261
23	मेघालय	1028	376	1803	214
24	मिजोरम	2251	1725	2296	1180
25	नागालैंड	208	69	376	141
26	ओडिशा	11569	7545	11051	7924
27	पुडुचेरी	105	54	344	94
28	पंजाब	24680	12021	29561	17502
29	राजस्थान	8853	5894	8520	6204
30	सिक्किम	188	66	174	108
31	तमिलनाडु	14041	10155	16277	13260
32	तेलंगाना	6274	3190	7173	4232
33	त्रिपुरा	4559	1886	6878	4108
34	उत्तर प्रदेश	33823	15372	38671	20647
35	उत्तराखंड	3146	1543	3328	2067
36	पश्चिमी बंगाल	32054	22646	22228	16907
	कुल	**335001**	**211264**	**395439**	**266856**

उपाबंध-ग

विधिक सहायता बचाव परामर्श प्रणाली के संबंध में राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या 354, जिसका उत्तर तारीख 03.04.2025 को दिया जाना है, के भाग (घ) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।

वित्तीय वर्ष 2023-24 और 2024-25 के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधिक सेवा प्राधिकरणों को एलएडीसीएस स्कीम के अधीन निधियों के आवंटन की जानकारी वाला विवरण।

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र प्राधिकरण का नाम	निधि का आवंटन (रु में)		कुल आवंटन (रु. में)
		2023-24	2024-25	
1	अंदमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	0
2	**आंध्र प्रदेश**	**40000000**	**20100000**	**60100000**
3	अरुणाचल प्रदेश	50000000	7500000	57500000
4	असम	125000000	122000000	247000000
5	बिहार	65000000	44000000	109000000
6	चंडीगढ़	10000000	2500000	12500000
7	छत्तीसगढ़	80000000	65600000	145600000
8	दादरा और नागर हवेली	250000	700000	950000
9	दमण और दीव	1250000	1650000	2900000
10	दिल्ली	50000000	20000000	70000000
11	गोवा	3500000	6800000	10300000
12	गुजरात	95000000	100000000	195000000
13	हरियाणा	60000000	43300000	103300000
14	हिमाचल प्रदेश	35000000	58500000	93500000
15	जम्मू-कश्मीर	40000000	18500000	58500000
16	झारखंड	90000000	60100000	150100000
17	कर्नाटक	90000000	74000000	164000000
18	केरल	90000000	35000000	125000000
19	लद्दाख	2000000	4000000	6000000
20	लक्षद्वीप	0	0	0
21	मध्य प्रदेश	150000000	100500000	250500000
22	महाराष्ट्र	150000000	172100000	322100000
23	मणिपुर	20000000	5000000	25000000
24	मेघालय	20000000	13100000	33100000
25	मिजोरम	20000000	5300000	25300000
26	नागालैंड	15000000	7000000	22000000
27	ओडिशा	45000000	33600000	78600000
28	पुडुचेरी	500000	2000000	2500000
29	पंजाब	107500000	44000000	151500000
30	राजस्थान	67500000	57000000	124500000
31	सिक्किम	10000000	5300000	15300000
32	तमिलनाडु	100000000	100000000	200000000
33	तेलंगाना	80000000	73100000	153100000
34	त्रिपुरा	30000000	21500000	51500000
35	उत्तर प्रदेश	185000000	105000000	290000000
36	उत्तराखंड	10000000	27000000	37000000
37	पश्चिमी बंगाल	62500000	23500000	86000000
	कुल	**2000000000**	**1479250000**	**3479250000**

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3782
जिसका उत्तर गुरुवार, 03 अप्रैल, 2025 को दिया जाना है

त्वरित न्यायालयों में लंबित मामले

3782 श्री मदन राठौड़ :

डा. अनिल सुखदेवराव बोंडे :

श्रीमती रेखा शर्मा :

श्री लहर सिंह सिरोया :

श्री नारायण कोरागप्पा :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश भर में त्वरित न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या कितनी है ;

(ख) क्या न्याय प्रदान करने में त्वरितता लाने के लिए और अधिक त्वरित न्यायालय स्थापित करने की कोई योजना है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) त्वरित न्यायालयों के प्रभावी कार्यकरण के लिए पर्याप्त कर्मचारीवृंद और संसाधन सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (घ) : देश भर में त्वरित न्याय प्रदान करने के लिए अधीनस्थ न्यायालयों की स्थापना, जिसके अंतर्गत त्वरित निपटान न्यायालय (एफटीसी) भी हैं, राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकारों के कार्यक्षेत्र में आते हैं, जो उनके संबद्ध उच्च न्यायालयों के परामर्श से अपनी आवश्यकता और संसाधनों के अनुसार ऐसे न्यायालयों की स्थापना करते हैं। भारत सरकार द्वारा स्थापित किए गए 14वें वित्त आयोग ने 2015-2020 के दौरान जघन्य प्रकृति के विनिर्दिष्ट मामलों, महिलाओं, बालकों, वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों, मरणांत रोगों से संक्रमित व्यक्तियों, आदि से संबंधित सिविल मामले तथा संपत्तियों से संबंधित मामले, जो पांच वर्ष से अधिक समय से लंबित हैं, के त्वरित निपटान के लिए 1,800 एफटीसी स्थापित करने की सिफारिश की थी। वित्त आयोग ने राज्य सरकार को इस प्रयोजन के लिए कर न्यागमन के माध्यम से उपलब्ध वर्धित राजकोषीय स्थान का उपयोग करने के लिए अनुरोध किया है। संघ सरकार ने भी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकारों को वित्तीय वर्ष 2015-16 से अग्रसर होते हुए एफटीसी की स्थापना के लिए निधि आबंटित करने के लिए अनुरोध किया है। उच्च न्यायालयों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, 28.02.2025 की स्थिति के अनुसार, देश भर में 857 एफटीसी कार्यात्मक हैं, जिनके समक्ष 14,92,586 मामले लंबित हैं।

फरवरी, 2025 तक राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कार्यात्मक एफटीसी के साथ उनमें लंबित मामलों के ब्यौरे उपाबंध पर हैं। संघ सरकार ने 2015-16 से लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, और अधिक एफटीसी स्थापित करने के लिए बार-बार राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकारों का अनुरोध किया है। और अधिक एफटीसी स्थापित करना, मुख्यमंत्रियों और मुख्य न्यायाधीशों के संयुक्त सम्मेलन की कार्यसूची में भी एक मद के रूप में प्रस्तुत हुआ है । त्वरित निपटान न्यायालयों की स्थापना करने के लिए कोई केंद्रीय सहायता प्रदान नहीं की जा रही है।

और, दंड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2018 तथा माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश [स्वतः संज्ञान याचिका(दंड) सं. 1/2019], के अनुसरण में केंद्रीय सरकार, अक्तूबर, 2019 से बलात्संग और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम से संबंधित लंबित मामलों का समयबद्ध रीति में त्वरित विचारण और निपटान करने के लिए त्वरित निपटान विशेष न्यायालय (एफटीएससी) जिसके अंतर्गत अनन्य रूप से पोक्सो (ई-पोक्सो) भी है, को स्थापित करने के लिए एक केंद्रीय प्रायोजित स्कीम कार्यान्वित कर रही है। स्कीम दो बार विस्तारित की जा चुकी है, नवीनतम विस्तार 31.03.2026 तक हुआ है, जिसके अंतर्गत 790 न्यायालयों की स्थापना का लक्ष्य है। स्कीम का वित्तीय परिव्यय 1952.23 करोड़ रुपए है, जिसमें 1207.24 करोड़ रुपए केंद्रीय हिस्से के रूप में सीएसएस पैटर्न पर निर्भया निधि से उपगत किए जाएंगे। उच्च न्यायालयों से प्राप्त सूचना के अनुसार, 28.02.2025 की स्थिति के अनुसार, 30 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में 745 एफटीएससी, जिसके अंतर्गत अनन्य रूप से 404 पोक्सो (ई-पोक्सो) न्यायालय कार्यात्मक हैं। इन न्यायालयों ने स्कीम के शुरूआत से 3,13,000 से अधिक मामलों का निपटान किया है जबकि 2,03,000 से अधिक मामले लंबित हैं।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 233 और 234 के अनुसार, जिला तथा अधीनस्थ न्यायालयों में नियुक्तियां राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों की अधिकारिता के अधीन आती हैं। भर्ती प्रक्रिया राज्य सरकारों द्वारा उच्च न्यायालयों के परामर्श से विरचित नियमों द्वारा शासित होती है। केंद्रीय सरकार की, जिला/अधीनस्थ न्यायपालिका स्तर, जिसके अंतर्गत त्वरित निपटान न्यायालय (एफटीसी) भी हैं, में न्यायिक अधिकारियों के चयन, भर्ती और नियुक्ति में कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं है। एफटीसी में न्यायधीशों की रिक्तियों और अन्य प्रवर्गों के अधिकारियों के ब्यौरे केंद्रीय स्तर पर अनुरक्षित नहीं किए जाते हैं।

****

उपाबंध

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कार्यात्मक त्वरित निपटान न्यायालयों की लंबित मामलों की संख्या के साथ प्रास्थिति

(28/02/2025 तक)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र के नाम	कार्यात्मक एफटीसीएस	लंबित मामलों की संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	21	7020
2.	अंदमान और निकोबार द्वीप	0	0
3.	अरूणाचल प्रदेश	0	0
4.	असम	16	12699
5.	बिहार	0	0
6.	चंडीगढ़	0	0
7.	छत्तीसगढ़	25	4635
8.	दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव	0	0
9.	दिल्ली	26	6753
10.	गोवा	4	1708
11.	गुजरात	54	5693
12.	हरियाणा	6	760
13.	हिमाचल प्रदेश	3	356
14.	जम्मू-कश्मीर	8	1461
15.	झारखंड	40	8224
16.	कर्नाटक	0	0
17.	केरल	0	0
18.	लद्दाख	0	0
19.	लक्षद्वीप	0	0
20.	मध्य प्रदेश	0	0
21.	महाराष्ट्र	99	176064
22.	मणिपुर	6	213
23.	मेघालय	0	0
24.	मिजोरम	2	255

25.	नागालैंड	0	0
26.	ओडिशा	0	0
27.	पुदुचेरी	1	3261
28.	पंजाब	4	143
29.	राजस्थान	0	0
30.	सिक्किम	2	16
31.	तमिलनाडु	72	79410
32.	तेलंगाना	0	0
33.	त्रिपुरा	3	1350
34.	उत्तर प्रदेश	373	1096377
35.	उत्तराखंड	4	1117
36.	पश्चिमी बंगाल	88	85071
	कुल	**857**	**1492586**

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3783
जिसका उत्तर गुरुवार, 03 अप्रैल, 2025 को दिया जाना है

न्यायपालिका में स्थानीय भाषाओं का उपयोग

3783 डा. फौजिया खान :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(क) उच्चतम न्यायालय के निर्णयों का स्थानीय भाषाओं में अनुवाद करने हेतु एआई समर्थित विधिक अनुवाद सलाहकार समिति द्वारा किए जा रहे प्रयासों की स्थिति क्या है और अब तक कितने निर्णयों का अनुवाद किया जा चुका है ;
(ख) विधिक शब्दावली में सुसंगतता सुनिश्चित करते हुए उच्च न्यायालयों में इन अनुवादों की सटीकता को मानकीकृत और सत्यापित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ; और
(ग) मंत्रालय की उच्च न्यायालय की कार्यवाही में, विशेष रूप से उन राज्यों में जहां पहले इस तरह के अनुरोधों को अस्वीकार कर दिया गया है, क्षेत्रीय भाषाओं का उपयोग बढ़ाने के लिए क्या रूपरेखा है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) और (ख) : उच्चतम न्यायालय 18 जनभाषाओं में ई-एससीआर निर्णयों के अनुवाद में उच्च न्यायालयों के साथ सहयोग कर रहा है । भारत के मुख्य न्यायमूर्ति ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहायता प्राप्त विधिक अनुवाद सलाहकार समिति गठित की है जिसकी अध्यक्षता जनभाषाओं में उच्चतम न्यायालय रिपोर्ट योग्य निर्णय (ई-एससीआर) के अनुवाद को मानीटर करने के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा की जाती है । एक वैसी ही समिति संबंधित उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश की अध्यक्षता में सभी उच्च न्यायालयों में गठित की गई है ।

उच्चतम न्यायालय की कृत्रिम बुद्धिमत्ता समिति उच्च न्यायालयों की कृत्रिम बुद्धिमत्ता समिति के साथ बारम्बार बैठकें आयोजित कर रही है और कृत्रिम बुद्धिमत्ता साधनों का प्रयोग करके जनभाषाओं में उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के निर्णयों के अनुवाद के लिए निदेश/सुझाव दे रही है । उच्च न्यायालयों की कृत्रिम बुद्धिमत्ता समिति, विधि सचिव, महाधिवक्ता, राज्य में अनुवाद विभाग के भारसाधक सचिव से अनुरोध किया गया है कि वे राज्य की जनभाषा/स्थानीय भाषा में उच्चतम न्यायालय के रिपोर्ट योग्य निर्णयों (ई-एससीआर) के अनुवाद के लिए प्रत्येक उच्च न्यायालय में अनुवादकों की नियुक्ति के लिए कदम उठाए ।

तारीख 28.03.2025 तक, 36344 उच्चतम न्यायालय निर्णयों का हिन्दी भाषा में अनुवाद किया गया है और 47439 उच्चतम न्यायालय निर्णयों का अन्य जनभाषाओं में अनुवाद किया गया है और उच्च न्यायालयों की सहायता से ई-एससीआर पोर्टल पर अपलोउ किया गया है (उपाबंध-2) ।

(ग) : भारत के संविधान का अनुच्छेद 348(1) (क) में यह उल्लेख किया गया है कि इन न्यायालयों में सभी कार्यवाहियां अंग्रेजी भाषा में होंगी । तथापि, भारत के संविधान का अनुच्छेद 348 का उप

अनुच्छेद (2) यह उपबंध करता है कि किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से, उस उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों में, जिसका मुख्य स्थान उस राज्य में है, हिंदी भाषा का या उस राज्य के किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाली किसी अन्य भाषा का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा । इसके अतिरिक्त, राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 7 यह कथन करती है कि किसी राज्य का राज्यपाल, राष्ट्रपति की पूर्व सम्मति से, अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त, हिंदी या उस राज्य की राजभाषा का प्रयोग, उस राज्य के उच्च न्यायालय द्वारा पारित या दिए गए किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के प्रयोजन के लिए प्राधिकृत कर सकेगा और जहां कोई निर्णय, डिक्री या आदेश (अंग्रेजी भाषा से भिन्न) ऐसी किसी भाषा में पारित किया या दिया जाता है, वहां उसके साथ-साथ उच्च न्यायालय के प्राधिकार से निकाला गया अंग्रेजी भाषा में उसका अनुवाद भी होगा ।

उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायामूर्तियों का एक सम्मेलन भारत के मुख्य न्यायमूर्ति की अध्यक्षता में मार्च, 1965 में आयोजित किया गया था । राजभाषा आयोग(1955) की सिफारिशों के साथ मुख्य न्यायमूर्तियों के सम्मेलन की सिफारिशों पर मंत्रिमंडल समिति द्वारा विचार किया गया था जिसने उस कन्वेंशन को स्वीकार किया जिसके परिणामस्वरूप भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से राष्ट्रपति द्वारा अपनी बैठक तारीख 21.05.1965 में किसी ऐसे प्रस्ताव को अपनी सहमति देने से पूर्व परामर्श किया जाएगा । हिंदी का प्रयोग राजस्थान उच्च न्यायालय में वर्ष 1950 में प्राधिकृत कर दिया गया था । तारीख 21.05.1965 के मंत्रिमंडल के विनिश्चय के पश्चात् हिंदी का प्रयोग उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय (1969), मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय (1971) और बिहार उच्च न्यायालय (1972) में भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से प्राधिकृत किया गया था ।

भारत सरकार को, क्रमश: मद्रास उच्च, न्यायालय गुजरात उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, कलकत्ता उच्च न्यायालय और कर्नाटक उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों में तमिल, गुजराती, हिंदी, बंगाली और कन्नड़ के प्रयोग को अनुज्ञात करने के लिए तमिलनाडु, गुजरात, छत्तीसगढ़, पश्चिमी बंगाल और कर्नाटक की सरकार से प्रस्ताव प्राप्त हुए थे । वर्ष 1965 में मंत्रिमंडल समिति के विनिश्चय के अनुसार इन प्रस्तावों पर भारत के मुख्य न्यायमूर्ति की सलाह मांगी गई थी और न्यायमूर्ति ने अपने अर्द्धशासकीय पत्र तारीख 16.10.2012 द्वारा यह सूचित किया कि पूर्ण न्यायालय ने अपनी तारीख 11.10.2012 की बैठक में, सम्यक् विचार-विमर्श के पश्चात्, प्रस्तावों को स्वीकार न करने का विनिश्चय किया ।

तमिलनाडु सरकार से प्राप्त एक अन्य अनुरोध के आधार पर, सरकार ने भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से इस संबंध में पूर्वतर विनिश्चयों का पुनर्विलोकन करने और जुलाई, 2014 में भारत के उच्चतम न्यायालय की सहमति को सूचित करने का अनुरोध किया है । भारत के मुख्य न्यायमूर्ति ने अपने अर्द्धशासकीय पत्र तारीख 18.01.2016 द्वारा यह सूचित किया है कि पूर्ण न्यायालय, व्यापक विचारविमर्श के पश्चात् सर्वसम्मति से यह संकल्प किया है कि प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जा सका है ।

****

उपाबंध-1

<u>राज्य सभा अतारांकित प्रश्न सं. 3753 के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण</u>

तारीख 28.3.2025 तक ई-एससीआर पोर्टल पर अपलोड किए गए हिन्दी भाषा और अन्य जनभाषाओं में अनुदित उच्चतम न्यायालय निर्णयों के ब्यौरे ।

ई-एससीआर पर उपलब्ध उच्चतम न्यायालय जन भाषा निर्णय		
क्र.सं.	**स्थानीय भाषा**	**निर्णयों की संख्या**
1.	असमिया	340
2.	बंगाली	3600
3.	गारो	7
4.	गुजराती	3361
5.	हिन्दी	36344
6.	कन्नड	1942
7.	कश्मीरी	1
8.	खासी	4
9.	कोंकणी	16
10.	मलयालम	2996
11.	मराठी	2628
12.	नेपाली	153
13.	उडिया	378
14.	पंजाबी	25004
15.	संथाली	51
16.	तमिल	2808
17.	तेलुगू	1659
18.	उर्दू	2491
योग		**83783**

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3786
जिसका उत्तर गुरुवार, 03 अप्रैल, 2025 को दिया जाना है

एनजेएसी पर सरकार का दृष्टिकोण

3786 डा. सस्मित पात्रा :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (एनजेएसी) के संबंध में क्या दृष्टिकोण है;

(ख) क्या सरकार फिर से एनजेएसी कानून लाने पर विचार करेगी ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार उच्चतम न्यायालय के साथ एनजेएसी को रद्द करते समय दिए गए अपने निर्णय में न्यायालय के दृष्टिकोण के अनुरूप कॉलेजियम में सुधार के लिए काम करने के लिए इच्छुक है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (ग) : उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली को अधिक व्यापक, पारदर्शी, जवाबदेह नियुक्ति तंत्र से बदलने और प्रणाली में अधिक निष्पक्षता लाने के लिए, संविधान (निन्यानबेवां संशोधन) अधिनियम, 2014 और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम, 2014 को 13.04.2015 को लागू किया गया था। तथापि, दोनों अधिनियमों को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई थी। उच्चतम न्यायालय ने तारीख 16.10.2015 के अपने निर्णय के माध्यम से दोनों अधिनियमों को असंवैधानिक और शून्य घोषित कर दिया। संविधान (निन्यानबेवां संशोधन) अधिनियम, 2014 के लागू होने से पहले विद्यमान कॉलेजियम प्रणाली को प्रवर्तनशील घोषित किया गया।

उच्चतम न्यायालय ने 2015 की रिट याचिका (सि.) 13 में तारीख 16.12.2015 के आदेश के माध्यम से निदेश दिया कि विद्यमान प्रक्रिया ज्ञापन (एमओपी) को पात्रता मानदंड, पारदर्शिता, सचिवालय की स्थापना और शिकायतों से निपटने के लिए तंत्र को ध्यान में रखते हुए उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम (एससीसी) के परामर्श से अनपूरित करके अंतिम रूप दिया जाए। तदनुसार, विद्यमान प्रक्रिया ज्ञापनों में कतिपय बदलाव प्रस्तावित किए गए और विद्यमान प्रक्रिया ज्ञापनों को 22.03.2016 के पत्र के माध्यम से भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को भेज दिया गया।

एससीसी से प्रतिक्रियाएं 25.05.2016 और 01.07.2016 को प्राप्त हुईं । एससीसी के विचारों के जवाब में प्राप्त टिप्पणियां 03.08.2016 को भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को सूचित कर दी गईं। एससीसी ने 13.03.2017 को प्रारूप एमओपी पर अपनी टिप्पणियां प्रदान कीं। इसके पश्चात्, उच्चतम न्यायालय ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश के विरुद्ध स्वत: संज्ञान अवमानना कार्यवाही में तारीख 04.07.2017 के निर्णय में अन्य बातों के साथ-साथ न्यायाधीशों के चयन की प्रक्रिया पर फिर से विचार

करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। उसमें उठाए गए बिंदुओं पर सरकार के विचारों को तारीख 11.07.2017 के पत्र के माध्यम से उच्चतम न्यायालय के महासचिव को सूचित कर दिया गया। उच्चतम न्यायालय ने 2019 की रिट याचिका (सि.) 1236 आदेश तारीख 20.04.2021 में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए नए मानदंड निर्धारित किए। तदनुसार, उच्च न्यायालयों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए विद्यमान एम.ओ.पी. के पैरा 24 को अनपूरित करने पर सरकार के विचार भी भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को तारीख 18.08.2021 के पत्र के माध्यम से सूचित किए गए। भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से तारीख 06.01.2023 के पत्र के माध्यम से एम.ओ.पी. से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विचार करने का अनुरोध किया गया।

2019 की रिट याचिका (सि.) 1236 में तारीख 20.04.2021 के उपरोक्त निर्णय में आंशिक रूप से संशोधन किया है और अन्य बातों के साथ-साथ निदेश दिया है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 224क की सहायता ले सकता है, जिनकी संख्या 2 से 5 के बीच हो सकती है, लेकिन उच्च न्यायालय की स्वीकृत संख्या के 10% से अधिक नहीं होनी चाहिए।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3787
जिसका उत्तर गुरुवार, 03 अप्रैल, 2025 को दिया जाना है

उच्च न्यायालयों में अपर और तदर्थ न्यायाधीश

3787 श्री देरेक ओब्राईन :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की कुल राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) उच्च न्यायालयों में अपर न्यायाधीशों के रूप में कार्यरत न्यायाधीशों का राज्य-वार प्रतिशत कितना है ;

(ग) क्या उच्च न्यायालयों द्वारा तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा रही है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ङ) आज की तिथि तक उच्च न्यायालयों में तदर्थ न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त किए गए न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(च) क्या इस बात का अनुमान लगाने के लिए कोई आकलन किया गया है कि तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति, लंबित न्यायिक मामलों को कम करने में सहायक हो सकती है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (च) : उच्च न्यायालयों में कार्यरत अपर न्यायाधीशों सहित न्यायाधीशों की संख्या और रिक्तियों का विवरण उपाबंध में दिया गया है।

संविधान के अनुच्छेद 224क में उच्च न्यायालयों की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति का उपबंध है । उच्चतम न्यायालय ने 2019 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 1236 में तारीख 20.04.2021 के निर्णय के अधीन ऐसी नियुक्तियों के लिए दिशानिर्देश निर्धारित किए थे। उच्चतम न्यायालय की एक पीठ ने तारीख 30.01.2025 के अपने आदेश के द्वारा तारीख 20.04.2021 के पूर्वोक्त निर्णय में आंशिक संशोधन किया है और अन्य बातों के साथ-साथ निर्देश दिया है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय 2 से 5 की संख्या में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 224क का सहारा ले सकता है, लेकिन यह उच्च न्यायालय की स्वीकृत संख्या के 10% से अधिक नहीं होगी।

उच्चतम न्यायालय के तारीख 30.01.2025 के आदेश के अनुसार, तदर्थ न्यायाधीश उच्च न्यायालय के किसी आसीन न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली न्यायपीठ में बैठेंगे और लंबित आपराधिक अपीलों पर विनिश्चय करेंगे । उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया ज्ञापन (एमओपी)

में दी गई प्रक्रिया तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति में लागू है । तथापि, सरकार को अभी तक किसी भी उच्च न्यायालय से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

न्यायालयों में लंबित मामलों के कई कारण हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ, अन्तर्वलित तथ्यों की जटिलता, साक्ष्य की प्रकृति, हितधारकों जैसे विधिज्ञ – वर्ग, अन्वेषण अभिकरणों, साक्षियों और वादियों का सहयोग, इसके अतिरिक्त भौतिक अवसंरचना, सहायक न्यायालय कर्मियों की उपलब्धता और मामलों की निगरानी, ट्रैक और सामूहिक सुनवाई के लिए नियमों और प्रक्रियाओं का उचित अनुप्रयोग शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, लंबित मामलों और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के रिक्त पदों का प्रत्यक्ष रूप से आपस में संबंध आवश्यक नहीं है।

****

उपाबंध
(28.03.2025 तक)

उच्च न्यायालयों में स्वीकृत पद संख्या, कार्यरत पद संख्या, न्यायाधीशों की रिक्तियां

		स्वीकृत पद संख्या			कार्यरत पद संख्या			रिक्तियां		
	उच्च न्यायालय का नाम	**स्था.**	**अति.**	**योग**	**स्था.**	**अति.**	**योग**	**स्था.**	**अति.**	**योग**
1	इलाहाबाद	119	41	160	79	0(0%)	79	40	41	81
2	आन्ध्र प्रदेश	28	9	37	21	9(3%)	30	7	0	7
3	बॉम्बे	71	23	94	53	13(19%)	66	18	10	28
4	कलकत्ता	54	18	72	31	14(31%)	45	23	4	27
5	छत्तीसगढ़	17	5	22	9	7(43%)	16	8	-2	6
6	दिल्ली	45	15	60	39	0(0%)	39	6	15	21
7	गुवाहाटी	22	8	30	21	4(16%)	25	1	4	5
8	गुजरात	39	13	52	32	0(0%)	32	7	13	20
9	हिमाचल प्रदेश	13	4	17	12	0(0%)	12	1	4	5
10	जम्मू-कश्मीर और लद्दाख	19	6	25	15	0(0%)	15	4	6	10
11	झारखंड	20	5	25	15	0(0%)	15	5	5	10
12	कर्नाटक	47	15	62	47	3(6%)	50	0	12	12
13	केरल	35	12	47	29	15(34%)	44	6	-3	3
14	मध्य प्रदेश	40	13	53	34	0(0%)	34	6	13	19
15	मद्रास	56	19	75	56	9(13%)	65	0	10	10
16	मणिपुर	4	1	5	3	0(0%)	3	1	1	2
17	मेघालय	3	1	4	3	1(25%)	4	0	0	0
18	उड़ीसा	24	9	33	19	0(0%)	19	5	9	14
19	पटना	40	13	53	37	0(0%)	37	3	13	16
20	पंजाब और हरियाणा	64	21	85	48	5(9%)	53	16	16	32
21	राजस्थान	38	12	50	38	0(0%)	38	0	12	12
22	सिक्किम	3	0	3	3	0(0%)	3	0	0	0
23	तेलंगाना	32	10	42	26	4(13%)	30	6	6	12
24	त्रिपुरा	4	1	5	3	1(25%)	4	1	0	1
25	उत्तराखंड	9	2	11	9	0(0%)	9	0	2	2
	योग	**846**	**276**	**1122**	**682**	**85**(11%)	**767**	**164**	**191**	**355**

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3788
जिसका उत्तर गुरुवार, 03 अप्रैल, 2025 को दिया जाना है

देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के रिक्त पद

3788. श्री दीपक प्रकाश :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की कमी और रिक्त पदों के संबंध में कोई आकलन किया है ;

(ख) यदि हां, तो विशेषकर झारखंड राज्य सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या विगत तीन वर्षों के दौरान उक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (घ) : 28.03.2025 के अनुसार 1122 न्यायाधीशों की स्वीकृत पद संख्या के प्रति 767 न्यायाधीश कार्यरत हैं और विभिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के 355 पद रिक्त हैं । इन रिक्तियों के प्रति उच्च न्यायालय न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए 150 प्रस्ताव, सरकार और उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम के बीच कार्रवाई के विभिन्न चरणों में हैं। 205 रिक्तियों के लिए सिफारिशें अभी तक उच्च न्यायालय कॉलेजियम से प्राप्त नहीं हुई हैं । विभिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के रिक्त पद के विवरण उपाबंध पर है ।

उच्चतम न्यायालय के तारीख 28 अक्तूबर, 1998 (तृतीय न्यायाधीश मामले) की उनकी सलाहकारी राय के साथ पठित 6 अक्तूबर, 1993 (द्वितीय न्यायाधीश मामला) के उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसरण में वर्ष 1998 में उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 और अनुच्छेद 224 के अधीन और तैयार किए गए प्रक्रिया ज्ञापन (एमओपी) में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार की जाती है । एमओपी के अनुसार, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रस्तावों को आरंभ करने के लिए उत्तरदायित्व भारत के मुख्य न्यायमूर्ति में निहित होता है, जबकि उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रस्तावों को आरंभ करने का उत्तरदायित्व संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति में निहित होता है। एमओपी के अनुसार, उच्च न्यायालयों को रिक्ति होने से कम से कम 06 महीने पहले सिफारिशें करना आवश्यक है। तथापि, यह समय सीमा शायद ही कभी देखी जाती है।

उच्चतर न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच एक सतत, एकीकृत और सहयोगात्मक प्रक्रिया है। इसके लिए राज्य और केन्द्र दोनों स्तरों पर विभिन्न

संवैधानिक प्राधिकरणों से परामर्श और अनुमोदन अपेक्षित है। केवल उन्हीं व्यक्तियों को उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाता है जिनके नामों की सिफारिश राज्य स्तरीय समिति द्वारा की गई है।

****

उपाबंध

(28.03.2025 तक)

क्र.सं.	उच्च न्यायालय का नाम	स्वीकृत पद संख्या	कार्यरत पद संख्या	रिक्तियां
1.	**इलाहाबाद**	160	79	81
2.	**आंध्र प्रदेश**	37	30	7
3.	**बम्बई**	94	66	28
4.	**कलकत्ता**	72	45	27
5.	**छत्तीसगढ़**	22	16	6
6.	**दिल्ली**	60	39	21
7.	**गुवाहाटी**	30	25	5
8.	**गुजरात**	52	32	20
9.	**हिमाचल प्रदेश**	17	12	5
10.	**जम्मू-कश्मीर और लद्दाख**	25	15	10
11.	**झारखंड**	25	15	10
12.	**कर्नाटक**	62	50	12
13.	**केरल**	47	44	3
14.	**मध्य प्रदेश**	53	34	19
15.	**मद्रास**	75	65	10
16.	**मणिपुर**	5	3	2
17.	**मेघालय**	4	4	0
18.	**उड़ीसा**	33	19	14
19.	**पटना**	53	37	16
20.	**पंजाब और हरियाणा**	85	53	32
21.	**राजस्थान**	50	38	12
22.	**सिक्किम**	3	3	0
23.	**तेलंगाना**	42	30	12
24.	**त्रिपुरा**	5	4	1
25.	**उत्तराखंड**	11	9	2
कुल		**1122**	**767**	**355**

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3790
जिसका उत्तर गुरुवार, 03 अप्रैल, 2025 को दिया जाना है

विभिन्न न्यायालयों में रिक्तियां

3790 श्री संजय कुमार झा :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय न्यायालयों, विशेष रूप से उच्च न्यायालयों और विचारण न्यायालयों में न्यायिक रिक्तियों की वर्तमान स्थिति क्या है और इन रिक्तियों को स्थायी आधार पर भरने के लिए किए जा रहे उपायों की रूपरेखा क्या है ;

(ख) सरकार इस उपाय से, उच्च न्यायालयों में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की अनुमति देने वाले उच्चतम न्यायालय के हालिया निर्णय के मद्देनजर, मामलों के बढ़ते बैकलॉग को किस प्रकार दूर करेगी और क्या सरकार की रिक्त न्यायिक पदों को स्थायी रूप से भरने को प्राथमिकता देने की योजना है ; और

(ग) सरकार रिक्तियों को स्थायी रूप से भरना सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय करने की योजना बना रही है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (ग) : 28.03.2025 तक, 1122 न्यायाधीशों की स्वीकृत पद संख्या के प्रति 767 न्यायाधीश कार्यरत हैं और विभिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के 355 पद रिक्त हैं। इन रिक्तियों के प्रति, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के 150 प्रस्ताव सरकार तथा उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम के बीच प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में हैं । 205 रिक्तियों के लिए सिफारिशें अभी भी उच्च न्यायालय कॉलेजियम से प्राप्त होनी हैं। विभिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की रिक्तियों के ब्यौरे **उपाबंध-1** पर हैं ।

उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 और अनुच्छेद 224 के अधीन की जाती है और 28 अक्टूबर 1998 के उच्चतम न्यायालय की सलाहकारी राय (तृतीय न्यायाधीश मामला) के साथ पठित 6 अक्टूबर 1993 के उच्चतम न्यायालय के निर्णय (द्वितीय न्यायाधीश मामला) के अनुसरण में 1998 में तैयार प्रक्रिया ज्ञापन (एमओपी) में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जाती है। एमओपी के अनुसार, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के प्रस्तावों को आरंभ करने की जिम्मेदारी भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के पास है, जबकि उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के प्रस्तावों को आरंभ करने की जिम्मेदारी संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के पास है। एमओपी के अनुसार, उच्च न्यायालयों को रिक्ति होने से कम से कम 06 महीने पहले सिफारिशें करने की

आवश्यकता होती है। तथापि, यह समय सीमा बिरले ही कभी देखी जाती है। उच्च न्यायालयों में नियुक्तियों के लिए, एम.ओ.पी. के अनुसार संबंधित राज्य सरकारों के विचार प्राप्त किए जाते हैं। सिफारिशों पर विचार किए जाने की आवश्यकता ऐसी अन्य रिपोर्टों के प्रकाश में भी होती है जो विचाराधीन नामों के संबंध में सरकार को उपलब्ध हो सकती हैं। उच्च न्यायालय कॉलेजियम, राज्य सरकारों और भारत सरकार की सिफारिशें के पश्चात् सलाह के लिए उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम (एससीसी) को भेजी जाती हैं।

उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच एक सतत, एकीकृत और सहयोगात्मक प्रक्रिया है। इसके लिए राज्य और केंद्र दोनों स्तरों पर विभिन्न संवैधानिक प्राधिकरणों से परामर्श और अनुमोदन की आवश्यकता होती है । केवल वे व्यक्ति जिनके नाम उच्चतम न्यायालय द्वारा सिफारिश किए गए हैं , उन्हें उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाता है।

संविधान के अनुच्छेद 224क में उच्च न्यायालयों की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति का उपबंध है । उच्चतम न्यायालय ने 20.04.2021 को रिट याचिका (सि.) संख्या 1236/2019 में दिए गए निर्णय के माध्यम से ऐसी नियुक्तियों के लिए दिशा-निर्देश निर्धारित किए थे। उच्चतम न्यायालय की एक पीठ ने तारीख 30.01.2025 के अपने आदेश के माध्यम से 20.04.2021 के उपरोक्त निर्णय में आंशिक रूप से संशोधन किया है और अन्य बातों के साथ-साथ निदेश दिया है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय 2 से 5 के बीच लेकिन उच्च न्यायालय की स्वीकृत संख्या के 10% से अधिक नहीं, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 224क का सहारा ले सकता है।

उच्चतम न्यायालय के तारीख 30.01.2025 के आदेश के अनुसार, तदर्थ न्यायाधीश उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ में बैठेंगे और लंबित आपराधिक अपीलों पर निर्णय लेंगे। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया ज्ञापन (एमओपी) में दी गई तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया लागू होगी।

जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों के रिक्त पदों को भरना संबंधित उच्च न्यायालयों एवं राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। संवैधानिक ढांचे के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद अनुच्छेद 233 और अनुच्छेद 234 के साथ पठित अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संबंधित राज्य सरकारें उच्च न्यायालय के परामर्श से न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति एवं भर्ती के संबंध में नियम एवं विनियम बनाती हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय ने जनवरी 2007 में मलिक मज़हर सुल्तान के मामले में पारित आदेश के अनुसार, अन्य बातों के साथ-साथ कतिपय समय-सीमाएं निर्धारित की गई हैं, जिनका पालन राज्यों और संबंधित उच्च न्यायालयों द्वारा जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों की भर्ती के लिए किया जाना है।

झारखंड राज्य सहित जिला और अधीनस्थ न्यायालय में न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृत पद संख्या, कार्यरत पद संख्या और रिक्त पदों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार विवरण **उपाबंध-2** में दिया गया है ।

****

उपाबंध-1

(28.03.2025 तक)

क्रम सं.	उच्च न्यायालय का नाम	स्वीकृत पद संख्या	कार्यरत पद संख्या	रिक्तियां
1.	**इलाहाबाद**	160	79	81
2.	**आंध्र प्रदेश**	37	30	7
3.	**बंबई**	94	66	28
4.	**कलकत्ता**	72	45	27
5.	**छत्तीसगढ**	22	16	6
6.	**दिल्ली**	60	39	21
7.	**गुवाहाटी**	30	25	5
8.	**गुजरात**	52	32	20
9.	**हिमाचल प्रदेश**	17	12	5
10.	**जम्मू-कश्मीर और लद्दाख**	25	15	10
11.	**झारखंड**	25	15	10
12.	**कर्नाटक**	62	50	12
13.	**केरल**	47	44	3
14.	**मध्य प्रदेश**	53	34	19
15.	**मद्रास**	75	65	10
16.	**मणिपुर**	5	3	2
17.	**मेघालय**	4	4	0
18.	**उड़ीसा**	33	19	14
19.	**पटना**	53	37	16
20.	**पंजाब और हरियाणा**	85	53	32
21.	**राजस्थान**	50	38	12
22.	**सिक्किम**	3	3	0
23.	**तेलंगाना**	42	30	12
24.	**त्रिपुरा**	5	4	1
25.	**उत्तराखंड**	11	9	2
कुल		**1122**	**767**	**355**

उपाबंध-2

28.03.2025 तक जिला और अधीनस्थ न्यायालय में न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृत पद संख्या, कार्यरत पद संख्या एवं रिक्तियां

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	कुल स्वीकृत पद संख्या	कुल कार्यरत पद संख्या	कुल रिक्तियां
1	आंध्र प्रदेश	639	564	75
2	अरुणाचल प्रदेश	44	33	11
3	असम	485	461	24
4	बिहार	2019	1536	483

5	चंडीगढ़	30	30	0
6	छत्तीसगढ	663	465	198
7	दादरा और नागर हवेली और दमण और दीव	7	6	1
8	दिल्ली	897	803	94
9	गोवा	50	40	10
10	गुजरात	1720	1185	535
11	हरियाणा	781	551	230
12	हिमाचल प्रदेश	179	160	19
13	जम्मू-कश्मीर	322	278	44
14	**झारखंड**	**705**	**506**	**199**
15	कर्नाटक	1395	1151	244
16	केरल	612	536	76
17	लद्दाख	17	10	7
18	लक्षद्वीप	4	4	0
19	मध्य प्रदेश	2028	1687	341
20	महाराष्ट्र	2190	1940	250
21	मणिपुर	62	49	13
22	मेघालय	99	57	42
23	मिजोरम	74	45	29
24	नगालैंड	34	24	10
25	ओडिशा	1041	838	203
26	पुडुचेरी	36	26	10
27	पंजाब	804	723	81
28	राजस्थान	1654	1308	346
29	सिक्किम	35	23	12
30	तमिलनाडु	1369	1023	346
31	तेलंगाना	560	445	115
32	त्रिपुरा	133	109	24
33	उत्तर प्रदेश	3700	2698	1002
34	उत्तराखंड	298	270	28
35	पश्चिमी बंगाल	1105	875	230
36	अंदमान और निकोबार			
कुल		**25791**	**20459**	**5332**

स्रोत:- न्याय विभाग का एमआईएस पोर्टल।

*** संघ राज्यक्षेत्र अंदमान और निकोबार द्वीप तथा पश्चिमी बंगाल राज्य की संयुक्त रिक्तियां, जैसा कि पश्चिमी बंगाल राज्य के समक्ष दर्शाया गया है।**

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3794
जिसका उत्तर गुरुवार, 03 अप्रैल, 2025 को दिया जाना है

कानूनी सहायता प्रणाली

3794 # श्रीमती माया नारोलिया :

श्री बृज लाल :

श्री रायगा कृष्णैया :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में निःशुल्क कानूनी सहायता प्रणाली को मजबूत करने के लिए कौन-कौन से कदम उठाए जा रहे हैं ;

(ख) क्या दूरस्थ और आदिवासी क्षेत्रों में निःशुल्क कानूनी सहायता सेवाओं के विस्तार की कोई योजना है ;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए कौन-कौन से उपाय किए गए हैं कि वंचित समुदायों को इन सेवाओं की जानकारी मिले और वे इनका लाभ उठा सकें ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (ग) : राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) का गठन विधिक सेवा प्राधिकरण (एलएसए) अधिनियम, 1987 के अधीन किया गया था ताकि एलएसए अधिनियम, 1987 की धारा 12 के अधीन समाविष्ट समाज के कमजोर वर्गों जिनके अंतर्गत फायदाग्राही भी है,को निःशुल्क और सक्षम विधिक सेवाएं प्रदान की जा सकें। यह अधिनियम यह सुनिश्चित करता है कि आर्थिक या अन्य निःशक्तताओं के कारण किसी नागरिक को न्याय प्राप्त करने के अवसरों से वंचित न किया जाए और विवादों के सौहार्दपूर्ण निपटान के लिए लोक अदालतों का आयोजन किया जाए । इसके अतिरिक्त, नालसा ने निवारक और कार्यनीतिक विधिक सेवा कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए विभिन्न स्कीमें भी विरचित की हैं, जिनका कार्यान्वयन विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा विभिन्न स्तरों अर्थात् राज्य, जिला और तालुका स्तर पर किया जाता है। 2022-23 से 2024-25 (दिसंबर 2024 तक) तक पिछले तीन वर्ष के दौरान, 39.44 लाख व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सेवाएं प्रदान की गई हैं।

सरकार 250 करोड़ रुपये के परिव्यय से पांच वर्ष (2021- 2026) की अवधि के लिए "भारत में न्याय तक समग्र पहुंच के लिए अभिनव समाधान परिकल्पना" (दिशा) नामक केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम भी कार्यान्वित कर रही है। दिशा स्कीम का उद्देश्य टेली-लॉ, न्याय बंधु (प्रो बोनो विधिक सेवाएं) और विधिक

साक्षरता और विधिक जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से विधिक सेवाओं की आसान, सुलभ, सस्ती और नागरिक-केंद्रित परिदान प्रदान करना है। दिशा स्कीम के अधीन, टेली-लॉ नागरिकों को पूर्व-मुकदमेबाजी सलाह प्रदान करने के लिए मोबाइल ऐप "टेली-लॉ" और टोल-फ्री नंबर के माध्यम से वकीलों से जोड़ता है; न्याय बंधु (प्रो बोनो सेवाएं) रजिस्ट्रीकृत फायदाग्राहियों को न्यायालयों में निःशुल्क विधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करती है और विधिक साक्षरता और विधिक जागरूकता कार्यक्रम के अधीन, नागरिकों को उनके विधिक अधिकारों, कर्तव्यों और हकदारियों को जानने, समझने और उनका लाभ उठाने का अधिकार दिया जाता है।28 फरवरी 2025 तक, दिशा स्कीम ने अपने विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से देश में लगभग 2.10 करोड़ फायदाग्राहियों को समाविष्ट किया है।

भारत सरकार नालसा के माध्यम से एक अन्य केंद्रीय सेक्टर स्कीम अर्थात; विधिक सहायता प्रतिरक्षा परामर्शी प्रणाली (एलएडीसीएस) स्कीम कार्यान्वित कर रही है । एलएडीसीएस स्कीम का उद्देश्य विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 12 के अधीन विधिक सहायता के लिए पात्र फायदाग्राहियों को केवल दांडिक मामलों के संबंध में विधिक सहायता प्रदान करना है । एलएडीसीएस स्कीम का अनुमोदित वित्तीय परिव्यय 3 वर्ष (वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2025-26) के लिए 998.43 करोड़ रु. है । 30 दिसंबर 2024 तक, देश भर के 654 जिलों में एलएडीसी कार्यालय क्रियाशील हैं और इसमें 3448 प्रतिरक्षा परामर्शियों सहित 5251 कर्मचारिवृन्द नियोजित हैं । वर्ष 2024-25 (दिसंबर, 2024 तक) के दौरान, एलएडीसीएस कार्यालयों ने 3.95 लाख से अधिक दांडिक मामलों का निपटारा किया है ।

(घ) : विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा बालकों, श्रमिकों, आपदा के पीड़तों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, निःशक्त व्यक्तियों आदि से संबंधित विभिन्न विधियों और स्कीमों पर देश भर में विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। वर्ष 2022-23, 2023-24 और 2024-25 (दिसंबर 2024 तक) के दौरान विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा आयोजित 12,49,496 और 1,26,966 विधिक जागरूकता शिविर और कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें क्रमशः लगभग 13.93 करोड़ और 3.06 करोड़ व्यक्तियों ने भाग लिया।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3795
जिसका उत्तर गुरुवार, 03 अप्रैल, 2025 को दिया जाना है

देश में कुटुंब न्यायालय

3795 डा. कनिमोझी एनवीएन सोमू :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कार्यशील कुटुंब न्यायालयों की राज्य-वार संख्या कितनी है ;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इन न्यायालयों में दायर किए गए, निपटाए गए तथा लंबित मामलों की राज्य-वार संख्या कितनी है ;

(ग) क्या राज्यों को इन न्यायालयों में दर्ज मामलों के निपटान में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) और (ख) : देश में वर्तमान में कार्यरत कुटुंब न्यायालयों का राज्य-वार ब्यौरा और पिछले तीन वर्षों के दौरान रजिस्ट्रीकृत, निपटाए गए और लंबित मामले **उपाबंध** पर हैं।

(ग) से (ङ) : कुटुंब न्यायालय अधिनियम, 1984 सुलह को बढ़ावा देने और विवाह और कुटुंब मामलों से संबंधित विवादों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने तथा उनसे संबंधित विषयों के लिए अपने-अपने उच्च न्यायालयों के परामर्श से राज्य सरकारों द्वारा कुटुंब न्यायालयों की स्थापना का उपबंध करता है। कुटुंब न्यायालय अधिनियम की धारा 3 (1) (क) के अधीन, राज्य सरकारों के लिए यह आज्ञापक है कि वे राज्य के प्रत्येक क्षेत्र के लिए एक कुटुंब न्यायालय स्थापित करें, जिसमें एक शहर या एक कस्बा शामिल है, जिसकी आबादी दस लाख से अधिक है । राज्यों के अन्य क्षेत्रों में, यदि राज्य सरकारें आवश्यक समझे तो कुटुंब न्यायालयों की भी स्थापना की जा सकती है। न्यायालयों में मामलों का समय पर निपटान अनेक कारकों पर निर्भर करता है जिसमें, अन्य बातों के साथ, न्यायाधीशों और न्यायिक अधिकारियों की पर्याप्त संख्या में उपलब्धता, सहायक न्यायालय कर्मचारिवृंद और भौतिक अवसंरचना, अंतर्वलित तथ्यों की जटिलता, साक्ष्य की प्रकृति, पणधारियों अर्थात बार, अन्वेषण अभिकरणों, साक्षियों और वादियों का सहयोग तथा नियमों और प्रक्रियाओं का उचित अनुप्रयोग सम्मिलित है। केन्द्रीय सरकार संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार मामलों के शीघ्र निपटान और लंबित मामलों की संख्या में कमी लाने के लिए पूर्णत प्रतिबद्ध है।

कुटुंब न्यायालयों में, कार्यवाही में देरी तनाव को बढ़ाती है और भावनात्मक तनाव को जारी रखती है, समय पर विवाद समाधान में बाधा डालती है। न्यायालय के फैसलों के बावजूद बाल अभिरक्षा, अभ्यागमन के अधिकार और शेष वित्तीय सहायता पर निर्णय लागू करना चुनौतीपूर्ण बना हुआ है, जिससे निरंतर संघर्ष और हताशा होती है। इसके अतिरिक्त, न्यायालय में पेशी के लिए दूसरे शहर की यात्रा की आवश्यकता महत्वपूर्ण तार्किक और वित्तीय बोझ डालती है, विशेषकर उन परिवारों के लिए जो पहले से ही तनाव में हैं। यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि परामर्शदाता सलाह और मार्गदर्शन प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, किन्तु उनकी प्रभावशीलता उचित प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण पर निर्भर करती है । कुटुंब न्यायालयों में सुधार के लिए पर्याप्त अवसंरचना और विशेषीकृत न्यायाधीशों को पर्याप्त प्रशिक्षण प्रदान करना आवश्यक है। लैंगिक संवेदनशीलता प्रशिक्षण के साथ-साथ न्यायाधीशों, न्यायालय के कर्मचारियों और हितधारकों को संवेदनशील बनाना, निष्पक्ष व्यवहार सुनिश्चित करने, पूर्वाग्रह को कम करने और सभी पक्षों, विशेष रूप से महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने के लिए अनिवार्य है। महिला न्यायाधीशों और परामर्शदाताओं की नियुक्ति पर विचार करने से प्रणाली की प्रभावशीलता में और वृद्धि हो सकती है। सरकार ने राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के मुख्यमंत्रियों और सभी उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों को विधि और न्याय मंत्री के स्तर पर पत्राचार सम्बद्ध करके इन मुद्दों को राज्यों/उच्च न्यायालयों के ध्यान में लाया है।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने न्यायपालिका द्वारा मामलों के शीघ्र निपटान के लिए पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करने के लिए निम्नानुसार अनेक पहलें की हैं:

i. राष्ट्रीय न्याय परिदान और विधिक सुधार मिशन की स्थापना प्रणाली में विलंब और बकाया में कमी करके पहुंच में वृद्धि करने और निष्पादन मानकों और क्षमताओं को स्थापित करने के द्वारा और संरचना परिवर्तन के माध्यम से जवाबदेहीता को बढ़ाने के दोहरे उद्देश्यों के साथ अगस्त, 2011 में की गई थी । मिशन न्यायिक प्रशासन में बकाया और लंबित मामलों के चरणबद्ध परिसमापन के लिए एक समन्वित दृष्टिकोण अपना रहा है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ कम्प्यूटरीकरण सहित न्यायालयों के लिए बेहतर अवसंरचना, जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की स्वीकृत संख्या में वृद्धि, अत्यधिक मुकदमेबाजी वाले क्षेत्रों में नीति और विधायी उपाय और मामलों के त्वरित निपटान के लिए न्यायालय प्रक्रिया की पुनः अभियांत्रिकी और मानव संसाधन विकास पर जोर देना शामिल है।

ii. न्यायिक अवसंरचना के विकास के लिए केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम के अधीन, राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को न्यायालय कक्षों, न्यायिक अधिकारियों के लिए आवासीय क्वार्टरों, वकीलों के हॉल, शौचालय परिसरों और डिजिटल कंप्यूटर कक्षों के निर्माण के लिए धनराशि जारी की जा रही है, जिससे वादियों सहित विभिन्न हितधारकों का जीवन आसान हो सके और न्याय प्रदान करने में सहायता मिले। 1993-94 में न्यायपालिका के लिए अवसंरचना सुविधाओं के विकास के लिए केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम (सीएसएस) की शुरुआत से अब तक 11886.29 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं । इस स्कीम के अधीन न्यायालय कक्षों की संख्या 30.06.2014 को 15,818 से बढ़कर 28.02.2025 तक 22,062 हो गई है और आवासीय इकाइयों की संख्या 30.06.2014 को 10,211 से बढ़कर 28.02.2025 तक 19,775 हो गई है।

iii. इसके अतिरिक्त ई-न्यायालय मिशन मोड परिस्कीम के चरण । और ॥ के अधीन जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की आईटी सक्षमता के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) का लाभ उठाया गया है। 2023 तक 18,735 जिला और अधीनस्थ न्यायालयों को कम्प्यूटरीकृत किया गया। 99.5% न्यायालय परिसरों को वैन संयोजकता प्रदान की गई है। 3,240 न्यायालय परिसरों और 1,272 संबंधित जेलों के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा सक्षम की गई है। 28.02.2025 तक जिला न्यायालयों में 1572 ई-सेवा केंद्र और उच्च न्यायालयों में 39 ई-सेवा केंद्र वकीलों और वादियों को नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान करके डिजिटल डिवाइड को समाप्त करने के लिए कार्यात्मक बनाए गए हैं। 21 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में 28 आभासी न्यायालयों स्थापित की गई हैं। 28.02.2025 तक इन न्यायालयों ने 6.95 करोड़ से अधिक मामलों को संभाला है और 736.11 करोड़ रुपये से

अधिक का जुर्माना वसूला है। मत्रिमंडल ने 13.09.2023 को 7,210 करोड़ रुपये के परिव्यय पर ई-न्यायालयों चरण-III को मंजूरी दी है। चरण-I और चरण-II के लाभों को अगले स्तर पर ले जाते हुए, ई-न्यायालयों चरण-III का उद्देश्य डिजिटल, ऑनलाइन और पेपरलेस न्यायालयों की ओर बढ़ते हुए न्याय की सुगमता की व्यवस्था की शुरुआत करना है। इसका उद्देश्य न्याय वितरण को सभी हितधारकों के लिए उत्तरोत्तर अधिक मजबूत, आसान और सुलभ बनाने के लिए कृत्रिम आसूचना (एआई), ब्लॉक चेन आदि जैसी नवीनतम तकनीक को सम्मिलित करना है।

iv. अप्रैल, 2015 में आयोजित मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन में पारित संकल्प के अनुसरण में, पांच वर्ष से अधिक समय से लंबित मामलों को निपटाने के लिए सभी 25 उच्च न्यायालयों में बकाया समितियों की स्थापना की गई है। जिला न्यायालयों के अंतर्गत भी बकाया समितियां गठित की गई हैं।

v. चौदहवें वित्त आयोग के तत्वावधान में जघन्य अपराधों वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, बालकों आदि के मामलों से निपटने के लिए त्वरित निपटान न्यायालय की स्थापना की गई है। 28.02.2025 तक, जघन्य अपराधों, महिलाओं और बालकों के विरूद्ध अपराध आदि के मामलों को संभालने के लिए 875 त्वरित निपटान न्यारयालय कार्यात्मक हैं। निर्वाचित संसद् सदस्यों विधानसभा/ सदस्योंसे जुड़े आपराधिक मामलों को फास्ट ट्रैक करने के लिए, नौ (9) राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में दस (10) विशेष न्यायालय कार्यात्मक हैं। इसके अतिरिक्त, केंद्रीय सरकार ने बलात्संग और पाक्सो अधिनियम के लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए देश भर में फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय (एफटीएससी) स्थापित करने की स्कीम को मंजूरी दी है। 28.02.2025 तक, देश भर के 30 राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों में 404 अनन्य पाक्सो (ईपाक्सो) न्यायालयों सहित 745 एफटीएससी कार्यात्मक हैं, जिन्होंने 3,13,000 से अधिक मामलों का निपटारा किया है।

vi. न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या कम करने और कामकाज को आसान बनाने के उद्देश्य से सरकार ने विभिन्न विधियों में संशोधन किया है, जैसे कि परक्राम्य लिखत (संशोधन) अधिनियम, 2018, वाणिज्यिक न्यायालय (संशोधन) अधिनियम, 2018, विनिर्दिष्ट अनुतोश (संशोधन) अधिनियम, 2018, मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2019 और दंड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2018।

vii. वैकल्पिक विवाद समाधान विधियों को पूरे दिल से बढ़ावा दिया गया है। तदनुसार, वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 को अगस्त, 2018 में संशोधित किया गया था, जिससे वाणिज्यिक विवादों के मामले में पूर्व-संस्था मध्यस्थता और निपटान (पीआईएमएस) अनिवार्य हो गया। पीआईएमएस तंत्र की दक्षता को और बढ़ाने के लिये सरकार ने मध्यस्थता अधिनियम, 2023 के माध्यम से वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 में और संशोधन किया है। मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 में संशोधन मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) अधिनियम 2015, 2019 और 2021 द्वारा समयसीमा निर्धारित करके विवादों के त्वरित समाधान में तेजी लाने के लिए किया गया है। ।

वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 के अधीन, मामला प्रबंधन सुनवाई का उपबंध है जो किसी मामले के कुशल, प्रभावी और उद्देश्यपूर्ण न्यायिक प्रबंधन के लिए उपबंध करता है जिससे विवाद का समय पर और गुणवत्तापूर्ण समाधान प्राप्त किया जा सके। यह तथ्य और विधि के विवादित मुद्दों की शीघ्र पहचान, मामले के जीवन के लिए प्रक्रियात्मक कैलेंडर की स्थापना और विवाद के समाधान की संभावनाओं की खोज में सहायता करता है।

वाणिज्यिक न्यायालयों के लिए शुरू की गई एक अन्य नवीन विशेषता रंग बैंडिंग की प्रणाली है, जो किसी भी वाणिज्यिक मामले में दी जाने वाली स्थगन की संख्या को तीन तक सीमित कर देती है तथा न्यायाधीशों को लंबित मामलों के चरण के अनुसार मामलों को सूचीबद्ध करने के बारे में सचेत करती है।

viii. लोक अदालत आम लोगों के लिए उपलब्ध एक महत्वपूर्ण वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र है। यह एक ऐसा मंच है जहाँ न्यायालय में लंबित या मुकदमेबाजी से पहले के विवादों/मामलों का सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटारा/समझौता किया जाता है। विधिक सेवा प्राधिकरण (एलएसए) अधिनियम, 1987 के अधीन, लोक न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय सिविल न्यायालय का निर्णय माना जाता है और यह अंतिम होता है तथा सभी पक्षों पर बाध्यकारी होता है तथा इसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई अपील नहीं की जा सकती। लोक न्यायालय कोई स्थायी संस्था नहीं है। राष्ट्रीय लोक अदालतें सभी तालुकों, जिलों और उच्च न्यायालयों में एक साथ पूर्व-निर्धारित तारीख पर आयोजित की जाती हैं।

पिछले चार वर्षों के दौरान राष्ट्रीय लोक न्यायालयों में निपटाए गए मामलों का विवरण निम्नानुसार है: -

वर्ष	मुकदमे-पूर्व मामले	लंबित मामले	कुल योग
2021	72,06,294	55,81,743	1,27,88,037
2022	3,10,15,215	1,09,10,795	4,19,26,010
2023	7,10,32,980	1,43,09,237	8,53,42,217
2024	8,70,19,059	1,75,07,060	10,45,26,119
कुल	**19,62,73,548**	**4,83,08,835**	**24,45,82,383**

ix. सरकार ने 2017 में टेली-लॉ कार्यक्रम शुरू किया, जो ग्राम पंचायतों में स्थित कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) पर उपलब्ध वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, टेलीफोन और चैट सुविधाओं और टेली-लॉ मोबाइल ऐप के माध्यम से पैनल वकीलों के साथ विधिक सलाह और परामर्श चाहने वाले जरूरतमंद और वंचित वर्गों को जोड़ने वाला एक प्रभावी और विश्वसनीय ई-इंटरफेस प्लेटफॉर्म प्रदान करता है।

*टेली-लॉ डेटा का प्रतिशतवार ब्यौरा

वर्ग	रजिस्ट्रीकृत मामले	% वार ब्रेक अप	सलाह सक्षम	% वार ब्रेक अप
लिंग वार				
महिला	43,50,146	39.53%	42,92,045	39.49%
पुरुष	66,55,274	60.47%	65,77,616	60.51%
जाति श्रेणी वार				
सामान्य	25,94,779	23.58%	25,54,696	23.50%
ओबीसी	34,67,629	31.51%	34,21,343	31.48%
अनुसूचित जाति	34,55,009	31.39%	34,19,433	31.46%
अनुसूचित जनजाति	14,88,003	13.52%	14,74,189	13.56%
कुल	**1,10,05,420**		**1,08,69,661**	

*28.02.2025 तक के आंकड़े।

x. देश में प्रो बोनो संस्कृति और प्रो बोनो वकालत को संस्थागत बनाने के प्रयास किए गए हैं। एक तकनीकी ढांचा तैयार किया गया है, जहाँ प्रो बोनो कार्य के लिए अपना समय और सेवाएँ देने वाले अधिवक्ता न्याय बंधु (एंड्रॉइड और आईओएस और ऐप्स) पर प्रो बोनो अधिवक्ता के रूप में रजिस्ट्रीकरण कर सकते हैं। न्याय बंधु सेवाएँ उमंग प्लेटफ़ॉर्म पर भी उपलब्ध हैं। राज्य स्तर पर 23 उच्च न्यायालयों में अधिवक्ताओं का प्रो बोनो पैनल शुरू किया गया है। नवोदित वकीलों में प्रो बोनो संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए 109 लॉ स्कूलों में प्रो बोनो क्लब शुरू किए गए हैं।

****

उपाबंध

कुटुंब न्यायालयों का राज्य-वार/ संघ राज्यक्षेत्रों वार ब्यौरा,विगत तीन वर्षों के दौरान रजिस्ट्रीकृत मामलों, निपटाए गए मामलों और लंबित मामलों की कुल संख्या

			रजिस्ट्रीकृत मामले			निपटाए गए मामले			लंबित मामले		
क्र.सं.	राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों के नाम	कार्यात्मक न्यायालय	2023	2024	2025 (28.02.2025 तक)	2023	2024	2025 (28.02.2025 तक)	2023	2024	2025 (28.02.2025 तक)
1	आंध्र प्रदेश	16	8552	9086	1323	8090	8347	1419	13205	13877	13781
2	अंदमान और निकोबार द्वीप समूह	1	262	547	70	307	407	67	799	939	942
3	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	असम	7	5758	5693	768	4937	5383	698	7158	7468	7503
5	बिहार	39	22737	25499	3850	21445	31013	4183	72668	67154	66821
6	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	छत्तीसगढ़	27	17550	17793	3319	16763	18373	2909	19505	18925	19335
8	दादरा और नागर हवेली और दमण और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	दिल्ली	30	0	41518	6589	0	40332	6263	0	52242	52568
10	गोवा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	गुजरात	108	27194	62146	8470	30084	42101	6314	31954	51999	53077
12	हरियाणा	33	49164	55431	8842	43652	51875	8235	64656	68212	68819
13	हिमाचल प्रदेश	3	4171	4456	439	4160	4935	397	6301	5822	5864
14	जम्मू -कश्मीर	4	0	12399	1497	0	9045	1425	0	15180	15252
15	झारखंड	30	15782	14752	2619	16855	14553	2800	15306	15571	15386
16	कर्नाटक	41	29391	29217	5246	30409	27829	5033	38407	39795	40010
17	केरल	37	84610	71201	11955	86250	72086	11307	112267	111394	112042
18	लद्दाख	2	0	184	15	0	133	4	0	101	112
19	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	मध्य प्रदेश	64	41598	45769	7106	43231	44105	6545	64020	66218	66779
21	महाराष्ट्र	51	38830	42781	9824	40399	41442	10576	66259	67598	66846
22	मणिपुर	4	560	635	99	422	687	125	720	747	632
23	मेघालय	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	नागालैंड	2	210	258	34	194	262	38	233	208	225
26	ओडिशा	30	15588	15992	2689	18577	18156	2637	36797	34633	34685
27	पुडुचेरी	2	1094	1327	175	845	873	195	1473	1888	1868
28	पंजाब	34	68711	74231	8758	72668	73091	8155	73388	76585	77188
29	राजस्थान	50	50912	48736	8757	48155	51089	7434	50714	48361	49684

			रजिस्ट्रीकृत मामले			निपटाए गए मामले			लंबित मामले		
क्र.सं.	राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों के नाम	कार्यात्मक न्यायालय	2023	2024	2025 (28.02.2025 तक)	2023	2024	2025 (28.02.2025 तक)	2023	2024	2025 (28.02.2025 तक)
30	सिक्किम	6	287	323	33	325	312	30	35	141	156
31	तमिलनाडु	40	22608	26308	1989	23039	25689	1983	32222	33393	33158
32	तेलंगाना	22	13439	13393	2205	13227	13385	2327	18888	18896	18774
33	त्रिपुरा	9	3636	3468	617	3726	3770	615	3957	3645	3647
34	उत्तर प्रदेश	189	287494	288012	40904	284091	284586	38852	396875	399939	401991
35	उत्तराखंड	27	14707	16472	2260	14726	14427	2136	14591	16636	16760
36	पश्चिमी बंगाल	6	657	11473	1303	312	2015	932	1517	10975	11346
	कुल	**914**	**825502**	**939100**	**141755**	**826889**	**900301**	**133634**	**1143915**	**1248542**	**1255251**

****